लोकतंत्र और विकास का वर्तमान परिदृश्य

संसाधनों के स्वामित्व को हड़पने की साजिश

जन-संसाधन पीठ
इंस्टिट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एण्ड सस्टेनेबिलिटी (आइडीएस)

लोकतंत्र और विकास का वर्तमान परिदृश्य

संसाधनों के स्वामित्व को हड़पने की साजिश

जन-संसाधन पीठ
इंस्टिट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एण्ड सस्टेनेबिलिटी (आइडीएस)
मकान नं. 7, गली नं. 6, ब्लॉक-ए, हिमगिरि एनक्लेव,
पेप्सी रोड, मेन बुराड़ी रोड, नई दिल्ली-110084

लोकतंत्र और विकास का वर्तमान परिदृश्यः संसाधनों के स्वामित्व को हड़पने की साजिश

आलेख
राधेश्याम मंगोलपुरी

विशेष सहयोग
बसंत हेतमसरिया
राजेंद्र रवि
मधुरेश कुमार
निशांत सिंह

छाया-चित्र
अब्बाद कमाल
जसिंता केरकेट्टा

शब्द-संयोजन
अर्जुन सिंह

डिजाइन
यशवंत रावत
मोबाइलः 9958392130 • rawatys2011@gmail.com

प्रकाशक
जन-संसाधन पीठ
मकान नं.7, गली नं.6, ब्लॉक-ए, हिमगिरि इनक्लेव,
पेप्सी रोड, मेन बुराड़ी रोड, नई दिल्ली-110084
ईमेल- prc.india@yahoo.com • मोबाइलः 09868200316

सहकार
इंस्टिट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एण्ड सस्टेनेबिलिटी (आइडीएस), दिल्ली

प्रकाशन वर्ष
मार्च, 2019

मुद्रक
डी. के. आर्ट प्रेस प्रा. लि.
वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-52

भूमिका

आधुनिक पूंजीपतियों का साम्राज्य और वैश्विक लूट

भारत और दुनिया के एक बड़े भूभाग में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई थी। आगे चलकर उसी के गर्भ से इन देशों में ब्रिटिश हुकूमत का उदय हुआ। उस काल-खण्ड में ब्रिटिश हुक्मरान अपने द्वारा विकसित किए जा रहे ढांचागत निर्माण और विकास को स्थानीय लोगों और समाज की उन्नति के लिए अपना योगदान ही कहते थे। उस वक्त की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार अपनी योजनाओं की घोषणा, निर्माण और अमल की सूचनाएं और जानकारियां सार्वजनिक तौर पर टुकड़े-टुकड़े में साझा करती थी ताकि इसके तात्कालिक और दूरगामी परिणामों एवं प्रभावों के बारे में कोई एकीकृत तथा सामूहिक आकलन कर पाना मुश्किल हो और तथाकथित विकास की इन योजनाओं के खिलाफ कोई मुखर प्रतिरोध शुरू न हो जाए। इसके बावजूद धीरे-धीरे अंग्रेजों की यह रणनीति जग-जाहिर होने लगी और इसका संगठित विरोध भी होने लगा। कालांतर में यही विरोध गुलामी से मुक्ति का आंदोलन बना। उस समय इस आंदोलन में भारतीय उद्योगपतियों और व्यापारियों का भी खुला सहयोग और समर्थन था।

लेकिन जनता के साथ उनके सहयोग और समर्थन का यह काल बहुत लम्बा नहीं चला। आजादी के एक शताब्दी पूरा होने के पहले ही यहां के पूंजीपतियों ने सामूहिक रूप से अपने को ईस्ट इंडिया कंपनी के चाल-चरित्र में रंग लिया। इसमें उन्हें देश के शासक और प्रभु वर्ग का भरपूर समर्थन हासिल हुआ। वैश्वीकरण और निजीकरण के इस दौर में नवउदारवादी राज्य ने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय अन्याय को चरम पर ला दिया है। हर पूंजीपति की एक-सी कहानी है, सिर्फ नाम और खानदान अलग-अलग हो सकते हैं। हम यहां झारखंड के संदर्भ में एक खास पूंजीपति और उसके सपनों की परियोजना का आकलन करते हुए बात करेंगे। उस पूंजीपति का नाम है गौतम अदानी। इनके पास कंपनियों का अम्बार है, इनकी कंपनियों का जाल-संजाल विस्तृत है। हर काम के हकदार सिद्ध कर लेते हैं ये। ये हैं भारत के वैश्विक पूंजीपति।

इनका दुनिया के हर उस इलाके में दखल है जहां से संसाधनों को लूटा-खसोटा जा सकता है। ऐसी ही लूट-खसोट वाली मेहनत की कमाई से जमा अकूत सम्पत्ति के कारण इन्हें दुनिया के

दस संपत्तिशाली लोगों में गिना जाता है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान को येन-केन-प्रकारेण तरीके से हथियाया है। इसे हथियाने में भारत के प्रमुख सेवक ने अपनी सेवा दी है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अगले 60 वर्ष तक 2.6 बिलियन टन कोयला खनन का अधिकार प्राप्त किया है। यह ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ दुनिया का नंबर एक खनन-क्षेत्र माना जाता है। अदानी यहां से कोयला निकाल कर दुनिया के दूसरे हिस्से के साथ-साथ भारत भी लाएंगे। इन्होंने कोयले की आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध बंदरगाह को अपने अधिकार में लिया है, जो निर्बाध रूप से सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया से आने वाला अधिकांश कोयला भारत में आए। इसकी तैयारी के लिए इन्होंने भारत के कई राज्यों के पुराने बंदरगाहों पर कब्जा किया है या नए बंदरगाहों के निर्माण का अधिकार प्राप्त किया है। इन राज्यों में गोवा, गुजरात, आंध्रप्रेदश, केरल और झारखंड शामिल हैं। आयातित कोयले का ज्यादा इस्तेमाल वह खुद अपने पॉवर प्लांटों में करेंगे और बाकी दूसरी कंपनियों को बेचेंगे। अदानी का एक पॉवर प्लांट सुंदरवन में बन रहा है जो बांग्लादेश के हिस्से में है। इस पॉवर प्लांट का विरोध मछुआरा संगठन, किसान यूनियन, पर्यावरणवादी समूह और ट्रेड यूनियन कर रहे हैं।

आज दुनिया में कोल खनन और कोयले से पैदा होने वाली ऊर्जा का विरोध हो रहा है और कई देश इसके उपयोग को बंद कर रहे हैं या प्रतिबंधित कर रहे हैं, क्योंकि इससे पर्यावरणीय ऊष्मा बढ़ती है और जलवायु-परिवर्तन की समस्या पैदा होती है। ऑस्ट्रेलिया कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अदानी के कोल खनन को कानूनी चुनौती भी दी है।

अदानी का गोड्डा पॉवर प्लांट इसी वैश्विक पूंजीनिवेश और संसाधन लूट की कड़ी का हिस्सा है और साहेबगंज पोर्ट उस तक पहुंचने का सुगम मार्ग। अदानी की इन दोनों परियोजनाओं का स्थानीय स्तर पर कड़ा प्रतिरोध हो रहा है। लेकिन झारखंडी जनता द्वारा चुनी गई सरकार अदानी के आगे-पीछे खड़ी है और उनकी रक्षा में सरकारी सशस्त्र-बल और प्रशासन का पूरा तंत्र खड़ा है। यही वजह है कि निहत्थी जनता लड़ते हुए अपने को अकेला पाती है।

अभी-अभी अदानी के गोड्डा पॉवर प्लांट को झारखंड सरकार ने 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' के रूप में मंजूरी दी है। इस विशेष क्षेत्र को मंजूरी देते हुए सरकार ने बहुत ही गर्वपूर्वक कहा, "इस सेज से उत्पादित होने वाली संपूर्ण बिजली का निर्यात पड़ोस के देश बांग्लादेश में किया जाएगा, जिससे इस पूरे इलाके का विकास होगा।" उसने आगे कहा, "अदानी पॉवर प्लांट के विशेष आर्थिक क्षेत्र बनने से अन्य उद्योगों का मार्ग खुलेगा। साथ ही साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र के अन्दर लगने वाले सभी उद्योगों पर अगले कुछ सालों के लिए सभी प्रकार के टैक्सों पर छूट होगी और सभी प्रकार की सरकारी सहायता पूर्ववत जारी रहेगी।"

आज झारखंड की सरकार देश और दुनिया के पूंजीपतियों के लिए 'मोमेंटम झारखंड' का मेला लगाती है जहां झारखंड के संसाधनों की लूट के लिए बोली लगवाई जाती है और जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें राष्ट्रद्रोही घोषित करके जेलों में बंद कर दिया जाता है। दूसरी ओर, आदिवासियों के लिए सुरक्षा कवच बने कानूनों को भी पूंजीनिवेश के नाम पर पूंजीपतियों के हित में बदला जा रहा है।

चौथे 'मोमेंटम झारखंड' के लिए पूरे राज्य के साथ-साथ देश के कई दूसरे इलाकों में ऐसा प्रचार-प्रसार किया गया, मानो इससे झारखंड के जन-समुदाय का कायाकल्प होने वाला है। रांची की सड़कों को दुल्हन की तरह सजाया और संवारा गया। ऐसे ही समिट में अदानी ग्रुप ने गोड्डा में 1600 मेगावाट कोयला-आधारित अल्ट्रा-मेगा-सुपर क्रिटीकल पॉवर प्लांट और साहेबगंज में गंगा नदी पर पोर्ट स्थापित करने की घोषणा की। झारखंड में लगाई जा रही अदानी की दोनों परियोजनाओं से स्थानीय समुदायों को रत्तीभर भी फायदा नहीं है, जबकि दोनों परियोजनाएं उन्हीं की धरती पर और उनके ही संसाधनों पर कब्जा कर लगाई जा रही हैं। ये दोनों परियोजनाएं वैश्विक स्तर पर निगमीकरण का हिस्सा हैं जिनमें स्थानीय और दूसरे मुल्कों के संसाधनों का दोहन होगा और कॉर्पोरेट को फायदा ही फायदा।

इंस्टिट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एण्ड सस्टेनेबिलिटी (आइडीएस) और जन-संसाधन पीठ विगत कई दशकों से ऐसे ही ढांचागत विकास के बीच छिपे अदृश्य राजनैतिक-सामाजिक और आर्थिक 'संबंधों' व 'प्रभावों' को ढूंढने और इससे जुड़े हुए सवालों को जांचने-परखने तथा प्रभाव आकलन करने का कार्य कर रही हैं। साथ-साथ ये दोनों संस्थाएं एक वैकल्पिक, समतामूलक और लोकतांत्रिक समाज की अवधारणा को विकसित करने की पहल कर रही हैं।

राजेंद्र रवि

आभारी हैं हम

हम आभारी हैं उन तमाम लोगों के जिन्होंने भय और आतंक के माहौल में भी हमें इस शोधकार्य के लिए सामग्री जुटाने में विभिन्न स्तरों पर मदद की है।

अनुक्रम

भूमिका

आधुनिक पूंजीपतियों का साम्राज्य और वैश्विक लूट iii

विषय-प्रवेश

हम और हमारे संसाधन 1

सिर्फ झारखंड की बात नहीं 2

पारंपरिक ज्ञान और लोकतंत्र 6

संसाधनों के बचाव के उपाय 9

खंड-1 : साहेबगंज में बंदरगाह

1

सकरीगली में जीवन और बंदरगाह 14

सकरीगली : एक परिचय 14

बंदरगाह : तब और अब 16

रोजगार व व्यवसाय 18

कथा एक बस्ती के उजड़ने की 21

अपनी रोटी सेंकने वालों की कमी नहीं 30

2

रोजी-रोटी पर संकट 33

सदानीरा गंगा 34

बड़े जहाज, बड़ी समस्याएं 41

अंतर्देशीय जलमार्ग सेवा : कुछ तथ्य 43

3

जमीन से अलगाव **47**

राणा प्रताप सिंह से बातचीत 48

बलराम सिंह उवाच 52

4

संसाधनों की हिफाजत **55**

जमीन 55

नदी और जल 56

जंगल और पहाड़ 57

मानव-संसाधन 58

खंड-2 : गोड्डा में ताप विद्युत संयंत्र

5

आदिवासियों और किसानों की जमीन 62

ताप विद्युत संयंत्र का रकबा 63

पाइप लाइन, रेल लाइन और जलाशय की जमीन 63

जन-सुनवाई का नाटक 64

अधिगृहीत की जाने वाली भूमि : भूमि का प्रकार और बाजार-मूल्य 66

रैयतों से बदसलूकी 67

परियोजनाओं से प्रभावित परिवार 69

6

जल, जंगल और बालू 71

पर्यावरणीय लोक सुनवाई : एक और प्रपंच 72

7

मानव-संसाधन की उपेक्षा **76**

8

संसाधन हमारे, फायदा किसी और को **80**

परिशिष्टः संदर्भ-सामग्री **83**

विषय-प्रवेश

हम और हमारे संसाधन

पिछले साल के अंतिम महीनों में हमें झारखंड राज्य के दो जिलों— साहेबगंज और गोड्डा— को देखने-जानने का अवसर मिला। ये दोनों जिले एक-दूसरे से जुड़े हैं और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से संपन्न हैं। साहेबगंज जिले की सीमा रेखा को छूती हुई गंगा उसे झारखंड के अन्य जिलों से भिन्न स्थान प्रदान करती है। यह एकमात्र ऐसा जिला है जहां गंगा के बीच द्वीप हैं जो इस जिले का ही नहीं, संपूर्ण झारखंड का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। इस द्वीप यानी दियारे में बिना खाद-पानी की दलहन फसलें खूब उपजती हैं। जिले में पहाड़ हैं। इन पहाड़ों की अंधाधुध कटाई मन में दहशत पैदा करती है। इन दोनों जिलों में वन हैं। जगह-जगह फलदार वृक्षों— खासकर आम— के बगीचे हैं। गोड्डा में कोयला की खुली (यानी पोखरिया) और भूमिगत खदानें हैं। साहेबगंज से ललमटिया के रास्ते गोड्डा जाते समय ये आंखों के सामने स्वतः आ जाती हैं। पोखरिया खदानों में से कुछ में काम जारी है और कुछ से सारा कोयला निकाल लिया गया है। धरती के नीचे चट्टानों को तोड़ने के लिए किए जाने वाले विस्फोट से धरती कांप जाती है। कोयला क्षेत्र के किसान परेशान हैं— उन्हें बार-बार उजड़ने का भय खाए जाता है। तिस पर इन जिलों में नई-नई परियोजनाओं के लिए ली जाने वाली जमीनों की अधिसूचनाएं किसानों की नींद हराम किए हुए हैं। कहीं बंदरगाह के निर्माण के लिए जमीन ली जा रही है, कहीं ताप बिजली संयंत्र निर्माण के लिए। कहीं नई सड़क निर्माण के लिए तो कहीं पुरानी सड़क के चौड़ीकरण के लिए। कहीं रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए तो कहीं और कुछ के लिए। पहाड़ी

कहीं बंदरगाह के निर्माण के लिए जमीन ली जा रही है, कहीं ताप बिजली संयंत्र निर्माण के लिए; कहीं नई सड़क निर्माण के लिए तो कहीं पुरानी सड़क के चौड़ीकरण के लिए।

नदियां साल में कुछ ही महीने पानी लेकर दौड़ती हैं, बाकी महीनों में अपनी नमी को बरकरार रखती हैं अपने बालू के भीतर पानी छिपाकर। अब उनसे अंधाधुंध बालू निकालकर वह अधिकार भी छिना जा रहा है।

सिर्फ झारखंड की बात नहीं

सिर्फ गोड्डा व साहेबगंज जिले के संसाधनों की ही बात नहीं है, बल्कि यह पूरे झारखंड राज्य, पूरे भारत देश और पूरी दुनिया की बात है। हम कुछेक संसाधनों से संबंधित तथ्य के आधार पर सच्चाई की तह में जाएंगे। सबसे पहले जमीन की चर्चा करें। हम यहां छत्तीसगढ़ सरकार के एक विज्ञापन का मजमून ज्यों का त्यों उद्धृत कर रहे हैं। इस विज्ञापन में दर्ज है, "बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में टाटा इस्पात संयंत्र के लिए सन् 2008 में 10 ग्रामों बड़ांजी, बड़ेपरोदा, बेलर, बेलियापाल, छिंदगांव, दाबपाल, धुरागांव, कुम्हली, टाकरागुड़ा एवं सिरिसगुड़ा के 17 सौ से अधिक किसानों की 1764 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई थी। कंपनी द्वारा वहां उद्योग की स्थापना नहीं की गई और वर्ष 2016 में राज्य सरकार को पत्र लिखकर उद्योग लगाने में अपनी असमर्थता जताई। नई सरकार ने 10 दिन के भीतर यह फैसला लिया कि किसानों को उनकी जमीन लौटा दी जाएगी। 26 जनवरी 2019 से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 23 किसानों को अधिकार-पत्र सौंपकर इसकी शुरुआत की है।" (*हिन्दुस्तान*, नई दिल्ली, 16 फरवरी 2019) इस विज्ञापन का शीर्षक है— *उद्योग नहीं लगने पर आदिवासियों की जमीन वापस : देश में मिशाल बना लोहांडीगुड़ा (बस्तर)*। इस विज्ञापन में 'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़' के नारे के साथ इस कार्रवाई को 'आदर्श पुनर्वास नीति के पालन के लिए प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ सरकार' का नारा भी दिया गया है।

कांग्रेस ने देशी-विदेशी पूंजीपतियों के हित में अपनी ही धरती पर एक स्वतंत्र उपनिवेश के तौर पर सेज (SEZ) का प्रावधान किया तो भाजपा ने दो कदम और आगे बढ़कर औद्योगिक गलियारे का।

स्मरणीय है कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की पहल 1990 के दशक के प्रारंभ में सबसे पहले कांग्रेस ने की थी। इसके बाद जिस किसी पार्टी ने केंद्र सरकार में सत्ता हासिल की, उसने उस नीति को आगे ही बढ़ाया। हर पार्टी के दो चेहरे रहे हैं— एक सत्ता पक्ष वाला चेहरा और दूसरा विपक्ष वाला चेहरा। राज्य सरकार में सत्ता संभालने वाली पार्टियां भी इस नीति से अलग नहीं रही हैं। अगले कुछ ही महीने में चुनाव होने वाला है और किसानों ने अपने जुलूस-प्रदर्शन के माध्यम से जता दिया है कि वे सरकार की किसान विरोधी नीतियों से नाराज हैं। साथ ही, पिछले चुनावों में मतदान करके भी बता दिया है कि वे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से खुश

नहीं हैं। इसका परिणाम यह है कि केंद्र में सत्तासीन भाजपा ने भी अपने नए बजट में 'प्रधानमंत्री किसान-सम्मान निधि' की घोषणा कर दी है। इसमें छोटे किसानों को हर साल सरकार की ओर से 6000 रुपये मिलेंगे।

लेकिन ये सरकारों के दांव-पेंच हैं किसानों को लुभाने के लिए। उनकी असल मंशा तो है उद्योगपतियों-पूंजीपतियों के हित में काम करना, जिनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। किसान इन दिनों बेचारा बना दिए गए हैं। उनकी जमीन से उन्हें ही बेदखल करने की नीति पर चल रही हैं सरकारें। कांग्रेस ने देशी-विदेशी पूंजीपतियों के हित में अपनी ही धरती पर एक स्वतंत्र उपनिवेश के तौर पर सेज (SEZ) यानी स्पेशल इकॉनॉमिक जोन का प्रावधान किया तो भाजपा ने दो कदम और आगे बढ़कर औद्योगिक गलियारे का। कहां तो आजादी के बाद समाजवाद का सपना दिखाया था हमारे संविधान ने, और कहां सबकुछ छीन लेने की जुगत में हैं सरकारें! लेकिन यह लोकतंत्र की ताकत है कि सरकारें अपने कदम पीछे हटाने को भी विवश होती हैं। जब-जब जनता की प्रतिरोधी आवाजें तीव्र से तीव्रतर हुई हैं, तब-तब सरकारों को अपने जन-विरोधी कदम वापस लेने पड़े हैं। लेकिन सरकार और जनता के बीच इस टकराव से स्थायी समाधान निकलने से तो रहा!

देशी-विदेशी बड़ी-बड़ी कंपनियां ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश कर रही हैं और सरकारों को अपनी शर्तों पर नचा रही हैं। अडानी की गोड्डा स्थित ताप विद्युत परियोजना इसका एक ज्वलंत उदाहरण है।

जमीनें सिर्फ कल-कारखाना स्थापित करने के लिए ही नहीं ली जा रही हैं। ये जमीनें ली जा रही हैं एक्सप्रेस-वे, हाइ-वे, रिंग रोड, हवाई अड्डा, प्रतिबद्ध रेलवे कॉरिडोर, हाईस्पीड रेलवे, मेट्रो रेल, बंदरगाह, आदि-आदि के लिए। कहा जाता है कि ये सब चीजें जनता के हित में बनाई जा रही हैं। लेकिन व्यवहार में ये सारी परियोजनाएं उद्योगपतियों-पूंजीपतियों का हित-साधक ठहरती हैं। जनता से जमीनें लेकर उन्हें सौंप दी जाती हैं कि वे उस पर मॉल बनाएं, अपार्टमेंट खड़ा करें, भव्य सितारा होटल बनाएं। सरकार की परियोजनाएं भी उन्हें ही लाभ पहुंचाती हैं— वे ही इन परियोजनाओं के निर्माता होते हैं, इनकी देखरेख की ठेकेदारी लेते हैं। अब तो पीपीपी अर्थात् पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की धूम है। सरकार हर काम को प्राइवेट हाथों में सौंप रही है। रेलवे स्टेशन की साफ-सफाई से लेकर अन्य व्यवस्था को संभालने तक। प्राइवेट शिक्षण-संस्थान, अस्पताल, आदि धड़ल्ले से खुल रहे हैं। ये सरकार से लगभग मुफ्त में जमीन लेते हैं। जमीन लेते समय ये सरकार से वादा करते हैं कि गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देंगे, गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे— लेकिन संस्थान के चालू होते ही ये वादे को भूल जाते हैं। ये इतने ढीठ हैं कि न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना करने से नहीं चुकते।

बड़ी-बड़ी देशी-विदेशी कंपनियां ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश कर रही हैं और सरकारों को अपनी शर्तों पर नचा रही हैं। अडानी की गोड्डा स्थित ताप विद्युत परियोजना इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। सरकार में शामिल लोग इस स्थिति को इसलिए स्वीकार करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनका हित सधता है। वर्तमान सरकारें तो पिछली सरकारों से भी आगे हैं। केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों के हित साधन के लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिए हैं। पूंजीपति बैंक से पैसा निकालते हैं और ऋण चुकाए बिना देश से फरार हो जाते हैं। इस तरह जमीन जनता की, पैसा जनता का और मुनाफा पूंजीपति-उद्योगपति का।

प्राकृतिक संसाधनों में जल एक प्रमुख संसाधन है। कहा गया है कि जल ही जीवन है। पृथ्वी का तीन-चौथाई हिस्सा जल से ढका है और एक चौथाई थल है। थल सीमित है, इसलिए जमीन का महत्व है। किंतु ज्यादा मात्रा होने के बावजूद सारा जल न पीने योग्य है, न सिंचाई योग्य और न ही अन्य-अन्य कामों के लायक। मीठा पानी कम ही है। खारा पानी ज्यादा है। समुद्र में जल की विशाल राशि है, किंतु यह सारा पानी खारा है। खारा होने के बावजूद इसमें अनेकानेक जीव-जंतु रहते हैं जिनमें मछलियां सर्वप्रमुख हैं। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के इस दौर में समुद्र में मछली मारने का ठेका बड़ी-बड़ी कंपनियां प्राप्त कर रही हैं। नदियों पर जल-जमींदारों का कब्जा है। अब 111 नदियों में राष्ट्रीय जल-मार्ग की घोषणा हो चुकी है। जाहिर है, इनमें जहाज चलाने, बंदरगाह बनाने व उसका रख-रखाव करने, तटबंध का सौंदर्यीकरण करने इत्यादि काम इन्हीं के हाथों में आने वाला है। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर काम शुरू हो चुका है। वाराणसी, सकरीगली (साहेबगंज) आदि जगहों में निजी कंपनियां अपना हित साध रही हैं। नदियों से बालू उठाने के काम में भी वैध-अवैध तरीके से छोटे-बड़े निजी ठेकेदार अफसरों से सांठ-गांठ करके कमाई कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में पहले एक नदी ही बेच दी गई थी और जनता के प्रतिरोध में उतरने पर वह आदेश वापस लिया गया।

गंगा, यमुना और अन्य अनेक नदियां प्रदूषण का इतना अधिक शिकार हैं कि इनकों निर्मल बनाने के नाम पर करोड़ों-करोड़ रुपये बहाने के बावजूद इनकी गंदगी में कोई फर्क नहीं आया है।

हम जानते हैं कि विभिन्न कारणों से भूमिगत जल और भू-जल दोनों ही दूषित हो रहे हैं। यह जल अब पीने लायक नहीं रहा। तो पीने के पानी के कारोबार में कई सारी कंपनियां उतर गई हैं। वे भूमिगत जल का थोड़ा शोधन करके बोतल में बंद करके शुद्ध खनिज जल के रूप में बेच रही हैं। सरकार जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के अपने दायित्व से पल्ला झाड़ रही है। पहले जहां रेलवे स्टेशनों पर तथा नगरों के विभिन्न ठिकानों पर मुफ्त पेयजल उपलब्ध होता था, वहां अब शुल्क देकर पानी खरीदना पड़ता है। कुंआं, चापाकल आदि का पानी अब पीने लायक नहीं

रहा। जहां पीने लायक पानी उपलब्ध होने की संभावना है भी, वहां भूमिगत पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। जल-स्तर के दिनानुदिन नीचे उतरने का कारण है भूमिगत पानी का अत्यधिक दोहन। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे बीज उपलब्ध करा रही हैं, जिनसे बेहतर उपज लेने के लिए अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। लोग नीचे से पानी लेकर यह सिंचाई करते हैं। पुरानी परंपरा में वर्षा जल का अधिकाधिक उपयोग होता था सिंचाई और पेयजल के रूप में। तालाब, पोखर, कुंए आदि में पानी का संचय किया जाता था। अब इन जलस्रोतों को या तो मिट्टी डालकर पाट दिया गया है और उस जगह का इतर उपयोग हो रहा है, या उनमें जो पानी इकट्ठा हो रहा है, वह इतना गंदा रहता है कि किसी काम का नहीं है। कंपनियां अपने कल-कारखानों को चलाने के लिए भी नदी जल व भूमिगत जल का उपयोग करती हैं और अपने कचरे को भूमि के अंदर छेद करके डालने की प्रक्रिया द्वारा या बिना शोधन के नदी में डालने के द्वारा उस जल को दूषित करती हैं। गंगा, यमुना और अन्य अनेक नदियां प्रदूषण का इतना अधिक शिकार हैं कि इनको निर्मल बनाने के नाम पर करोड़ों-करोड़ रुपये बहाने के बावजूद इनकी गंदगी में कोई फर्क नहीं आया है। नदियां गंदा नाला में तब्दील हो चुकी हैं। अडानी का गोड्डा ताप विद्युत संयंत्र भी भूमिगत व नदी जल-दोहन और प्रदूषण में योगदान देने वाला है।

जंगल और पहाड़ एक-दूसरे से जुड़े भी हैं। ये विभिन्न जीव-जंतुओं की शरण-स्थली भी हैं। इनका यों ही कटते जाना मानव के लिए भी बड़ा खतरा है।

नदी जल, समुद्र जल और भूमिगत जल पर कंपनियों के कब्जे से सामान्य आदमी की जिंदगी असामान्य होने की राह पर है। नाविकों, मछुआरों और किसानों का जीवन तबाही की ओर मुखातिब है। नाविक न तो अपनी नौकाएं चलाकर अपने लिए जीविका अर्जित कर सकते हैं और न तो किसान अपने खेतों, मवेशियों और परिवार के लोगों को पानी उपलब्ध करा सकते हैं। बिन पानी सब सून।

पूंजीवाद को खुली छूट देने से हवा भी जहरीली होती जा रही है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से तमाम जीव-जंतुओं का जीना दूभर होता जा रहा है। नगरों की स्थिति तो और भी बुरी है। दिल्ली महानगर से ज्यादा प्रदूषित हैं पटना और गया। इस हवा को प्रदूषित बनाने में कल-कारखानों से ज्यादा भूमिका निभा रही हैं मोटर चालित गाड़ियां। ये तेल-गैस पीती हैं और हवा में CO_2, SO_2 और NO_2 जैसी जहरीली गैसें उत्सर्जित करती हैं। ये गैसें वर्षा के पानी में घुलकर जब पेड़-पौधों पर पड़ती हैं तो अपने तेजाबी गुण के कारण उन्हें नष्ट करती हैं। जिस तरह से हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि एक दिन वह भी आने वाला है कि लोग अपने साथ बोतल बंद पानी की तरह सिलिंडर वाला ऑक्सीजन भी लेकर चला करेंगे।

जंगल और पहाड़ सिर्फ प्राकृतिक संरचना भर नहीं हैं। जंगल होने से हवा शुद्ध रहने में मदद मिलती है। वृक्ष कार्बनडाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये पृथ्वी की सतह को ठंडा रखने के साथ-साथ मिट्टी के अपरदन को भी रोकते हैं। जैसे-जैसे पेड़ कट रहे हैं, नदियों में गाद की समस्या गहराती जा रही है। पहाड़ भी जलवायु को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। ये आंधी-तूफान से बचाते हैं जीव और जगत को। वर्षा को संभव बनाते हैं खास-खास इलाकों में। जंगल और पहाड़ एक-दूसरे से जुड़े भी हैं। ये विभिन्न जीव-जंतुओं की शरण-स्थली भी हैं। इनका यों ही कटते जाना मानव के लिए भी बड़ा खतरा है। इनमें अन्य जीव-जंतुओं के साथ-साथ मानव भी तो रहते हैं। जंगल से मिलने वाली लकड़ी से गृह-निर्माण के काम आने वाली अनेक चीजें (जैसे— खिड़की-दरवाजों की चौखट व फ्रेम) तथा फर्नीचर (कुर्सी, मेज, आदि) बनती हैं। इसके अलावे भी लकड़ी से हजारों चीजें बनती हैं। वृक्षों की पत्तियां, छाल और फल जीव-जंतुओं के खाने व दवा के काम आते हैं। पहाड़ के पत्थरों से गृह निर्माण व अन्य निर्माण संबंधी सामग्रियां बनती हैं— जैसे पटिया, गिट्टी, सीमेंट आदि-आदि। इन पहाड़ों के नीचे भी अनेक जगह खनिज दबे हैं। कंपनियां इन सभी संसाधनों का दोहन कर रही हैं।

प्राकृतिक संसाधन अनेकानेक हैं जो एक-दूसरे से जुड़े हैं। यदि नदी की बात होगी तो जल की भी, उसमें रहने वाले जीवों की भी और उसके बालू की भी। जमीन के साथ उसके ऊपर के जंगल, पहाड़ और नीचे के खनिज पदार्थ की भी चर्चा होगी। इस तरह से विभिन्न संसाधन एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। हम उनकी अलग-अलग चर्चा इसलिए करते हैं ताकि उनकी विशिष्टता को ठीक से पहचाना जा सके। सभी संसाधनों के बीच मनुष्य भी एक संसाधन के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि यह भी किसी काम को करने का एक साधन है। मशीनों की बहुतायतता और उन्नतता ने पूंजीवादी तंत्र को यह अवसर दिया है कि वह मनुष्य की उपेक्षा करके अपना मुनाफा बढ़ा सकता है।

किसानों को उसकी सारी परंपरागत चीजों और जानकारियों से बेदखल किया जा रहा है। उसके बीज, उसके खाद, उसके अन्न की किस्म आदि-आदि से उसे महरूम किया जा रहा है।

पारंपरिक ज्ञान और लोकतंत्र

20 वीं सदी के आखिरी दशक से दुनिया-भर में पूंजीवाद अपनी जड़ें तेजी से जमाने में लग गया है। समाजवादी देशों में समाजवाद के पतन से उसे अपनी शक्ति पर गहरा विश्वास हो गया है। कम्युनिस्ट कहे जाने वाले चीन में भी देशी-विदेशी पूंजीपतियों का ही बोलबाला है। भारत में भी स्थिति इससे भिन्न नहीं है। पूंजीपतियों के हित में कानूनों में नित संशोधन किए जा रहे हैं और

फिर भी बात नहीं बनती तो नए कानून बनाए जाते हैं। इस सारे प्रपंच का मतलब यह है कि प्राकृतिक संसाधनों को जनता के हाथों से निकालकर पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाए। यह सब होता है 'कानून का शासन' की आड़ में, विकास के नाम पर। जमीन, जंगल, जल, पहाड़, नदी, खनिज— सबकुछ लुटाने को तत्पर सरकारें माला जपती हैं— विकास, विकास, विकास.....। मगर किसका विकास? क्या किसानों, आदिवासियों, मछुआरों, मजदूरों, आदि से उनके संसाधन छीनकर उनका विकास संभव है ? कतई नहीं। सच्चा विकास तो अपने संसाधनों पर नियंत्रण और ज्ञान के आधार पर ही हो सकता है।

पहले अपने आम जरूरत की चीजों के मामले में ग्राम-समाज आत्मनिर्भर था। गांव के लोग विविध चीजों का उत्पादन करते थे।

यह अजीब किस्म का विकास है कि जनता के संसाधनों— जल, जंगल, जमीन, खनिज, पहाड़, इत्यादि— पर कब्जा जमाया जाए और उसके परंपरागत ज्ञान को उससे छीन लिया जाए या मिटा दिया जाए। विशालकाय, दैत्याकार और नई तकनॉलॉजी वाली मशीनों को ही विकास का एकमात्र साधन घोषित किया जाए। हो यह रहा है कि किसानों को उसकी सारी परंपरागत चीजों और जानकारियों से बेदखल किया जा रहा है। उसके बीज, उसके खाद, उसके अन्न की किस्म आदि-आदि से उसे महरूम किया जा रहा है। इसके बाद उसे उन्नत बीज, उन्नत खाद, उन्नत कीटनाशक के नाम पर बड़ी-बड़ी कंपनियों के उत्पाद थमा दिए जाते हैं। ये उत्पाद उसके खेत की मिट्टी के लिए नए होते हैं, उन्हें अधिक पानी की जरूरत होती है तथा उस मिट्टी की स्वाभाविक उर्वरा-शक्ति के विनाशक होते हैं। नए किस्म के उन्नत बीज एकाध बार तो अच्छी उपज देते हैं भरपूर रासायनिक खाद, पानी और कीटनाशक देने के बाद। किंतु इन सारी चीजों में वह गुण नहीं होता जो पारंपरिक खेती में होता है। इन तथाकथित उन्नत बीज, खाद व कीटनाशकों ने कृषि-मित्र जीवों का भी सफाया कर दिया है। अब खेतों में केंचुए और केंकड़े नहीं मिलते, जो खेतों की मिट्टी को चालकर उसे उर्वर बनाते थे। खेतों से मेढ़कों की विदाई हो गई है, जो फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीट-पतंगों को चट कर जाते थे। धान के खेतों में मछलियां होती थीं, जो गरीब किसानों के लिए अच्छा खाद्य थीं। ये मछलियां नदी-नालों में भी हुआ करती थीं। रासायनिक कीटनाशकों ने पर्यावरण की विविधता और जीवंतता को नष्ट कर दिया है। प्राकृतिक कीटनाशक (नीम की खल्ली, नीम की पत्ती, नीम की छाल, तंबाकू के डंठलों के बुरादे, लेमनग्रास को सुखाकर बनाए गए चूर्ण आदि) तथा पशु व मानव के मल-मूत्र और पेड़-पौंधों की पत्तियों से तैयार खाद पर्यावरण को क्षतिग्रस्त नहीं करते। हद तो तब हो जाती है जब इन्हीं चीजों को बड़ी-बड़ी कंपनियां ब्रांड नाम से कार्बनिक खेती के आवश्यक उपादान के रूप में प्रस्तुत करती हैं। किसान खेती के जिन तौर-तरीकों को पारंपरिक तौर पर

अपनाते थे, उन्हें ही अब कार्बनिक खेती के तौर पर परोसा जा रहा है। लेकिन यह होता है तब जब लोगों से उनका कौशल छीन चुका होता है। यह तरीका लोकतंत्र-विरोधी है कि लोक की बजाय कुछ इने-गिने व्यक्तियों, संस्थाओं, कंपनियों के लाभ-लोभ को ध्यान में रखकर चीजों को परिभाषित किया जाए, तकनीकों को प्रोत्साहित या हतोत्साहित किया जाए, कानूनों को बनाया-बिगाड़ा जाए।

मशीनीकरण में हर समस्या का समाधान अनेक समस्याएं पैदा कर रहा है। मशीनें मानव के हाथ को खाली बना रही हैं। नित नई-नई मशीनें आ रही हैं सर्वत्र। ये मशीनें पहले से काम पर लगे मजदूरों की भी छंटनी कर रही हैं— खेत-खलिहानों से लेकर कल-कारखानों तक। कारखानों में रोबोट का आना पूरे मानव-श्रम के लिए खतरे की घंटी है। हार्वेस्टर जैसी मशीनें खेतों में खर-पतवार इतना अधिक छोड़ती हैं कि किसान उन्हें जलाकर खेतों को साफ करते हैं। इससे सारा वातावरण विषाक्त हो जाता है। चारों तरफ कार्बनडाइऑक्साइड गैस और धूलकणों की वृद्धि ही वृद्धि। पशुओं के लिए चारे की किल्लत अलग से। आजीविका-विहीन लोग कानून व व्यवस्था के लिए भी समस्या बनते हैं। अपराध-वृत्ति बढ़ रही है, सर्वत्र— क्या गांव, क्या शहर!

मशीनों पर इतना यकीन बढ़ गया है कि लोगबाग स्थानीयता को तिलांजलि दे रहे हैं। जो चीजें स्थानीय स्तर पर उपजाई जाती थीं या निर्मित की जाती थीं, उन्हें दूर देश से मंगाया जाता है। पहले अपने आम जरूरत की चीजों के मामले में ग्राम-समाज आत्मनिर्भर था। गांव के लोग विविध चीजों का उत्पादन करते थे। जूता-चप्पल, कपड़े-लत्ते, तेल, गुड़, दलहन, गेहूं, चावल, आदि सबकुछ बनाते थे, उपजाते थे। पूंजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया ने गांव-समाज को पंगु बना दिया है। किसान अपने खेत में गेहूं उपजाता है, किंतु दलहन नहीं। इसलिए उसे रोटी तो घर के गेहूं की मिलती है और विदेश से आयतित दाल पर निर्भर रहना पड़ता है। किसान मोटा अनाज उपजाना भूल गए हैं— मक्का, ज्वार, बाजरा, सांवां, कोदो आदि-आदि उन्हें कदन्न लगता था और इन्हीं चीजों को बड़ी-बड़ी कंपनियां डिब्बों में पैक करके पौष्टिक आहार के नाम पर बेच रही हैं हमीं के बीच। पहले हेय बताकर हमारा ज्ञान, हमारा अन्न, हमारी तकनीक, हमारी संस्कृति छीन ली जाती है और सबकुछ लुट जाने पर उन्हीं चीजों को श्रेष्ठ बताकर दुबारा हमें परोसा जाता है कीमत लेकर। इस अनुचित व्यापार को हमारी सरकारें फलने-फूलने का अवसर देती हैं। एक शिष्ट समाज को, एक सचमुच के लोकतंत्र को ऐसी हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए।

मशीनें मानव के हाथ को खाली बना रही हैं। नित नई-नई मशीनें आ रही हैं सर्वत्र। ये मशीनें पहले से काम पर लगे मजदूरों की भी छंटनी कर रही हैं— खेत-खलिहानों से लेकर कल-कारखानों तक।

संसाधनों के बचाव के उपाय

प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और क्षयशील हैं। इनकी सुरक्षा, संरक्षा और संयमपूर्वक उपयोग में ही मानव और जगत की भलाई है। संसाधनों की हिफाजत के लिए निम्नांकित कदम उठाए जाने चाहिए—

• **संयमपूर्वक उपभोग–** प्रकृति ने मनुष्य को अनेक संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इन संसाधनों का उपयोग संयम और बुद्धिमत्तापूर्वक किया जाए तो सबकी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। मानव ने इतिहास के विकास-क्रम में ऐसी बहुत-सी चीजें सीखी हैं जो संसाधनों के कम से कम इस्तेमाल से सबके लिए जीवन को सुगमता प्रदान करती हैं। संसाधनों का उपभोगवादी नजरिया समाज विरोधी नजरिया है, जो अपने स्वार्थ की सिद्धि को ही सबसे बड़ी चीज मानता है। यदि हम यह मानें कि हर संसाधन पूरे समाज का है तो हमारा नजरिया उस उपभोगवादी नजरिया से भिन्न होगा। हम चीजों के गुलाम न होंगे, बल्कि हम प्रकृति से उतना ही लेंगे जितना जीवन की रक्षा के लिए अत्यावश्यक होगा। हम स्वयं के लिए वस्तुओं के संचय की जगह न्यूनतम से काम चलाएंगे। इससे कम संसाधन से भी अधिक से अधिक लोगों की जरूरतें पूरी होंगी।

हम यह मानें कि हर संसाधन पूरे समाज का है तो हम चीजों के गुलाम न होंगे, बल्कि हम प्रकृति से उतना ही लेंगे जितना जीवन की रक्षा के लिए अत्यावश्यक होगा।

• **स्थानीयता को प्राथमिकता–** हमें उन चीजों का उपयोग करने की आदत डालनी चाहिए जो स्थानीय तौर पर उपजती हैं, उत्पादित होती हैं। हमें इस तरह का तंत्र खड़ा करना चाहिए कि आम जरूरत की चीजें स्थानीय तौर पर ही उत्पादित की जा सकें। यही नहीं, हमारे कार्यस्थल और आवास-स्थल के बीच की दूरी भी कम से कम होनी चाहिए। इससे परिवहन के लिए चौड़ी-चौड़ी सड़कों की जरूरत नहीं होगी। स्थानीयता को महत्व देने से बहुत-सारी यात्राओं और वस्तुओं की ढुलाई की दूरी न्यूनतम हो जाएगी।

• **पारंपरिक ज्ञान का सम्मान–** अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए लोग पारंपरिक ज्ञान-विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। यह ज्ञान-विज्ञान पर्यावरण के अनुकूल होता है, इसमें हजारों वर्ष का अनुभव संचित रहता है। इसमें स्थानीय चीजों से समस्या का हल ढूंढ़ने की युक्ति होती है। यह नई चीजों को अपनाते समय अपनी कसौटी पर कसता है कि क्या वास्तव में यह चीज अपनाने से समाज का हित होगा!

• **कबाड़ से जुगाड़ यानी वस्तुओं का पुनर्चक्रण–** 'उपयोग करो और फेंक दो' की बजाय उस कबाड़ से नई वस्तु का निर्माण कैसे हो सकता है– इस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कबाड़ से नई वस्तु का निर्माण किया जा सकता है तो करना चाहिए और उस नई निर्मित वस्तु को काम में लाना चाहिए। हमारा पारंपरिक समाज इसमें माहिर रहा है। उसने मल-मूत्र, घास-फूस, जैसी चीजों का इस्तेमाल खाद के रूप में करना हमें सिखाया। यह खाद रासायनिक खाद की तुलना में खेत के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा उपयोगी है।

• **पवन-ऊर्जा और सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन–** बड़े बांध बनाकर पन-बिजली पैदा करने या कोयला आधारित बड़े संयंत्र से ताप-विद्युत पैदा करने की बजाय घर की छतों पर या खेतों में सौर प्लेटों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करना ज्यादा बेहतर है। इस तरह ऊर्जा प्राप्त करने में संसाधनों का अपव्यय नहीं होता है। नावों और वाहनों को चलाने में भी सौर ऊर्जा का उपयोग करने की तकनीक के विकास से पर्यावरण-मित्र ऊर्जा की खोज में नए-नए आयाम जुड़ेंगे। प्राचीन काल से वायु की शक्ति का इस्तेमाल पानी के जहाजों (लकड़ी से निर्मित बड़ी-बड़ी नावों) और नावों को चलाने के लिए होता रहा है।

• **जल-संचय के लिए छोटे बांध और तालाब–** अपनी जल-संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए छोटे तालाब और छोटे बांध ज्यादा उपयोगी हैं। जल-संचय के ये माध्यम जमीन और जंगल जैसे संसाधनों को बरबाद नहीं करते, जैसा कि बड़े बांधों के निर्माण से होता है। बड़े बांध टूटते हैं तो आस-पास के इलाकों में जल-प्रलय की स्थिति ला देते हैं। बड़े बांधों के जल-संग्रहण क्षेत्र में गाद भरते जाने से बरसात के समय उसका डूब क्षेत्र बढ़कर बाढ़ ला देता है। छोटे बांधों के जल-संग्रहण क्षेत्र में गाद की सफाई करना आसान भी है। छोटे बांध और तालाब कभी भी ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं करते, जिस पर मानव द्वारा नियंत्रण न किया जा सके।

छोटे बांधों के जल-संग्रहण क्षेत्र में गाद की सफाई करना आसान भी है। छोटे बांध और तालाब कभी भी ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं करते, जिस पर मानव द्वारा नियंत्रण न किया जा सके।

• **वृक्षारोपण पर बल–** वन-क्षेत्र से जो भी पेड़ काटे जाएं, उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाने चाहिए। सड़क के दोनों किनारों, नहरों के किनारों और नदियों के किनारों पर वृक्ष लगाकर वन-क्षेत्र में आई कमी की एक हद तक भरपाई की जा सकती है। ये वृक्ष फलदार हों तो और बेहतर। वैसे वृक्ष लगाते समय उसके उपयुक्त मिट्टी की गुणवत्ता का अवश्य ख्याल रखना चाहिए। ये वृक्ष

लकड़ी संबंधी जरूरतों को भी पूरा करेंगे। बाग-बगीचा लगाते समय उन वृक्षों की रोपाई से बचना जरूरी है जो हमारी मिट्टी और पर्यावरण के अनुकूल नहीं हैं।

• **समयानुकूल व्यवसायों का विकास–** समय पीछे की ओर नहीं लौटता। इसलिए आज की स्थिति में खेती-किसानी, पशु-पालन, उद्योग का स्वरूप क्या हो जिसमें मानव के लिए अधिकाधिक रोजगार की संभावना हो और पर्यावरण को क्षति न पहुंचे— इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। इस व्यवसाय-सृजन में किसी व्यक्ति-विशेष का हित नहीं, बल्कि सर्वहित का आग्रह होना जरूरी है।

• **वैश्वीकरण नहीं, अंतर्राष्ट्रीयता का आग्रह–** वैश्वीकरण का नारा पूंजीवाद का हित साधक है। इसमें पूंजी को तो सब जगह आने-जाने की आजादी है, लेकिन श्रमिक वर्ग को अपने घेरे से बाहर निकलने पर पाबंदी है। अमरीका अपने को मानवता का हितरक्षक बताने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन वह मैक्सिको और अमरीका की सीमा रेखा पर पक्की दीवार बनाने के लिए बेताब है ताकि लोग उधर से अमरीका में प्रवेश न करें। दुनिया की आबादी आज भी इतनी अधिक नहीं है कि एक न्याय-प्रिय समाज की स्थापना के लिए इसके संसाधन कम पड़ें। अंतर्राष्ट्रीयतावाद का नारा ही पूंजीवाद के नारे का सटीक जवाब हो सकता है।

वैश्वीकरण में पूंजी को तो सब जगह आने-जाने की आजादी है, लेकिन श्रमिक वर्ग को अपने घेरे से बाहर निकलने पर पाबंदी है।

और अंत में

कुल मिलाकर बात इतनी-सी है कि मानव-समाज में संसाधनों का न्यायोचित बंटवारा हो। इस बंटवारे में प्रकृति की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करना न केवल अन्य जीव-जंतुओं की हिफाजत के लिए सही है, बल्कि यही मानव-हित में भी है। संसाधन जितना अधिक सुरक्षित रहेंगे, हम भी उतना ही अधिक सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ तथा दीर्घजीवी बनेंगे— व्यक्ति और समाज दोनों ही रूपों में। किसी भी तौर-तरीके से किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह को संसाधनों की लूट की छूट देना उचित नहीं है। ऐसी कोई भी गतिविधि समाज के लिए अहितकर है। ■

खंड - 1

साहेबगंज में बंदरगाह

1

सकरीगली में जीवन और बंदरगाह

सकरीगली : एक परिचय

साहेबगंज जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर पूरब की ओर है सकरीगली। साहेबगंज से सकरीगली जाने के लिए सड़क मार्ग भी है और रेलमार्ग भी। रेलमार्ग के समांतर पहले बाएं और फिर दाएं जाता है सड़क मार्ग। सकरीगली रेलवे स्टेशन तीन-चार दशक पहले सकरीगली जंक्शन कहलाता था, क्योंकि वहां से दो रेलवे लाइनें आगे दो दिशाओं में जाती थीं। ये लाइनें अब भी जाती हैं इन दो दिशाओं में, लेकिन अब एक दिशा अवरुद्ध हो गई है। अवरुद्ध लाइन सिर्फ गंगा की ओर कुछ दूर तक जाती है। दूसरी लाइन कोलकाता की ओर निकल जाती है।

एक स्थानीय व्यक्ति का कहना है, "आज जहां सकरीगली गांव है, पहले वहां सकरीगली घाट नाम का एक रेलवे स्टेशन भी हुआ करता था। यहां से एक ट्रेन चलती थी जो सकरीगली जंक्शन (वर्तमान सकरीगली रेलवे स्टेशन) तक आती-जाती थी। सकरीगली घाट से स्टीमर सेवा चलती थी जो गंगापार मनिहारी घाट तक जाती थी। यह स्टीमर सेवा खुद रेलवे द्वारा चलाई जाती थी। भारत के उत्तर-पूर्व की ओर जाने का रास्ता तब यहीं से होकर गुजरता था। उन दिनों सकरीगली का बड़ा महत्व था। इस कस्बे की अपनी रौनक थी। यहां हजार-बारह सौ कुली काम करते थे। सकरीगली घाट और सकरीगली जंक्शन इन दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास हाट-बाजार हुआ करते थे। फरक्का में बैराज और पुल बनने और वहां से रेलमार्ग और सड़क मार्ग चालू होने के बाद सकरीगली घाट रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया। इससे हुआ यह कि सकरीगली

फरक्का में बैराज और पुल बनने और वहां से रेलमार्ग और सड़क मार्ग चालू होने के बाद सकरीगली घाट रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया।

का यह हिस्सा महज एक माल यार्ड के रूप में ही शेष रह गया। यहां अब मालगाड़ियों में पत्थर व गिट्टी लादी जाती है और देश के विभिन्न हिस्सों में भेजी जाती है।"

एक दूसरा आदमी बताता है, "सकरीगली रेलवे स्टेशन जहां है, आज सिर्फ वहीं प्रतिदिन हाट-बाजार लगता है। पक्की सड़क के आसपास दोनों तरफ कई-कई दुकानें हैं। यहां आम जरूरत की तकरीबन हर चीज मिल जाती है। जो चीज यहां नहीं मिलती है, उसके लिए साहेबगंज जाना पड़ता है। साहेबगंज जाने के लिए ऑटोरिक्शा और रेलगाड़ियां दोनों की सेवाएं उपलब्ध हैं। हां, रेलगाड़ी की सेवाएं सीमित हैं, किंतु सुबह से शाम तक हर 5-7 मिनट पर ऑटोरिक्शा की सेवाएं उपलब्ध हैं। ऑटो रिक्शा से जाइए या पैसेंजर रेलगाड़ी से— किराया है 10 रुपये प्रति यात्री। यहां सेवारत ऑटो रिक्शे शेयर ऑटो रिक्शे हैं।"

सकरीगली कहने से आज उस संपूर्ण इलाके का बोध होता है जो सकरीगली रेलवे स्टेशन और गंगा नदी के बीच फैला हुआ है और इसके आसपास है।

सकरीगली रेलवे स्टेशन के आसपास न केवल दुकानें हैं, बल्कि वहां बड़े पैमाने पर क्रैशर से पत्थर तोड़ने का धंधा भी होता है। यह स्टेशन चार प्लेटफार्मों वाला है। स्टेशन के सामने और इसके पूरबी भाग में गिट्टी बनाने का काम होता है और यहीं से यह सारा माल मालगाड़ी में लदकर देश के विभिन्न हिस्सों में जाता है। सकरीगली घाट रेलवे स्टेशन का अस्तित्व समाप्त हो गया है, लेकिन वहां बने स्टाफ क्वार्टर्स के अवशेष उसकी निशानदेही कराते हैं। जो क्वार्टर्स अभी टिके हुए हैं, उन पर स्थानीय लोगों का कब्जा है। उनमें लोग घास-भूसा, उपला इत्यादि रखते हैं। सकरीगली का एक विस्तृत अर्थ भी है। सकरीगली कहने से आज उस संपूर्ण इलाके का बोध होता है जो सकरीगली रेलवे स्टेशन और गंगा नदी के बीच फैला हुआ है और इसके आसपास है। सकरीगली में बन रहा बंदरगाह दरअसल 'रामपुर स्थित सकरीगली' ग्रामपंचायत का एक हिस्सा है, जो समदा गांव से थोड़ा हटकर पूरब में है— गंगा के किनारे समदानाला मौजे में। बंदरगाह का निर्माण-कार्य जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, यह इस पंचायत के कई मौजों की भूमि पर पसरेगा। इस बंदरगाह को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए एक सड़क मार्ग बनाया जा रहा है। यह मार्ग रामपुर स्थित सकरीगली ग्राम पंचायत के तहत आने वाले एक मौजे के अलावा बड़ी भागियामारी ग्राम-पंचायत के एक मौजे से भी गुजर रहा है। मुख्य सड़क से मिलने के पहले यह सड़क रेलवे लाइन भी पार करेगी। दरअसल यह सड़क एकदम कोई नई सड़क नहीं है, बल्कि एक पुरानी पतली सड़क को चौड़ा करके ही यह नई सड़क बनाई जा रही है। इस तरह आज के सकरीगली का व्यापक अर्थ है वह सारा इलाका जो रामपुर स्थित सकरीगली व बड़ी भागियामारी ग्राम-पंचायतों में

पसरा हुआ है। इस इलाके में बाग-बगीचे हैं, खेती की जमीनें हैं और कई बस्तियां हैं। इस इलाके में कुछेक तालाब भी हैं, जो सूखे हैं।

जहां बंदरगाह बन रहा है, वहां से थोड़ी दूर— लगभग एक किलोमीटर पूरब में— था सकरीगली घाट का वह रेलवे स्टेशन। सकरीगली में उन दिनों दो साप्ताहिक हाट लगते थे— मंगलवार और शुक्रवार को। अब वहां हाट नहीं लगते, लेकिन आज भी वे जगहें मंगल हाट और शुक्र हाट के नाम से जानी जाती हैं। सकरीगली में बन रहे बंदरगाह से कुछ लोगों को उम्मीदें बंधी हैं कि सकरीगली की वह रौनक इस बंदरगाह के चालू होते ही लौट आएगी। तब यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

बंदरगाह : तब और अब

गंगा में प्राचीनकाल से ही नावों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही रही है। इसके किनारे के सभी शहरों में घाट हुआ करते थे इन नावों के ठहराव के लिए। वहीं यात्री और सामान की चढ़ाई-उतराई होती थी। तब के ये घाट ही बंदरगाह थे। ये बंदरगाह कच्चे थे, यानी यहां कोई पक्की संरचना नहीं थी। नदी में पानी घटने-बढ़ने या धारा बदलने के साथ इन बंदरगाहों की जगह स्थानांतरित हुआ करती थी— जैसा कि पानी के जहाजों के लिए आज भी साहेबगंज से सकरीगली को फेरीघाट का स्थानांतरण होता है। सकरीगली का फेरीघाट आज भी कच्चा ही है। लेकिन इन दिनों इसी सकरीगली में दो मौजों की जमीन पर पक्की इमारत और अन्य संरचना वाला बंदरगाह बनाया जा रहा है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस बंदरगाह के निर्माण का ठेका लार्सन एंड टुर्बो (L&T) कंपनी को दिया है। यह बंदरगाह 2019 में बनकर तैयार हो जाना है। इस बंदरगाह के निर्माण पर 4200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। गंगा नदी पर बनने वाले तीन बंदरगाहों — वाराणसी, साहेबगंज और हल्दिया — में से एक है यह।

इस परियोजना से प्रभावित मौजों के नाम हैं समदानाला और रामपुर। इस परियोजना के लिए कुल 183.49 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। अधिग्रहण के लिए चिह्नित जमीन में से 151.97 एकड़ जमीन रैयती है, 7.15 एकड़ सरकारी है तथा 24.27 एकड़ जमीन ऐसी जमीन है जिसका सर्वे अपूर्ण है। इसमें समदानाला मौजा में कुल 146.59 एकड़ जमीन में से 120.7 एकड़ रैयती, 6.04 एकड़ सरकारी और 19.8 एकड़ जमीन अपूर्ण सर्वे वाली है। वहीं, रामपुर मौजा में कुल 36.8 एकड़ जमीन में से 31.27 एकड़ रैयती, 1.11 एकड सरकारी तथा 4.42 एकड़ अपूर्ण सर्वे वाली है।

साहेबगंज और सकरीगली के सामने गंगा की एक धारा है। दूसरी धारा उस ओर है— मनिहारी के सामने। गंगा की कई-कई धाराएं भी हैं जो कहीं एकदम सकरी हैं और कहीं चौड़ी। इन धाराओं के बीच में है दियारा क्षेत्र। इस दियारा क्षेत्र की भूमि कटती-छंटती रहती है। इसके क्षेत्र का विस्तार और संकुचन होता रहता है। इस दियारा क्षेत्र के लोग अस्थाई आवास बनाकर अपनी भूमि पर रहते हैं, लेकिन इनका स्थाई निवास है गंगा के इस या उस किनारे बनी बस्तियों में। इन बस्तियों में ये लोग इसलिए रहते हैं ताकि गंगा में बाढ़ के प्रकोप से बच सकें और बच्चों की शिक्षा में कोई खलल न पड़े। दियारा क्षेत्र में इनकी खेती की जमीन है। यह जमीन स्थाई नहीं है। गंगा की धार इसे काटकर अपने में समा लेती है। कभी-कभी यह जमीन 10-15 साल तक भी पानी में डूबी रहती है। इसलिए इस जमीन पर खेती करने वाले किसान हमेशा तंगहाली का जीवन जीते हैं। गंगा की धारा में डूबी जमीन जब दियारा की भूमि के रूप में ऊपर उभरती है तब उस पर कब्जा को लेकर खूनी संघर्ष तक होते हैं। अपराधियों के कुछ गिरोह इस क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहते हैं जो दूसरों की जमीन पर येन-केन-प्रकारेण अवैध कब्जा कर लेते हैं। प्रशासन न्याय दिलाने के लिए उतना तत्पर नहीं रहता, जितना इन तत्वों से सांठगांठ करके कुछ रिश्वत प्राप्त करने के। गांव का समाज जब पहलकदमी करता है या तत्परता दिखाता है, तभी वास्तविक जमीन के मालिक को उसकी जमीन प्राप्त होती है। जो दियारा क्षेत्र झारखंड राज्य का हिस्सा है, उसके रैयत गंगा के इस पार के गांवों— समदा, आश्रम, सकरीगली, रामपुर आदि— में रहते हैं। झारखंड राज्य के इस इलाके में दो तरह की भूमि है। एक भूमि वह है जिसकी खरीद-फरोख्त होती है। दियारा क्षेत्र और गंगा तट के समीप की भूमि ऐसी ही है। ऐसी ही जमीन पर सकरीगली का बंदरगाह बन रहा है। दूसरी जमीन ऐसी है जिसकी खरीद-फरोख्त नहीं हो सकती। बड़ी भागियामारी ग्रामपंचायत के अंतर्गत आनेवाली जमीन इस कोटि की है। इस जमीन पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी एक्ट) लागू है। एसपीटी एक्ट लागू होने से इस इलाके में आदिवासियों की जमीन को एक खास संरक्षण मिला हुआ है। लेकिन दानपत्र के माध्यम से इस जमीन पर भी गैर-आदिवासी कब्जा जमा रहे हैं। व्यावहारिक स्थिति यह है कि आदिवासी अपनी जमीन के एवज में कुछ रकम लेकर एक दानपत्र लिखकर देता है कि मैं अमुक व्यक्ति को यह जमीन बसने के लिए दानस्वरूप दे रहा हूं। संथाल परगना क्षेत्र में इस तरह का हस्तांतरण खूब हुआ है— खासकर शहरों व कस्बों के आसपास के इलाकों में। इस तरह की भूमि पर साधारण ही नहीं, आलीशान भवन भी बनाए गए हैं संपन्न लोगों के द्वारा। विडंबना यह है कि इस भूमि पर उन राजनेताओं, अधिवक्ताओं आदि के भी गैर-कानूनी भवन खड़े हैं जो एसपीटी एक्ट की तारीफ करने से नहीं अघाते।

धाराओं के बीच में है दियारा क्षेत्र। इस दियारा क्षेत्र की भूमि कटती-छंटती रहती है। इसके क्षेत्र का विस्तार और संकुचन होता रहता है।

खैर, फिर सकरीगली की ओर लौटें। रामपुर स्थित सकरीगली राजमहल विधान सभा क्षेत्र का अंग है, वही बड़ी भागियामारी और छोटी भागियामारी वाली सकरीगली का क्षेत्र बोरियो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रामपुर स्थित सकरीगली साहेबगंज अंचल का हिस्सा है और सकरीगली का दूसरा भाग तालझारी अंचल का। साहेबगंज सकरीगली से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और तालझारी 30 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर। सकरीगली का जो हिस्सा तालझारी अंचल के अंतर्गत आता है उसके निवासी भी अपनी आम जरूरतों की पूर्ति के लिए साहेबगंज जाना पसंद करते हैं।

रोजगार व व्यवसाय

सकरीगली के लोग विविध धंधों में हैं।

1. खेती-किसानी

ज्यादातर लोग खेती-किसानी के जरिए अपनी जीविका अर्जित करते हैं— कुछ लोग रैयत के रूप में अपने खेतों में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, साग-सब्जी आदि उगाते हैं और उसे बेचकर अपनी घर-गृहस्थी के सामान खरीदते हैं। कुछ लोग इन्हीं खेतों में खेत-मजदूर के तौर पर काम करते हैं और मजदूरी में मिले पैसों से अपने लिए गृहस्थी के सामानों का जुगाड़ करते हैं।

2. मजदूरी

गिट्टी व पत्थर की लदाई और तोड़ाई में भी बहुतों को रोजगार मिलता है। सकरीगली के आसपास कई सारी पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में बारूद लगाकर वैध-अवैध पत्थर की तोड़ाई होती है। पहाड़ को तोड़ने और उसे हाइवा व ट्रकों पर लादने में बहुत से मजदूरों को काम मिलता है। यह पत्थर क्रैशर तक लाया जाता है और उससे छोटी-बड़ी गिट्टियां तैयार की जाती हैं। जहां क्रैशर चलते हैं, वहां भी बहुतों की रोजी-रोटी चलती है। अगर क्रैशर पहाड़ के आसपास हैं या पहाड़ पर हैं तो वहां से गिट्टी को रेलवे यार्ड में लाया जाता है। गिट्टी की लदाई और उतराई में भी बहुत मजदूर लगते हैं। कुछ गिट्टी रेलवे यार्ड के बजाय गंगा घाट पर लाई जाती है और वहां से नावों में भरकर गंगा पार के स्थानों में पहुंचाई जाती है। गंगा में चलने वाले जहाजों में से एक जहाज ऐसा है जिसपर माल सहित ट्रक चढ़ाए जाते हैं और उस पास उतारे जाते हैं। रेलगाड़ी या नाव में गिट्टी चढ़ाने के लिए मजदूर सामूहिक तौर पर काम करते हैं। बताते हैं कि जिस समूह को

गिट्टी की ढुलाई व नाव में भराई के काम में लगे मजदूर अब बेरोजगार हैं। उनमें से कुछ मजदूर दिल्ली-मुम्बई-सूरत की ओर भी कूच कर गए हैं काम की तलाश में।

यह काम मिलता है उस दिन प्रत्येक मजदूर की दिहाड़ी 4-5 घंटे में 5-7 सौ रुपये बन जाती है। नाव में गिट्टी लादने के बाद उसे लेकर चार-पांच आदमी गंगा के उस पार जाते हैं। वहां नाव को खाली करने में भी मजदूरों का एक दल लगता है। जब से बंदरगाह बन रहा है तब से गंगा के इस पार नाव पर गिट्टी की लदाई का कारोबार ठप है, क्योंकि प्रशासन ने बंदरगाह-स्थल से 200 मीटर की दूरी तक कोई भी ऐसी गतिविधि पर रोक लगा दी है। हां, पानी के जहाज पर ट्रक से गिट्टी ले जाने का धंधा अब भी पूर्ववत जारी है। इससे गंगा के इस पार नाव पर गिट्टी की लदाई के काम में लगे मजदूरों और नाविकों की रोजी-रोटी मारी गई है। एक नाव की कीमत 8 लाख रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक है (अच्छी किस्म की लकड़ी का उपयोग होने पर यह कीमत और भी अधिक हो सकती है।)— इतनी पूंजी फंसी होने के बावजूद रोजगार का ध्वस्त हो जाना नाविकों में हताशा, निराशा और गुस्सा भर रहा है। गिट्टी की ढुलाई व नाव में भराई के काम में लगे मजदूर अब बेरोजगार हैं। उनमें से कुछ मजदूर दिल्ली-मुम्बई-सूरत की ओर भी कूच कर गए हैं काम की तलाश में। हां, रेलगाड़ी में गिट्टी-पत्थर लादने का काम अब भी जारी है, किंतु यह काम रोज-रोज का नहीं है। किसी भी मजदूर को यहां काम मिलता है एकाध दिन बीच डालकर। लोगों के बीच चर्चा है कि आसपास के पहाड़ों से पत्थर तोड़ने के काम पर रोक लगने वाला है। एक आदमी बताता है, "अवैध खनन पर रोक एक दिखावटी तमाशा है। अफसर पुलिस बल के साथ छापेमारी करते हैं यहां-वहां। दरअसल पुलिस के लोग बड़े पैमाने पर संलग्न हैं इस कारोबार में। प्रति महीने 10-20 हजार रुपये लेते हैं पुलिस वाले और अवैध खनन को प्रोत्साहित करते हैं। दरअसल सरकारी महकमे के लोग ही नहीं चाहते कि खनन विभाग का कारोबार वैध ढंग से चले। इससे सरकार को हर साल करोड़ों रुपये राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।"

पशुपालक को दूध बेचने के लिए बाजार में नहीं जाना पड़ता। कोई दुधियारी उनके बथान के पास आता है और दूध खरीदता है।

3. पशु-पालन व दुग्ध व्यवसाय

सकरीगली के गांवों और दियारों में पशु-पालन भी एक प्रमुख धंधा है। किसान और खेती-गृहस्थी से जुड़े लोग तो पशु पालते ही हैं, छोटे-मोटे रोजगार या मजदूरी करने वाले लोग भी गाय, भैंस, बकरी आदि पालते हैं। कुछ लोग दस-पांच मुर्गियां भी पालते हैं। हमने बस्तियों में अनेक घरों के सामने या अहाते में दुधारू पशुओं को खूंटे पर बंधा पाया। उनके लिए चारा या तो दियारा क्षेत्र से आता है या गंगा के इस पार के खेतों से। जिनके पास अपना खेत नहीं है, वे लोग चारा खरीदते हैं। हमने बहुतों को दियारा क्षेत्र में रहकर पशु पालते देखा है। जो जमीन खाली रहती है, उसमें

पशु चरते रहते हैं। उनके लिए खल्ली या अन्य पशु-आहार बाजार से खरीदकर नावों के जरिए दियारा क्षेत्र पहुंचाया जाता है। कुछ परिवार अस्थाई निवास बनाकर अपने पशुओं के समूह के साथ दिन-रात दियारे में ही रहते हैं। किसी-किसी के पास तो 30-40 पशु होते हैं। इन किसानों के ठिकाने अलग-अलग होते हैं— अपने-अपने खेतों पर या किसी खाली स्थान पर। ये लोग वहां कुछ झोपड़ियां बना लेते हैं, एक चापाकल लगा लेते हैं, एक कुट्टी (चारा) काटने की मशीन रखते हैं। अपने साथ कुछ बर्तन-भांडे रखते हैं। ये लोग उपला और स्थानीय तौर पर उपजने वाले झाड़ का उपयोग ईंधन के तौर पर करते हैं। पशुओं से जो दूध प्राप्त होता है, उसे वे बेच देते हैं। उन्हें दूध बेचने के लिए बाजार में नहीं जाना पड़ता। कोई दुधियारी उनके बथान के पास आता है और दूध खरीदता है। वह विभिन्न बथानों से दूध इकट्ठा करके साहेबगंज ले जाता है। कुछ पशु-पालक जो गंगा के इस पार की बस्तियों में हैं, खुद भी दूध बाजार ले जाते हैं। ये लोग पशुओं की बिक्री करके भी धन अर्जित करते हैं।

परचून की दुकानें भी बहुतेरी हैं सकरीगली में। स्टेशन के दूसरी ओर ताड़ी व देशी शराब के भी अनेक ठिकाने हैं। पान-सिगरेट की दुकानों की भी कोई कमी नहीं है यहां।

4. दुकान व छोटे व्यवसाय

साबुन, तेल, नमक, प्याज, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, फल, जूता, कपड़ा, कापी-किताब, दवा, आदि की अनेक दुकानें हैं सकरीगली की विभिन्न बस्तियों में— खासकर रेलवे स्टेशन के पास की बस्ती में। यहां प्रतिदिन हाट-बाजार भी लगता है जिसमें साग-सब्जी (पालक, बथुआ, गोभी, बैंगन, आलू, मटर, सीताफल, मूली, टमाटर, धनिया, प्याज आदि), फल (सेव, केला, अमरूद, अंगूर, नासपाती आदि), मांस-मछली के अलावा आईना-कंघी, टूथब्रश, गंजी, जांघिया, गमछा इत्यादि सामान मिलते हैं। यहां स्थाई तौर पर चाय-नाश्ते की कई-कई दुकानें हैं जिनमें मिठाइयां व नमकीन के साथ-साथ घुंघनी इत्यादि स्थानीय खाद्य पदार्थ मिलते हैं। परचून की दुकानें भी बहुतेरी हैं सकरीगली में। स्टेशन के दूसरी ओर ताड़ी व देशी शराब के भी अनेक ठिकाने हैं इस सकरीगली में। पान-सिगरेट की दुकानों की भी कोई कमी नहीं है यहां। शाम के समय रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका बहुत ही गुलजार रहता है। लगता है, बस्तियों से निकलकर लोगबाग इधर ही आ गए हैं। जैसे-जैसे शाम से रात होती है लोग अपने घर लौटते जाते हैं। दस बजे तक सब जगह सन्नाटा पसर जाता है।

5. परिवहन के क्षेत्र में काम

सकरीगली में बहुत से लोग ट्रक, हाइवा, ऑटोरिक्शे, ई-रिक्शे चलाकर या चलवाकर अपनी रोजी-रोटी अर्जित करते हैं। नावों की एक अच्छी-खासी तादाद है इस सकरीगली में, जो

माल-परिवहन का काम करती हैं। दियारा क्षेत्र के किसान प्रतिदिन दो-चार फेरे लगाते हैं खेत से अपने घर तक। कुछ नाविक इनसे प्रतिदिन का किराया तो नहीं लेते, लेकिन फसल कटने पर उसे लाने के लिए 20 बोझ में से एक बोझ या 20 मन में से एक मन अनाज किराया के तौर पर लेते हैं। आमतौर पर इन नावों के खुलने और लौटने का समय निर्धारित है।

सकरीगली क्षेत्र में काम पाने वाले लोग सिर्फ सकरीगली के लोग नहीं हैं, बल्कि वे आसपास के गांवों और कस्बों के लोग भी हैं। फिलहाल जो स्थिति बनी है उसमें लोगों ने अपने रोजगार गंवाए हैं। बंदरगाह के निर्माण-कार्य में बहुत इने-गिने लोगों को काम मिला है। एक स्थानीय आदमी आशंका व्यक्त करते हुए कहता है, "बंदरगाह में लदाई-उतराई होगी, वह ज्यादातर मशीनों के जरिए, न कि मानव-श्रम के जरिए। बंदरगाह क्षेत्र में जो लोग नौकरियां पाएंगे, वे लोग उन्नत तकनीक का ज्ञान रखने वाले बाहर के लोग होंगे। मुझे नहीं लगता कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर होंगे।"

◆◆◆◆

कथा एक बस्ती के उजड़ने की

सकरीगली का बंदरगाह जहां बन रहा है, उसके पूरब में कई-कई बस्तियां हैं। इन बस्तियों को यहां से उजड़ना है— यह बात पक्की है, क्योंकि इस जमीन का अधिग्रहण हो चुका है या होना है। इन बस्तियों की जमीन चरण-दर-चरण ली जाएगी। प्रथम चरण की उद्घोषणा हो चुकी है और भूमि-अधिग्रहण संबंधी कुछ प्रक्रियागत कार्रवाइयां भी हो चुकी हैं। अब बंदरगाह-प्रभावित लोगों को महसूस हो रहा है कि उनके साथ ठगी हुई है।

सकरीगली का बंदरगाह जहां बन रहा है, उसके पूरब में कई-कई बस्तियां हैं। इन बस्तियों को यहां से उजड़ना है— यह बात पक्की है, क्योंकि इस जमीन का अधिग्रहण हो चुका है या होना है।

चतुरानंद मंडल बताते हैं, "हम जमीन देने को राजी न थे, लेकिन प्रशासन ने हमारे सामने जो प्रस्ताव रखा उससे हमें लगा कि देश-हित में कुछ त्याग तो करना ही चाहिए। लेकिन हमसे हामी मिलने के बाद प्रशासन का नजरिया व व्यवहार एकदम बदल गया है। हमें लग रहा है कि प्रशासन हमारे साथ छल कर रहा है।"

चतुरानंद मंडल अपनी बात सिलसिलेवार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, "बस्ती के लोगों के साथ एक बैठक में साहेबगंज जिले के भू-अर्जन पदाधिकारी ने कहा कि हम आपको इस प्रकार बसाएंगे कि

आज की तुलना में आपका जीवन ज्यादा व्यवस्थित व बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि हम आपकी जमीन का मुआवजा उसके बाजार-मूल्य का चौगुना देंगे। घर का मुआवजा उसके लागत-मूल्य का दुगुना देंगे। वृक्ष का जो मूल्य आंका जाएगा उसका दुगुना देंगे। अन्य संरचना के लागत-मूल्य का भी दुगुना देंगे। बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन और मकान बनाने के लिए दो लाख रुपये दिए जाएंगे। हम रजिस्ट्री जमीन ले रहे हैं तो सरकारी खर्चे पर रजिस्ट्री करके यह जमीन दी जाएगी। जमीन रैयती होगी, क्रय-विक्रय योग्य होगी और बंदरगाह से एक किलोमीटर के अंदर ही होगी। एक संयुक्त परिवार में रह रहे सभी बालिग संतानों को अलग-अलग परिवार मानकर उनका पुनर्वास व पुनर्स्थापन किया जाएगा। इस तरह सभी एकल परिवारों को 5 डिसमिल जमीन व 8 लाख 36 हजार रुपये का पुनर्वास व पुनर्स्थापन पैकेज मिलेगा। इसमें सबसीडेंट भत्ता के रूप में 200 दिन की मजदूरी 36 हजार रुपये, मकान तोड़ने के लिए 50 हजार रुपये, सामान की ढुलाई के लिए 50 हजार रुपये दिया जाएगा। आदिवासी-हरिजन को 50 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। पुनर्वास-स्थल पर मूलभूत सुविधाएं— अस्पताल, पशु-चिकित्सालय, आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक केंद्र, विद्यालय, रोड, बिजली-पानी, मंदिर आदि बनाकर दी जाएंगी।"

"हमें जमीन का मुआवजा दिया गया है 3 हजार 600 रुपये प्रति डिसमिल का चौगुना 14 हजार 400 रुपये प्रति डिसमिल।"
— चतुरानंद मंडल

बस्ती के लोग बताते हैं कि यह प्रस्ताव हमें आकर्षक लगा और हमने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन अब जिला प्रशासन अपने वायदे से मुकर रहा है। चतुरानंद मंडल खुलासा करते हुए कहते हैं, "बाजार-मूल्य के हिसाब से 70 हजार रुपये प्रति डिसमिल का चौगुना 2 लाख 80 हजार रुपये प्रति डिसमिल होना चाहिए जमीन का मुआवजा। लेकिन हमें जमीन का मुआवजा दिया गया है 3 हजार 600 रुपये प्रति डिसमिल का चौगुना 14 हजार 400 रुपये प्रति डिसमिल। हमने भू-अर्जन पदाधिकारी, अपर समाहर्ता एवं उपायुक्त साहेबगंज को इस संबंध में शिकायत की। उत्तर मिला कि फाइल आयुक्त दुमका को मुआवजा की बढ़ोतरी हेतु भेजी गई है। अनुमोदन के बाद बाजार-मूल्य के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।"

चतुरानंद मंडल का कहना है, "पहले चरण में सर्वेकर्मियों (राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक, अंचल अमीन और अन्य कर्मियों) ने मूल रैयतों (जिनके नाम से लगान रसीद है) को ही हितबद्ध रैयत माना है। उनके वयस्क वंशजों (यथा पुत्र जो विवाहित हैं और उसी जमीन पर अलग मकान में निवास कर रहे हैं) को हितबद्ध रैयत मानने से इनकार कर दिया है। फरवरी 2016 में आश्रम शिव मंदिर में एक बैठक हुई जिसमें जिला प्रशासन की ओर से भू-अर्जन पदाधिकारी डॉ. विनय कुमार मिश्र, अनुमंडल पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार बर्नवाल, अंचल पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक,

अंचल अमीन, राजस्व कर्मचारी आदि प्रभावित परिवारों के बीच शिविर लगाकर बैठे। इस बैठक में प्रभावित रैयत की जमीन का मुआवजा कम मिलने, मूल रैयत के बालिग वंशज को हितबद्ध रैयत नहीं मानने की शिकायत की गई। इस पर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक वयस्क को पुनर्वास का पैकेज देकर बसाया जाएगा। जमीन का मुआवजा विगत तीन वर्षों में उच्चतम मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। किंतु आजतक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। इस संबंध में हम सभी विस्थापित परिवारों ने जिला प्रशासन से मांग की कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए।"

चतुरानंद मंडल यह भी बताते हैं, "29 नवंबर 2017 को मेरी बस्ती में उपायुक्त शैलेंद्र कुमार चौरसिया जिला प्रशासन के साथ उपस्थित हुए। प्रभावित परिवारों की बातें सुनीं। उपायुक्त ने तीन प्रभावित ग्रामीणों— मुक्ति रजक, चतुरानंद मंडल एवं दीपक मंडल— के साथ प्रथम चरण के 123 परिवारों का पुनः सर्वे का आदेश दिया। तीन दिन के सर्वे क्रम में 116 परिवार, जिन्हें पहले के सर्वे में हितबद्ध रैयत नहीं माना गया था, चिह्नित किया गया। इस तरह प्रथम चरण वाले कुल हितबद्ध रैयतों की संख्या अब हो गई है 239 (क्योंकि 123+116=239)।"

"8 दिसंबर 2017 को उपायुक्त साहब के सभागार में उपायुक्त, अपर समाहर्ता, भू-अर्जन पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, ग्रामीण प्रभावित-चयनित तीनों सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त महोदय ने स्वयं समीक्षा की। किन परिवारों को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा रहा है— इसकी घोषणा बैठक में नहीं की गई। कहा गया कि इसकी घोषणा पूरी बंदरगाह समिति के समक्ष की जाएगी।"— चतुरानंद मंडल यह बताने के साथ यह भी कहते हैं, "16 फरवरी 2018 को 25 प्रभावित परिवारों के नाम से नोटिस आया जिसमें राशनकार्ड, वोटर कार्ड, गैस कनैक्शन, बिजली बिल, आदि कागजात निज नाम से होने की बात कही गई।"

आगे वे कहते हैं, "7 मार्च 2018 को जिला प्रशासन के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें अपर समाहर्ता अनमोल कुमार सिंह, भू-अर्जन पदाधिकारी डॉ. विनय कुमार मिश्र तथा अन्य पदाधिकारियों के समक्ष बंदरगाह-प्रभावित परिवारों ने अपनी मांग पुनः दुहराई। भू-अर्जन पदाधिकारी ने आश्वस्त किया कि जमीन का मुआवजा बाजार-मूल्य का चार गुना मिलेगा। इसकी स्वीकृति मिल चुकी है, केवल नोटिस होना बाकी है। अन्य मांगों पर भी विचार-विमर्श चल रहा है।"

14 मार्च 2018 को बंदरगाह-प्रभावित परिवारों ने जिला समाहरणालय, साहेबगंज के समक्ष एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया।

"14 मार्च 2018 को बंदरगाह-प्रभावित परिवारों ने जिला समाहरणालय, साहेबगंज के समक्ष एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया। हमने अपनी मांगों का स्मरण-पत्र उपायुक्त, साहेबगंज

को सौंपा। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार के नाम संबोधित था। उपायुक्त महोदय ने कहा कि सभी को भू-अर्जन कानून 2013 के अनुसार पुनर्वास कराया जाएगा। लेकिन आज तक हम विस्थापित परिवारों के बीच इसकी कोई सूचना नहीं है। लगभग 6 माह से बंदरगाह समिति की बैठक नहीं हुई है। बैठक बुलाने के लिए इस समिति के सदस्यों की ओर से उपायुक्त को आवेदन दिया गया है। इसके बावजूद बैठक नहीं बुलाई जा रही है।"

चतुरानंद मंडल बताते हैं, "3 जुलाई 2018 को भू-अर्जन पदाधिकारी डॉ. विनय कुमार मिश्र की विज्ञप्ति थी अखबारों में कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को फ्लैट बनवाकर उपलब्ध करवाया जाएगा। दो कॉलोनियों में कुल 485 परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था होगी। समदानाला बंदरगाह के प्रभावित परिवारों ने तीन मंजिली इमारत के फ्लैटों में रहने से इनकार कर दिया। साथ ही समाचार-पत्रों के माध्यम से अपना विरोध जताया। इनका कहना था और आज भी है कि सभी प्रभावित परिवार खेतिहर किसान, मजदूर, पशु-पालक (जैसे गाय, भैंस, बकरी पालने वाले), रोजी-मजदूरी करने वाले परिवार हैं। इनके लिए तीन मंजिली इमारत में रहना सुविधाजनक नहीं है। इन फ्लैटों में इनका रहना असंभव है। इसलिए हमें 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाए जिसपर हम एक-मंजिला घर बनाकर रह सकें।"

"कागज पर जमीन चिह्नित है, धरातल पर नहीं। हमें यह दिखाया ही नहीं गया है कि यह रही जमीन, अब आप इस पर घर बनाइए।" —चतुरानंद मंडल

"इधर कुछ लोगों को नोटिस मिला है कि आपने मुआवजे का पैसा ले लिया है लेकिन लंबे अंतराल के बाद भी अपना आवास नहीं बनाया है, इसलिए निर्देश दिया जाता है कि मकान बनाने के लिए जो राशि दी गई है वह वापस करें। आपको सरकार द्वारा घर बनाकर दिया जाएगा।"— यह बताते हुए चतुरानंद मंडल यह भी कहते हैं, "लगभग 200 व्यक्तियों को लाल पट्टा दिया गया है जिसमें लिखा है— अहस्तांतरणीय। जबकि, सरकारी खर्चे से रजिस्ट्री करके खरीद-बिक्री योग्य जमीन का मालिकाना हक देने को कहा गया था। ऐसी जमीन पर बंदरगाह-प्रभावित परिवार अपना घर बनाने को तैयार नहीं हैं। यह भी अजीब है कि कागज पर जमीन चिह्नित है, लेकिन धरातल पर जमीन चिह्नित नहीं है। हमें यह दिखाया ही नहीं गया है कि यह रही जमीन, अब आप इस पर घर बनाइए।"

चतुरानंद मंडल हमें बताते हैं, "भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा समाचार-पत्र के माध्यम से यह सूचना मिली कि मौजा समदानाला, मोची टोली के निकट 16.47 एकड़ जमीन एवं मौजा पलटनगंज, तालझारी प्रखंड के अंतर्गत 15.87 एकड़ जमीन पुनर्वास हेतु अधिगृहीत की गई है। किंतु हम

बंदरगाह-प्रभावित परिवारों को नाराजगी है कि मौजा पलटनगंज, प्रखंड तालझारी, पुनर्वास हेतु अनुचित है। प्रमाणपत्र संबंधी कागजात (जैसे निवास प्रमाण-पत्र, राशनकार्ड, वोटरकार्ड, अन्य मूलभूत कागजात) से पता-परिवर्तन हो जाने के कारण अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। साहेबगंज 20 रुपये के खर्च पर था, कम समय में अपने कार्य को निबटा लेते हैं। प्रखंड और अनुमंडल बदल जाने से तालझारी और राजमहल लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय कर जाना पड़ सकता है। इस पर 100-150 रुपये खर्च और अधिक समय व्यतीत होता है। यह प्रभावितों के लिए हितकारी नहीं है। हम प्रभावित परिवार इसका विरोध करते हैं। जमीन अधिग्रहण से पूर्व किए गए वादे पर अमल करते हुए जिला प्रशासन द्वारा हमें साहेबगंज अंचल में ही बसाने का कार्य किया जाए।"

स्मरणीय है कि प्रशासन द्वारा वादा-खिलाफी किए जाने के बाद समदानाला बंदरगाह से प्रभावित परिवारों ने एक संगठन बनाया है— बंदरगाह विस्थापित संघ, समदानाला। इस संगठन के अध्यक्ष हैं दिवाकर यादव, उपाध्यक्ष हैं चतुरानंद मंडल, सचिव हैं धनराज यादव और कोषाध्यक्ष हैं बुटन सिंह। इस संगठन के और 15 सक्रिय सदस्य हैं। संगठन की बैठक नियमित तौर पर होती है और बंदरगाह-प्रभावित परिवारों की समस्याओं पर चर्चा होती है। इसलिए चतुरानंद मंडल के उपर्युक्त कथन काफी सारगर्भित हैं। धनराज यादव अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी चतुरानंद मंडल के कथन की पुष्टि करते हैं। धनराज यादव के अनुसार, "मेरे परिवार की वंशावली निम्नांकित है। मेरे चार बेटे हैं विजय, उदय, संतोष और मनोहर। चार में से तीन शादी-शुदा हैं। विजय की छह संतानें हैं— दो लड़कें, चार लड़कियां। उदय की पांच संतानें हैं— दो लड़के, तीन लड़कियां। संतोष की मृत्यु हो चुकी है, उसकी पत्नी नंदिनी है और उसे एक संतान है— एक लड़का। मनोहर 26 वर्ष का है, किंतु अविवाहित है। इस तरह मेरे परिवार में कुल 5 हितबद्ध रैयत होने चाहिए। एक मेरा स्वयं का परिवार तथा चार बालिग संतानों का परिवार। पहले-पहल जो सर्वे हुआ उसमें सारी बातें स्पष्ट तौर पर लिखाई गई थीं, किंतु नोटिस आया सामिलात। इस तरह प्रशासन भू-अर्जन कानून 2013 के प्रावधानों पर अमल करने से कतरा रहा है। मैंने अपना मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। चूंकि इस बस्ती में ज्यादातर लोगों के साथ नाइंसाफी हुई थी, इसलिए हमने संगठन बनाकर न्याय के लिए लड़ने का मन बनाया।"

प्रशासन द्वारा वादा-खिलाफी किए जाने के बाद समदानाला बंदरगाह से प्रभावित परिवारों ने एक संगठन बनाया है— बंदरगाह विस्थापित संघ, समदानाला।

धनराज यादव आगे बताते हैं, "जब हमने सर्वे की खामी की ओर प्रशासन का ध्यान खींचा तो जून 2016 में पुनः सर्वे कराया गया। किंतु नए सर्वे के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विनय कुमार से कहा कि नए सर्वे के अनुसार मुआवजा दिया जाए तो उन्होंने

इस तरह के सर्वे होने की बात से इनकार कर दिया। हमने इंजीनियर भवन-निर्माण से दूसरे सर्वे की प्रति प्राप्तकर उन्हें उपलब्ध कराई जो पहले ही एक बार भू-अर्जन कार्यालय को भेजी गई थी। इस दूसरे सर्वे में भी मेरे 30 पशुओं का सर्वे नहीं हुआ है। जब सर्वे में ही तरह-तरह की गड़बड़ियां हैं तो सही पुनर्वास कैसे होगा!"

धनराज यादव फ्लैट वाली योजना के खिलाफ हैं। इनका कहना है, "किसान और पशु-पालक के लिए फ्लैट में पुनर्वास की योजना बेतुकी है। फ्लैट तो नौकरी-पेशा लोगों के लिए उपयोगी होते हैं। हम कहां रखेंगे चारा, उपला, घास-फूस और जानवर— यदि हमें फ्लैट मिला! वह भी तीन मंजिले फ्लैट में! मैं तो चाहता हूं कि सरकार हमें जमीन उपलब्ध कराए, जिसपर हम अपनी जरूरत के अनुसार घर बनाकर रह सकें।"

"किसान और पशु-पालक के लिए फ्लैट में पुनर्वास की योजना बेतुकी है। फ्लैट तो नौकरी-पेशा लोगों के लिए उपयोगी होते हैं।" —धनराज यादव

धनराज यादव के अनुसार, "सरकार का सर्वे अधूरा है। इसके बावजूद मुझपर दबाव डाला जा रहा है कि मैं मुआवजे की राशि उठा लूं ताकि मुझे सही मुआवजे व पुनर्वास से वंचित किया जा सके। मेरा घर 10 कट्ठा जमीन (यानी 16.5 डिसमिल) में है। मैं जमीन के बदले जमीन चाहता हूं, ठीक ऐसी प्रकृति की जमीन यानी रजिस्ट्री वाली जमीन। सरकार उचित मुआवजा देगी तो हम उसे लेने में तनिक भी देर न लगाएंगे।"

केशव यादव भी सर्वे की त्रुटि की ओर ध्यान खींचते हैं। इनका कहना है, "मेरी चार संतानें हैं। सभी बालिग हैं। चारों लड़के हैं। तीन अविवाहित हैं किंतु इनकी उम्र है क्रमशः 26 वर्ष, 24 वर्ष और 18 वर्ष। नाम हैं बलिराम, श्रीराम, लक्ष्मण। पहला लड़का नंदलाल है, जो शादी-शुदा है और दो लड़कों का बाप है। हमें सर्वे की गड़बड़ी की वजह से बहुत बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। हमारा घर गिर रहा है, लेकिन हम उसकी मरम्मत नहीं करा सकते; क्योंकि अब इस घर को छोड़कर दूसरी जगह जाना है। दूसरी जगह कहां?— यह पता तक नहीं है। मेरे मिट्टी के घर का पैसा मिला है, लेकिन फूस के घर का नहीं। मेरा एक लड़का दुधिया है, लेकिन उसके कारोबार का सर्वे नहीं हुआ है। मेरी जीविका का आधार मजदूरी है। अपनी खेती-बारी नहीं है। 5 कट्ठा में मेरा घर है। इसमें हम 5 भाई हिस्सेदार हैं। 9 कट्ठा 9 धूर जमीन का मुआवजा मिला है 3600 रुपये डिसमिल के हिसाब से। इस जमीन का मुआवजा दिया गया है बंजर भूमि कहकर, जबकि बाजार में जमीन बिक रही है 5-7 लाख रुपये कट्ठा। हमारी 13 कट्ठा 13 धूर जमीन तो हमें दगा दे गई। इसका पैसा हमने दे दिया था, लेकिन इसकी रजिस्ट्री नहीं कराई थी। जब हमारे नाम से इसका कागज

ही नहीं बना तो इसका मुआवजा हमें कहां से मिलेगा! हम पांच भाइयों का पैसा लगा था इसमें। हम तो मुफ्त में मारे गए। अंधा राज है भाई! कहीं कोई सुनवाई नहीं।"

रामसहेत मंडल सुखदेव मंडल की संतान हैं। तीन भाई हैं— छत्तीस मंडल, रामसहेत मंडल और राजेंद्र मंडल। तीन भाइयों के बीच आवास की जमीन है 4 कट्ठा। दो भाई सकरीगली में ही रहकर गुजर-बसर करते हैं। रामसहेत मंडल अपने बीबी-बच्चे सहित दिल्ली में रहते हैं। इनकी कुल पांच संतानें हैं। तीन लड़कें, दो लड़कियां। बड़ा लड़का 19 साल का है। रामसहेत मंडल कहते हैं, "हम तीन भाइयों के बीच खेती की जमीन है दियारा में तीस बीघा। सर्वे की गड़बड़ी का नतीजा यह है कि मैं आवासीय जमीन-जायदाद से वंचित हो गया हूं। मेरा अपना घर, अपना न रहा। सर्वे में कहीं भी जिक्र नहीं है मेरा। मैं सरकारी दफ्तर का चक्कर लगा रहा हूं, कोई भी अफसर मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब तक मेरा ठिकाना था सकरीगली में— स्थाई पता। अब न सकरीगली में घर है, न दिल्ली में। यदि यही हाल रहा तो सकरीगली से मेरा नाता खत्म हो जाएगा सदा के लिए। पहले दिल्ली से लौटता था तो अपने घर में होता था यहां। अब तो कोई ठिकाना ही न होगा। अफसर झूठा दिलासा देते हैं कि अंततः सब ठीक हो जाएगा।"

बिसु यादव की कुल आठ संतानें हैं। बेटे पांच हैं— पांचों बालिग हैं। अमरनाथ, प्रेमनाथ, शिवकुमार, रामरूप और रामनारायण। "रामरूप और राम नारायण दोनों सरकारी नौकरी में हैं। दोनों अविवाहित हैं। मेरे पुनर्वास और पुनर्स्थापन की राशि दे नहीं रही है सरकार। इन दोनों बच्चों सहित मेरे नाम से जमीन है 15 कट्ठा और मेरी पत्नी के नाम से जमीन है 15.5 कट्ठा अलग से।"— बिसु यादव कहते हैं। स्मरणीय यह है कि रामनारायण 22 वर्ष का है और जम्मू-कश्मीर में सैनिक है; जबकि रामरूप झारखंड पुलिस में है, उम्र है 25 साल। उस परिवार को भी उचित मुआवजा नसीब नहीं है।

"मैं चाहता हूं कि सरकार मुझे फ्लैट नहीं, जमीन दे ताकि उस पर मैं अपनी जरूरत के अनुसार घर बनाकर रह सकूं।"
—शिवशंकर यादव

शिवशंकर यादव की शिकायत है, "मेरे घर का सर्वे बाकी है। आवेदन देने के बावजूद दुबारा सर्वे नहीं हुआ। 13 कट्ठा 6 धूर जमीन का मुआवजा 3600 रुपये डिसमिल के चौगुना के हिसाब से हुआ, बाजार-मूल्य की दर से नहीं। मेरे पशुओं का सर्वे नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि सरकार मुझे फ्लैट नहीं, जमीन दे ताकि उस पर मैं अपनी जरूरत के अनुसार घर बनाकर रह सकूं। बालिग बच्चों का हक उन्हें भू-अर्जन कानून 2013 के मुताबिक मिलना चाहिए। मेरी तीन संतानें हैं— रासबिहारी,

चंदन और राजन। रासबिहारी शादी-शुदा है, हालांकि उसे अभी संतान नहीं है। चंदन भी बालिग है, उम्र है 22 वर्ष। राजन तो खैर अभी 17 साल का है।"

सागर यादव की शिकायत है कि उनकी चारों बालिग संतानों को उचित मुआवजा व पुनर्वास और पुनर्स्थापन का लाभ नहीं मिला है। उनके दो बड़े पुत्रों— रमाकांत और रामानंद (जो शादी-शुदा हैं और जिनकी संतानें भी हैं)— को उनके पिता के साथ संलग्न करके मुआवजा दिया गया है, स्वतंत्र रूप से नहीं। दो अन्य पुत्रों— सियानंद व धर्मेंद्र— को अलग-अलग आर एंड आर (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) का नोटिस मिला है, लेकिन अभी उसकी राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

"हरिहर की जमीन का प्लॉट नंबर 244 की जगह 250 नंबर चढ़ गया है। इसे सुधार कर भू-अर्जन कार्यालय में जमा करवाने के बावजूद अभी तक मुआवजा नहीं मिला है।" —गोपाल सिंह बिंद

मोतीलाल यादव की भी यही शिकायत है— "मुझे आर एंड आर की राशि मिल गई है, लेकिन मेरे बड़े लड़के (जो बालिग है) को नहीं। बाकी दो बेटे तो अभी छोटे हैं। मुझे गाछ और जमीन का भी मुआवजा नहीं मिला है।"

गोपाल सिंह बिंद समुदाय से हैं। इनकी उम्र 68 वर्ष है। इनके पुत्र है कमलाकांत (45 वर्ष), बुधराम (32 वर्ष) और हरिहर (24 वर्ष)। कमलाकांत के तीन लड़के और चार लड़कियां हैं। बुधराम के दो लड़के हैं। हरिहर बी.ए. में पढ़ रहा है। गोपाल सिंह के अनुसार, "चार कट्ठा सामिलात जमीन का मुआवजा मिला है, लेकिन बाजार-मूल्य के चौगुना की दर से नहीं। हरिहर के घर का मुआवजा मिला है, लेकिन उसकी 2.5 कट्ठे जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। हरिहर की जमीन का प्लॉट नंबर 244 की जगह 250 नंबर चढ़ गया है। हालांकि इस जमीन की चौहद्दी 244 वाली ही है। हमने प्लॉट नंबर सुधार करवाकर भी भू-अर्जन कार्यालय में जमा करवा दिया है, उसके बावजूद अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मेरे नाम से भी अलग से जमीन है 2 कट्ठा। जमीन पर दो घर हैं। जमीन का नोटिस दिया था, घर का नहीं। तो हमने उसका पैसा नहीं लिया। पेड़ है एक शीशम का, 250 बांस हैं उस पर। एक और पेड़ है उस पर। इन सबका सर्वे हुआ ही नहीं है। केवल जमीन का मुआवजा क्यों लूं!"

बूटन सिंह भी बिंद जाति से हैं। इनका कहना है, "मेरे पिता के नाम से 10 बीघे और मेरे नाम से 5 बीघे जमीन है दियारे में। इसमें हम खेती करते हैं। इस जमीन को सरकार नहीं ले रही है, इसलिए इस पर किसी तरह की बात करना ठीक नहीं है फिलहाल। तीन भाइयों की अपनी दो नावें हैं। एक नाव को दो लाख में खरीदा था। इसे दियारे की किसानों की सेवा में लगाए हुए हूं।

किसान आते-जाते हैं रोज इससे— आश्रम से दियारा। फसल कटती है तो 20 मन में 1 मन देता है किसान मुझे हर साल। इसमें डीजल मेरा जलता है। नाव और मशीन की मरम्मत में जो खर्च आता है वह मेरा होता है। यदि कोई दियारे का किसान नहीं है और मेरी नाव में बैठकर दियारा से आश्रम आता-जाता सामान्य ट्रिप में तो उससे मैं किराया वही लेता हूं जो वह स्वेच्छा से देता है। हां, यदि कोई स्पेशल उद्देश्य से नाव किराये पर लेता है तो वह आपसी बात-विचार से, हालांकि ऐसे अवसर कम ही आते हैं। मेरा घर आश्रम में है, 13 कट्ठा जमीन पर बना हुआ है। मेरी संपत्ति का भी आकलन ठीक से नहीं हुआ है और मुआवजा जिस दर से मिला है वह बाजार-मूल्य से बहुत-बहुत कम है।"

दीपक मंडल युवा हैं और जनता दल यूनाइटेड के प्रखण्ड अध्यक्ष हैं। सकरीगली के आश्रम की बस्ती में रहते हैं। दीपक मंडल कहते हैं, "जिस रेट पर मुआवजा दिया जा रहा है, वह उपयुक्त नहीं है। उसमें भी बड़ा घपला है। सर्वे में कोई सिरियसनेस नहीं बरती गई। वास्तविक सर्वे की जगह जैसे-तैसे खानापूर्ति की गई। इससे पूरा मामला उलझ गया है। इस अधूरे सर्वे के आधार पर सरकार जमीन खाली कराना चाहती है। साथ ही विस्थापित लोगों को कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। इसलिए जिन लोगों ने आधा-अधूरा मुआवजा ले भी लिया है, उन्होंने अपनी जगह छोड़ी नहीं है। एक तरफ बंदरगाह निर्माण का काम चल रहा है और दूसरी ओर उसके काम को और आगे बढ़ाने के लिए जल्दी ही और जमीन की जरूरत है। वह जरूरत तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक बस्तियों को खाली न करा लिया जाए।"

दीपक मंडल यह भी बताते हैं, "जिला प्रशासन और बंदरगाह-प्रभावित लोगों के बीच मामला सुलझता हुआ नहीं, उलझता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसमें गलती प्रशासन की है, क्योंकि प्रशासन अपने वायदे से मुकर गया है। प्रशासन सोचता है कि लोगों में भय पैदा करके तथा आपस में वैर-भाव बढ़ाकर अपने स्वार्थों की सिद्धि कर लेगा। लेकिन लोगों में एकता बढ़ रही है और वे झुकने को तैयार नहीं हैं। इसका कारण यह है कि इसके बिना उनका काम ही नहीं चलने वाला है। यदि सरकार ईमाानदारी से समस्याओं को हल करने का रास्ता अपनाती तो टकराव की कोई संभावना ही नहीं बनती।"

"बंदरगाह के काम को और आगे बढ़ाने के लिए जल्दी ही और जमीन की जरूरत है। वह जरूरत तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक बस्तियों को खाली न करा लिया जाए।" —दीपक मंडल

दीपक मंडल यह भी कहते हैं, "सर्वे में धांधली हुई है। भवन, जमीन, वृक्ष का सर्वे मनमाने ढंग से हुआ है। मेरे पिता जी दो भाई हैं। पिता जी को मुआवजा मिला है और चाचा जी को कुछ भी

अपनी रोटी सेंकने वालों की कमी नहीं

सकरीगली के बंदरगाह-प्रभावित लोग बताते हैं कि हमारी मजबूरी का लाभ उठाने वालों की भी कमी नहीं है। एक आदमी जिसका नाम भजनलाल है, जो दिल्ली में रहता है और जो मूलतः मुंगेर का निवासी है, इस बस्ती में आया। उसने हमारा परम हितैषी होने का ढोंग किया। उसकी उम्र 55 वर्ष के आसपास है। उसने कहा, "सरकार के लोग बहुत ही गलत हैं। वे लोग आपकी जमीन का गलत सर्वे करके आपसे पैसा बनाना चाहते हैं। उन लोगों ने यहां की जमीन को बंजर दिखाया है जबकि इस पर बाग-बगीचे है, बांस है, तरह-तरह के पेड़ हैं, खेतों में फसलें लगती हैं— अरहर, धान, ज्वार, बाजरा, आदि आदि। हम इस धांधली के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।"

भजनलाल ने आसपास की चीजों की फोटाग्राफी करनी शुरू की और हर दृश्य पर उसकी एक तीखी टिप्पणी होती थी। उसने कहा कि इस पूरे मामले में किसी एक एनजीओ की दखल जरूरी है तभी लड़ाई आरपार पहुंचेगी।

दीपक मंडल बताते हैं, "भजनलाल हमें लेकर रांची गया, जब उसके बुलावे पर कोई एनजीओ सकरीगली नहीं पहुंचा। उसने कहा कि रांची में मेरा वकील है, वह उचित रास्ता निकालेगा। हम उसके वकील से मिले, लेकिन उसे तो किसी चीज का ज्ञान ही नहीं था। हम एक दूसरे वकील से भी मिले। उसने कहा कि हम प्रत्येक आदमी से 5-5 हजार रुपये लेंगे, तब मुकदमा लड़ेंगे। तब भजनलाल ने कहा कि 'हम किसी वकील के जरिए केस नहीं लड़ेंगे। वकील लोग जनता को उल्लू बनाते हैं और अपनी कमाई का जरिया समझते हैं। अब हम दिल्ली चलेंगे और वहां से ही लड़ाई लड़ेंगे— एनजीओ और राजनेताओं के माध्यम से।' हम उसकी बातों में आ गए और खर्चे के लिए 123 परिवारों में से हरेक से दो-दो सौ रुपये चंदा इकट्ठा किया। इस पैसे को लेकर हम तीन आदमी दिल्ली गए उसके साथ। भजनलाल हमें इस राजनेता से उस राजनेता के पास ले जाता रहा— खासकर बीजेपी नेताओं के पास— कि झारखण्ड में भी बीजेपी का शासन है, इससे हमारा काम आसानी से बन जाएगा— यह कहते हुए। हम उसे इस-उस खर्च के नाम से पैसा देते रहे। धीरे-धीरे लगभग एक माह में हमारा सारा पैसा खर्च हो गया। तब हम हताश-निराश होकर सकरीगली लौट आए। हमें यह बात समझ में आ गई कि भजन लाल हमें मूर्ख बना रहा था, उसे हमारी समस्या से कुछ भी नहीं लेना-देना था।" ■

नहीं। मेरे नाम से एक नोटिस आया है, लेकिन पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए मिलने वाली राशि 8 लाख 36 हजार रुपये का भुगतान मुझे अब तक नहीं मिला है। हम अब संघर्ष में हैं। हमें झामुमो के सांसद विजय हांसदा, कांग्रेस नेता बजरंगी यादव, जेडीयू नेता सुनील सिन्हा का सहयोग लगातार मिल रहा है। हम बंदरगाह-प्रभावित लोग धरना, जुलूस, प्रदर्शन के साथ-साथ कानूनी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। अगर हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम अपनी संपत्ति भी खो देंगे और रहने के लिए ठौर-ठिकाना भी नहीं पा सकेंगे।"

धनंजय कुमार रजक की शिकायत है कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है और मां विधवा है। हम दोनों भाई वयस्क हैं और शादी-शुदा भी। हमारा परिवार अलग-अलग रहता है। समदानाला की जमीन खरीदकर अपना घर बनाया है। भू-अधिग्रहण से होने वाली क्षति की पूर्ति का लाभ सिर्फ मेरी मां को मिला है, हम दोनों भाइयों को उससे वंचित रखा गया है। धनंजय कुमार रजक का कहना है, "मैंने अपनी समस्याओं से सबको अवगत कराया है—साहेबगंज समाहरणालय में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को; मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार को; भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा को— लेकिन कहीं से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है। हम दलित समाज से हैं। हमें सरकार द्वारा इस बस्ती में भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिली हैं। हम आज भी गंगा के पानी से खाना बनाते हैं और यही पानी पीते हैं। लगभग 4 दशक पहले हमारे परिवार यानी पिता को सरकार द्वारा आजीविका के लिए जमीन प्रदान की गई थी दियारा क्षेत्र में। उस जमीन का कुछ भाग गंगा में डूब गया है और कुछ भाग ऐसा है जो बचा हुआ है। 6 बीघे जमीन में हम खेती करते हैं। इसमें बीस हजार रुपये का खर्च आता है। जो उपज होती है, वह हर साल मुनाफा वाली होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं बी.ए. करने के बाद एम.ए. (इतिहास) की पढ़ाई कर रहा हूं। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। मुझे अपनी आजीविका के लिए दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है। बंदरगाह के लिए अपनी जमीन देने के बाद यदि हमें सही ढंग से पुनर्वास व पुनर्स्थापन का लाभ नहीं दिया जाएगा तो हम सदा के लिए बेघर हो जाएंगे।"

"बंदरगाह के काम को और आगे बढ़ाने के लिए जल्दी ही और जमीन की जरूरत है। वह जरूरत तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक बस्तियों को खाली न करा लिया जाए।" —दीपक मंडल

संजय कुमार रजक का कहना है कि अफसर और क्लर्क इस ताक में हैं कि लोग अपनी समस्या से घबराकर रिश्वत दें। कुछ लोगों से रिश्वत लेकर उनका काम थोड़ा आगे बढ़ाते भी हैं। मुआवजा की राशि को वे लोग कुछ दिनों के लिए लटका देते हैं, रिश्वत देने पर वह राशि निर्गत कराते हैं। जायज सुधार के लिए भी उनका इशारा होता है कि कुछ दो, नहीं तो स्थिति ज्यों की त्यों बनी

रहेगी। वे कहते हैं कि मामलों को जल्दी से जल्दी सुलझाओ, नहीं तो तुम्हारी राशि अटकी रह जाएगी सदा के लिए।"

एक और आदमी ने बताया, "साहेबगंज कोर्ट-कचहरी में ऐसे वकील हैं जो चाहते हैं कि लोग केस-मुकदमा लेकर उनके पास आएं और वे तारीख पर तारीख डलवाकर उनसे मोटी फीस वसूलें। एक वकील तो ऐसा है जो एक मामले को दो साल से दबाकर बैठा है और उसके जरिए अफसरों से मोल-तोल की जुगत में है। वह अपने मुवक्किलों को जैसे भूल गया है। वह केस को आगे बढ़ा ही नहीं रहा है, इस-उस बहाने मामले को लटकाए हुए है। हमने उसे सभी जरूरी कागजात और एक हजार रुपये दे दिए हैं, लेकिन मामला जहां का तहां पड़ा है। उसने केस तक फाइल न की है कोर्ट में।"

इस तरह हम देखते हैं कि सकरीगली की जनता परेशान है अपनी समस्याओं को लेकर। ये समस्याएं सरकार के द्वारा ही खड़ी की गई हैं। जनता को उसकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है और उसके समुचित पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उनकी जमीन छीनी जा रही है औने-पौने दामों में और उन्हें घर बनाने तक के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। कुछ को तो कुछ भी नहीं मिलना है— न घर, न मुआवजा। लोग कुंठित हो रहे हैं। जब लोग संघर्ष के लिए लामबंद हो रहे हैं तो उनके बीच फूट डालने की कोशिश की जा रही है। उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा रहा है। सांसद, विधायक और अफसर — सभी उन्हें दरकिनार करने की फिराक में हैं। ■

2

रोजी-रोटी पर संकट

प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनिल जोशी ने हाल ही में लिखा है, "गंगा का माहात्म्य इस बात से भी समझा जा सकता है कि भारत में इसका बेसिन करीब 8,61,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और देश के करीब 11 राज्यों से सीधा जुड़ा है। मतलब देश के करीब 26 फीसदी क्षेत्रफल में यह फैला है। देश के जल संसाधनों में 28 फीसदी योगदान गंगा का है। इससे 57 फीसदी देश की कृषि भूमि सीधे जुड़ी है और 43 फीसदी लोग इसके ही पानी से जिंदा हैं। मनुष्य ही नहीं, 143 मत्स्य प्रजातियों का भी घर गंगा ही है।" [*हिंदुस्तान* (फुरसत), रविवार, 20 जनवरी 2019— www.livehindustan.com]

रोमेश दत्त की पुस्तक *भारत का आर्थिक इतिहास*, भाग-एक के सत्रहवां अध्याय 'आंतरिक व्यापार, नहरें और रेलें (1813-1835)' में दर्ज है, "बंगाल की नदियों में वाष्पचालित नावें चलाना शुरू कर दिया और कोलकाता तथा इलाहाबाद के बीच प्रयोग के तौर पर जहाज यात्रा चालू करने के बारे में भी विचार हुआ। काफी पहले सन् 1828 में तत्कालीन सचिव एच.टी.सी. प्रिंसेप ने इस विषय पर एक रोचक टिप्पणी प्रस्तुत की थी। उनका कथन था कि चीन के अलावा संसार भर में कोई बड़ी नदी है जिसमें गंगा नदी के मुकाबले इतने बड़े पैमाने पर इतनी दूरी तक नावें चलती हों। सन् 1780 में 30,000 नाविकों को गंगा नदी से अपनी रोजी कमाने का अवसर मिलता था और इस संख्या में बाद में और बढ़ोतरी हुई है— प्रत्येक आदमी का नदी में चलने वाली नावों से किसी न किसी प्रकार का संबंध रहता है। यह नदी कभी भी पैदल पार करने लायक नहीं होती है और सभी ऋतुओं में सभी स्थानों में प्रायः यही स्थिति है। इससे अनुमान लगाया जा

सन् 1780 में 30,000 नाविकों को गंगा नदी से अपनी रोजी कमाने का अवसर मिलता था और इस संख्या में बाद में और बढ़ोतरी हुई है।

सदानीरा गंगा

झारखंड राज्य का एक जिला है साहेबगंज। इस राज्य का एक मात्र यही जिला है जिसकी सीमा को छूती है गंगा। गंगा साहेबगंज जिले की सीमा रेखा से होकर करीब 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसके बाद बंगाल की सीमा में प्रवेश कर जाती है। यह याद रहे कि साहेबगंज के पश्चिम में बिहार है और उत्तर तथा पूरब में गंगा नदी। नदी के पार बिहार और बंगाल हैं। गंगा नदी साहेबगंज को कई रूपों में प्रभावित करती है और महत्वपूर्ण बनाती है। झारखंड से होकर गुजरने वाली नदियों में एक मात्र गंगा ही ऐसी नदी है जिसमें सालोभर पानी रहता है। झारखंड की बाकी नदियां मौसमी हैं। उनमें सिर्फ बरसात के मौसम में पानी रहता है, वह भी थोड़े समय के लिए— शेष समय में वे सूखी रहती हैं। इस गंगा की कई धाराएं हैं साहेबगंज में। मुख्य धारा में ही सालोभर पर्याप्त पानी रहता है, बाकी धाराओं में मामूली पानी रहता है। गर्मी के मौसम में कहीं-कहीं इतना कम पानी होता है कि इसे नंगे पांव पैदल चलकर भी मुख्य भूमि से कुछ दियारा क्षेत्रों में जाया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर दियारा क्षेत्रों में जाने के लिए नौकाओं का सहारा लेना पड़ता है। पहले नौकाएं पतवार व डांड के सहारे चलती थीं, किन्हीं-किन्हीं में पाल भी लगे होते थे। आज की नौकाएं मोटर-चालित हैं जिनमें डिजल से चलने वाला इंजन लगा होता है— किसी में एक, किसी में दो। इस गंगा में पानी वाले जहाज भी चलते हैं, किंतु सिर्फ मुख्य धारा वाले हिस्से में। साहेबगंज के ठीक सामने वाली धारा में जाड़े के मौसम में भी इतना कम पानी रहने लगा है कि साहेबगंज व मनिहारी के बीच चलने वाला जहाज अब समदा के सामने (सकरीगली के निकट) से चलाने को मजबूर होना पड़ता है। बरसात के मौसम में साहेबगंज का पूरा का पूरा दियारा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। दियारा क्षेत्र के किसान

सकता है कि इस शानदार नदी में वाणिज्य की दृष्टि से नावें चलाना कितना बड़ा काम है। ऐसे ही यात्री भी इन नावों द्वारा इतने चलते हैं कि इन दोनों तथ्यों की गिनती भी नहीं की जा सकती।" (उपर्युक्त पुस्तक, पृष्ठ 218)

कुल मिलाकर बात इतनी-सी है कि गंगा नदी में नौका सेवाएं हजारों वर्ष से जारी हैं और गंगा अपनी धारा में तथा आसपास के खेत-खलिहानों में करोड़ों-करोड़ लोगों को रोजी-रोटी मुहैया कराती रही हैं। आज जो पूंजीपरक और बाजारोन्मुख नीतियां जारी हैं उससे गंगा के सहारे और गंगा के बेसिन में जीविका अर्जित करने वाले तमाम लोग संकट में हैं। अगर इन नीतियों का एकजुट होकर प्रतिरोध न किया गया तो एक-एक कर जनता के हाथों से संसाधन छीनते चले जाएंगे।

इस भूमि पर तब खेती नहीं करते। बाढ़ के समय ये अपने माल-मवेशियों के साथ गंगा-किनारे बनी स्थाई बस्तियों में आ जाते हैं। पानी हटने पर दियारे की भूमि में फसलें लगाने का काम होता है। गंगा में मछुआरे सालोभर मछली पकड़ने का काम करते हैं। वे बंसी तथा जाल में मछलियां फंसाते हैं। मछुआरों की नौकाएं आज भी बिना मोटरवाली नौकाएं हैं।

उत्तराखंड में गंगा में टेहरी बांध बनने के बाद हमेशा कम पानी रहने लगा है— इलाहाबाद (प्रयागराज) से ऊपर के हिस्सों में। जो पानी है वह अत्यंत प्रदूषित है। इलाहाबाद में यमुना से मिलने के बाद गंगा में कुछ ज्यादा पानी हो जाता है। बिहार में गंगा में कई सदानीरा नदियां मिलती हैं— उसकी बाईं छोर की तरफ से। गंडक, कोसी, आदि इनमें खास हैं। इन बहुतेरी नदियों के मिलने से गंगा में जलस्तर ऊपर उठ जाता है— खासकर, बरसात के मौसम में तो जलस्तर इतना ज्यादा हो जाता है कि चारों तरफ बाढ़ का दृश्य आम हो जाता है। केंद्र सरकार का कहना है कि गंगा में जहाज चलाने के लिए कुछ जगहों पर बांध बनाने पड़ सकते हैं तथा गंगा से नियमित तौर पर गाद निकालने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी।

सकरीगली में यह भी चर्चा है कि गोड्डा में बनने वाले अडानी ताप-विद्युत संयंत्र के लिए पानी की आपूर्ति यहीं से की जाएगी। वैसी दशा में साहेबगंज की सीमा पर कोई न कोई ऐसा प्रबंध करना पड़ेगा ताकि गंगा का जलस्तर हमेशा ऊंचा बना रहे। इस तरह के प्रबंध की कल्पना करके ही दियारा क्षेत्र के किसान कांप उठते हैं। एक किसान के अनुसार, "फरक्का बांध के बनने से हमें अपना आवास गंवाना पड़ा है, अब अगर कोई और बांध बनता है साहेबगंज की सीमा पर तो हमें अपनी संपूर्ण कृषि भूमि भी गंवानी पड़ेगी।" ■

समदा गांव के गंगाघाट पर एक बड़ी नौका में मरम्मत कार्य चल रहा था। तीन-चार कारीगर इस कार्य में लगे हुए थे। एक आदमी कुर्सी पर बैठा इसकी निगरानी कर रहा था। उम्र लगभग 45-50 वर्ष होगी। हम टहलते हुए करीब पहुंचे और इस काम को देखने लगे। उस आदमी से हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इसने बताया, "मेरा नाम है अनिल यादव। गांव का नाम है समदा और मौजा का नाम है समदा नाला। यहां 50 साल पहले एकदम छोटी बस्ती थी। अब इस गांव में 80-85 परिवार रहते हैं। आबादी है लगभग 500। सामने एक दियारा था। नाम था बबूरबन्ना। बहुत खुशहाल दियारा था। दियारा का जीवन बहुत ही कठिन होता है। लेकिन इस कठिनाई के बावजूद वहां के लोग खुशहाल थे। बरसात में ही खास परेशानी थी। उससे उबरते

ही पूरे दियारे में रौनक लौट आती थी। फरक्का बांध बनने के बाद वह दियारा पूरी तरह कटकर गंगा में विलीन हो गया है। जब दियारा कटने लगा तो लोग आसपास की जगहों में बसने लगे— समदा, बांसकोला,जीरवाबाड़ी, कबूतर खोपी, पुरानी साहेबगंज आदि में। उन्हीं दिनों मेरा परिवार भी इस गांव का निवासी बना।"

"हमारी नौकाएं लाइसेंस प्राप्त हैं। हम बिहार या बंगाल से नौका के लिए लाइसेंस बनवाते हैं। झारखंड में कोई ऐसा विभाग नहीं है जो नौकाओं को लाइसेंस दे।" —अनिल यादव

"आपके परिवार का पेशा क्या रहा है ?"

"बबूरबन्ना में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे। सभी का पेशा खेती-किसानी से जुड़ा रहा है। लेकिन जब खेत ही न रहे तो किसानी कहां रही! अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार लोगों ने अलग-अलग पेशे अपनाए। हमने दो-एक पशु पालने के साथ-साथ नाविक का पेशा अख्तियार किया।"

"कैसा चल रहा है यह आपका पेशा?"

"इस जगह बंदरगाह बनने की शुरुआत होते ही हमारे पेशे पर ग्रहण लग गया है। आप जहां खड़े हैं, यहां लगभग 500 मजदूर हर रोज गिट्टी-पत्थर चढ़ाने-उतारने का काम किया करते थे। क्रैशर मशीन की साइट से ट्रक में भरकर यहां माल आता था। मजदूर उसे उतारते थे। फिर उसे नावों में लोड करते थे। हर मजदूर तीन-चार घंटों में पांच सौ से सात सौ रुपये तक की कमाई कर लेता था।"

"किंतु अब यहां ऐसा क्यों नहीं है?"

"सरकार का आदेश है कि बंदरगाह के आसपास के 200 मीटर दायरे में कोई भी व्यावसायिक गतिविधि न चले।"

"इसका विरोध नहीं हुआ?"

"प्रशासन के सामने तीव्र विरोध जरा मुश्किल काम है। खासकर, जब लोगों के पास कोई स्थाई रोजगार न हो। प्रशासन ने जब हमारे काम को अवैध कहकर ट्रकों को जब्त करना शुरू किया और उसमें खलल डालना जारी किया तो मजदूरों ने यहां आना बंद कर दिया। दैनिक मजदूर कब तक यहां रोजगार की राह तकते! वे सूरत, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की ओर भाग लिए।"

"क्या सचमुच आपका काम अवैध है?"

"हमारी नौकाएं लाइसेंस प्राप्त हैं। हम बिहार या बंगाल से नौका के लिए लाइसेंस बनवाते हैं। झारखंड में कोई ऐसा विभाग नहीं है जो नौकाओं को लाइसेंस दे। इसका एक कारण यह है कि

झारखंड में गंगा को छोड़कर कोई ऐसी दूसरी नदी नहीं है जिसमें नौकाएं चलें। बिहार से अलग होने के बाद, इसलिए झारखंड ने इस तरह के विभाग की जरूरत ही नहीं समझी। इसी तरह पत्थर के कारोबार में लगे लोग इसका लाइसेंस लेते हैं। उन्हें पत्थर की मात्रा के अनुसार राजस्व जमा करना होता है। लेकिन प्रशासन की रुचि राजस्व वृद्धि में नहीं होती है। वे लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवैध कारोबार में आएं और बड़ी मात्रा में रिश्वत देकर अपना धंधा जारी रखें।"

"आपकी बात में हमें सच्चाई नजर आती है। कल हम गंगा के उस पार मनिहारी में थे। वहां सैकड़ों नावें लगी थीं। उनसे गिट्टियां उतरी जा रही थीं। हमने उनके कुछ फोटो लिए तो एक आदमी ने इस पर आपत्ति की और सारे फोटो कैमरे से डीलिट करवाए। हम वहां से घिसक लिए। बाद में कारण जानने की कोशिश कि तो पता चला कि वैध कारोबार के साथ-साथ अवैध कारोबार भी चलता है। प्रशासन और अवैध कारोबार में लगे लोगों को यह भय सताता रहता है कि कहीं जनता के बीच उनकी कारगुजारी का पर्दाफाश न हो जाए।"

"जो बात मनिहारी में देखी-समझी आपने, वैसा ही है झारखंड के खनन विभाग में। एक और कारण है प्रशासन द्वारा हमारे काम को रोकने का। पहले प्रशासन की मंशा थी कि समदा गांव के पास की इसी जमीन पर बंदरगाह बने। लेकिन गांव वालों ने कहा कि हम इस जमीन पर बंदरगाह कतई न बनने देंगे। गांव वालों ने प्रशासन को भगा दिया। उस झड़प का बदला ले रहा है प्रशासन— हमारी रोजी-रोटी छीनकर। फिलहाल हमारा गांव उजड़ने से बच गया है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम खतरे से बाहर हैं। जहां बंदरगाह बन रहा है, वह जमीन मेरे गांव से भी जुड़ी है। हां, अभी उजड़ रही हैं दूसरी बस्तियां— आश्रम, समदानाला, सिजपर आदि।"

"फिलहाल हमारा गांव उजड़ने से बच गया है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम खतरे से बाहर हैं। जहां बंदरगाह बन रहा है, वह जमीन मेरे गांव से भी जुड़ी है।" —अनिल यादव

"जहां बंदरगाह बन रहा है, वहां क्या था?"

"वहां घना बगीचा था आम का। कुछ और पेड़ भी थे। जंगल जैसा नजर आता था। वहां गंगा में हमेशा पानी रहता था।"

"बबूरबन्ना दियारे के बारे में थोड़ा और बताएं।"

"बबूरबन्ना दियारा बहुत ही उपजाऊ था। वहां चन्ना, मटर, गन्ने की खेती होती थी। गर्मी के मौसम में साहेबगंज के सामने वाली गंगा की सोती सूख जाती थी। बबूरबन्ना से बैलगाड़ियों में

माल भर-भरकर साहेबगंज आता था। बबूरबन्ना में ईख एक बार लगाने पर वर्षोंवर्ष फसल होती थी। लोग आजिज आकर दस वर्ष बाद ईख के पौधों को उजाड़ते थे। लोग खेत में ही गुड़ बनाते थे और मंडी में लाकर बेचते थे। जब तक फरक्का बैराज नहीं बना था, लोग खाने-पीने-रहने को आजाद थे। बबूरबन्ना का दियारा कटने से लोग बेजमीन और बेघर हो गए हैं। हालांकि अब फिर दियारा में जमीन दिखने लगी है। लेकिन हम कह नहीं सकते कि वह जमीन खेती लायक कब होगी। होगी भी कि नहीं होगी। पहले पीर दरगाह से गोगाछी तक पानी का जहाज चलता था। बबूरबन्ना का दियारा कटने से नदी का लिंक मनिहारी हो गया है। 17-18 साल से हमारा मुख्य पेशा पत्थर का व्यवसाय हो गया है। बबूरबन्ना के लगभग 40 प्रतिशत लोग इस पेशे से जुड़े हैं। दियारा की कुछ भूमि पर अब फिर से खेती होने लगी है।

"मेरा गांव उजड़ेगा या रहेगा— इस बारे में मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन एक बात कहूंगा कि सरकार वह काम करे जिसमें प्रजा का हित हो।" —अनिल यादव

"अभी आपने बताया कि पत्थर के कारोबार में प्रशासन द्वारा बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। तब लोगों की आजीविका का आधार क्या है?"

"प्रशासन ने यहां से दूर— लगभग 300 मीटर की दूरी पर— सोती चौकी खुटेहरी में, हमें पत्थर का कारोबार करने की इजाजत तो दे दी है लेकिन खनन विभाग द्वारा उसमें हमेशा मिन-मेख निकाले जाने से कारोबार ठप है तीन साल से। प्रशासन यही चाहता है कि अपना काम बंद कीजिए और उसे जमीन दीजिए। यहां से हर रोज दस-पन्द्रह नावें खुलती थीं और सरकार को हर साल करीब एक करोड़ का राजस्व मिलता था। अब स्थिति यह है कि सरकार न तो जमीन ले रही है और न ही काम करने दे रही है।"

"क्या लगता है आपको— आपका गांव बच गया है उजड़ने से? उजड़े गांवों को बसाने के लिए क्या होना चाहिए?"

"मेरा गांव उजड़ेगा या रहेगा— इस बारे में मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन एक बात कहूंगा कि सरकार वह काम करे जिसमें प्रजा का हित हो। एक गांव में, बस्ती में लोग सामूहिक जीवन जीते हैं। उन्हें जहां भी बसाया जाए साथ में बसाया जाए ताकि विपत्ति व उत्सव में वे एक-दूसरे के काम आ सकें। नई जगह वर्तमान बस्ती से दूर नहीं होनी चाहिए। 10-15 किलोमीटर दूर चले जाने पर कई तरह की परेशानियां बढ़ जाएंगी। यदि हम अलग-अलग जगहों पर और एक-दूसरे से दूर बसा दिए जाएंगे तो हमारा आपसी संबंध तो खत्म होगा ही, हम नया

समाज भी नहीं बना पाएंगे। हमारी रोजी-रोटी खत्म होगी सो अलग। 2015 से 2018 आ गया, लेकिन सरकार की मंशा आंकने में हम आज भी असमर्थ हैं। मैं जानता हूं कि नाव की मरम्मत में जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूं उसका रिटर्न निश्चित नहीं है। साढ़े चार लाख रुपये की नाव ली थी, सेकेंड हैंड; साढ़े चार लाख मरम्मत में भी लग जाएंगे। परिवार का गुजारा इसी नाव के भरोसे है। खेत में तो केवल बालू है। तीन बच्चे हैं— एक मैंट्रिक में है, दूसरा इंटर में है और तीसरा बी.ए. में। पति-पत्नी मिलकर कुल पांच व्यक्तियों का खर्चा है। कमाई जीरो है। संचित पैसों से जीवन नैया कैसे पार लगेगी। कोई धन्नासेठ तो हैं नहीं। 12 साल से नाव चलवा रहे हैं। इसमें तीन साल से संकट है। पत्थर का कारोबार भी 6 माह ही होता है। बरसात में यह काम रुक जाता है। हां, बाढ़ राहत के लिए प्रशासन नाव लेता है किराए पर तो उससे कुछ कमाई हो जाती है हर सीजन में। हम जानते हैं कि साहेबगंज में गंगा पर पुल बन जाने के बाद पत्थर को इस पार से उस पार ले जाने का काम भी नावों से नहीं, ट्रकों से होगा— सीधे। इस तरह हर हालत में हम नाविकों का धंधा अब कुछ ही सालों का है। गंगा में मेरी जमीन है 10 बीघे। अभी उस में कास लगने के बाद मिट्टी पड़ना बाकी है। जब जमीन खेती लायक होगी तब जाकर कुछ नया रोजगार पुनः शुरू होगा।"

"आपकी जमीन आपको मिलेगी, उसकी क्या गारंटी है?"

"रैयत की जमीन चाहे पानी में हो, बालू हो या उपजाऊ भूमि— उसे उसका लगान देना पड़ता है। इसलिए प्रशासन की यह जिम्मेवारी है कि वह रैयत की जमीन उसे उपलब्ध कराए। दियारा की जमीन पर असामाजिक तत्वों की निगाह रहती है, फिर भी रैयत तो यह उम्मीद रखता ही है कि उसे उसकी जमीन वापस मिलेगी।"

समदा घाट और बंदरगाह निर्माण-स्थल के बीच में एक और नाव की मरम्मत का काम चल रहा था। हमने उसके मालिक से बातचीत करने की कोशिश की तो वह हम पर फट पड़ा— "आप सब भाजपा के जासूस हो और यह पता लगाने आए हो कि उसको कितना जन-समर्थन है। तो यह जान लो कि पूरा जिला दुःखी है। नाव बंद होने, पत्थर का धंधा बंद होने से पूरा जिला दुःखी है। बड़े व्यापारी घूस देकर छोटे व्यापारियों का कारोबार बंद करा रहे हैं। इससे साहेबगंज जिले में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। 30-40 हजार आदमी अपना जिला-जवार छोड़कर पलायन कर गए हैं और शेष बेरोजगार लोग भारी हताशा-निराशा में हैं। ये लोग अपराधी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे!" डी.एन. सिंह ने यह भी कहा कि मन में ऐसा आक्रोश है कि इच्छा होती है

"बड़े व्यापारी घूस देकर छोटे व्यापारियों का कारोबार बंद करा रहे हैं। इससे साहेबगंज जिले में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है।" —डी. एन. सिंह

कि या तो सामने वाले को मार दूं और गंगा में फेंक दूं या खुद डूबकर आत्महत्या कर लूं। कांग्रेस के समय ही इस बंदरगाह को बनाने की योजना बनी थी, लेकिन आज तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है। स्थानीय विधायक इस बंदरगाह को बनवाने को प्रतिबद्ध है और हमारी समस्या को सुनने तक को राजी नहीं है। यह कहां का लोकतंत्र है! यह बंदरगाह नहीं बन रहा है, हमारी कब्र खोदी जा रही है।"

एक दिन सकरीगली गांव के सामने के घाट की ओर निकल गए हम। वहां हमने देखा कि प्रेम. चंद चौधरी गंगा के पानी में अपनी नाव पर रंग-रोगन कर रहे थे। उन्होंने बताया, "हमारा यह धंधा अब खत्म ही होने वाला है। मैं मल्लाह जाति से हूं। नावें हमारी हाथ-पांव रही हैं। इन्हीं के सहारे रोजी-रोटी चलती रही है। अब इस धंधे में हमारे बच्चों की रुचि नहीं है। कहते हैं कि बड़ा पचड़ा है इसके सहारे जीने में। सच है कि नाव की खरीद और मरम्मत में लाखोंलाख का खर्च है। अभी तक इसकी मरम्मत में कर्ज लेकर डेढ़ लाख रुपये खर्च कर चुका हूं। इस नाव में एक ही मशीन की जगह है। इसलिए चाहकर भी मैं इसमें दो मशीनें नहीं लगवा सकता। एक मशीन वाली नाव उतनी तेजी से नहीं चलती जितनी दो मशीन वाली नाव। यह नाव दो साल से बंद है। मेरे पास पैसे ही नहीं थे कि समय-समय पर इसमें मरम्मत-कार्य करा सकूं। दूसरे मेरे दो जवान बेटे हैं जो मेरा साथ नहीं देते। वे नाव को चलवाने में कुछ भी उत्साह नहीं दिखा रहे। उनके हिसाब से मैं गोंयठे में घी सोखा रहा हूं। कभी-कभी मुझे भी उनकी बात में दम नजर आता है। खैर, मेरी नाव तो खराब होने की दशा में बंद है, लेकिन जिनकी ठीक हैं, उनकी भी तो चल नहीं रही हैं। सरकार की कोप-दृष्टि के कारण पत्थर-गिट्टी का कारोबार ठप है सकरीगली के घाट पर। जब आज काम बंद है तो आगे यह खुल जाएगा, हम कैसे कह सकते हैं!"

"पैसे के अभाव में मैं अपनी नाव में दो मशीनें नहीं लगवा सकता। यह नाव दो साल से बंद है।" —प्रेमचंद चौधरी

वहीं किनारे के खेत में विनोद चौधरी घास गढ़ रहा था। लगभग 35 वर्ष का होगा। हमने पूछा, "यह खेत आपका है?"

उसने कहा, "नहीं, इस खेत का मालिक दूसरा है। मैं भी सकरीगली गांव का रहने वाला हूं और मल्लाह जाति से हूं।"

"नाव चलाने-चलवाने के धंधे में नहीं हैं आप?"

"अरे मेरी औकात कहां नाव चलवाने की! मैं गरीब परिवार से हूं और मेरे परिवार के लोग मजदूरी करते रहे हैं— खेत में या पत्थर की ढुलाई में। यही मुख्य धंधे रहे हैं इस गांव के लोगों के लिए।

जब काम नहीं रहता तो घास गढ़ने निकल जाता हूं। खेत का मालिक देखेगा तो डांटे-फटकारेगा कि मेरा खेत रौंद रहे हो। सो नजर बचाकर घास निकाल रहा हूं।"

"तो नाव से आपका संबंध कभी नहीं रहा है ?"

"यहां किनारे दसियों नौकाएं बंधी हैं। इन सबमें पत्थर-गिट्टी की लदाई होती है। लादने के लिए मजदूरों की टोली होती है। उस टोली का एक सदस्य मैं भी होता हूं जब भी अवसर मिलता है। यहां अवसर नहीं मिलता है तो जहां अवसर मिलता है वहां होता हूं। इन खेतों में शाक-सब्जी लगी हुई है। इनकी कोड़ाई और निकौनी में मदद करता हूं। मैं मजदूर हूं, जहां मजदूरी मिलेगी, वहां काम करूंगा। घर में एक गाय है, दुधारू है, उसी के लिए घास गढ़ रहा हूं। चारा में हरी घास मिला देने पर उसका जायका बदल जाएगा। मन से खाएगी बेचारी। वैसे चारा भी तो महंगा है। पुआल खरीदने में काफी खर्चा आता है। उसमें घास मिलाने से कुछ पैसे की मदद हो जाएगी। दुधारू पशु है तो उसकी सही देखभाल जरूरी है, तभी वह दूध देगी।"

बड़े जहाज, बड़ी समस्याएं

रामशरण जी भागलपुर में रहते हैं और गंगा मुक्ति आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। गंगा मुक्ति आंदोलन न केवल गंगा, बल्कि यह भारत की सभी नदियों को 'अविरल बहने दो' के पक्षपाती है। भागलपुर और साहेबगंज दोनों आसपास के नगर हैं। एक बिहार में है और दूसरा झारखंड में। दोनों गंगा किनारे हैं और दोनों नगरों का व्यापारिक महत्व एक-सा रहा है। साहेबगंज में बंदरगाह बन रहा है और गंगा में प्रयागराज से हल्दिया तक जहाज चलाना चाहती है भारत सरकार। इस परिघटना का दूरगामी प्रभाव क्या होगा— इस संबंध में हमने रामशरण जी से बातचीत की। यहां प्रस्तुत हैं उसके खास-खास अंश।

जब सड़क, रेल और हवाई परिवहन की सुविधा न थी, तब जल परिवहन ही सर्वप्रमुख तरीका था सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का।

■ भारत सरकार देश की नदियों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में करना चाहती है। इसका नदियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

— परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग सहस्रों वर्षों से हो रहा है— समुद्रों और नदियों दोनों में। ये जलमार्ग बहुत लंबी-लंबी दूरी वाले रहे हैं। परिवहन की इसी सुविधा के कारण दुनिया के ज्यादातर पुराने नगरों का विकास नदी या समुद्र किनारे हुआ। जब सड़क, रेल और हवाई परिवहन

की सुविधा न थी, तब जल परिवहन ही सर्वप्रमुख तरीका था सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। अब भी समुद्र-मार्ग का उपयोग दूर-दूर सामान लाने-ले जाने और नदी-मार्ग का उपयोग स्थानीय तौर पर होता है। अंतर इतना आया है कि पहले के जहाज तथा नावें लकड़ी के बने होते थे तथा पाल व पतवार के सहारे चलते थे, अब यंत्र-चालित जहाजों व नावों का प्रचलन बढ़ा है। इससे नदियों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। भारत सरकार की जो योजना है नदियों को अंतर्देशीय जलमार्ग में बदलने की, उससे कई प्रकार की समस्याएं उठ खड़ी होंगी। अभी गंगा को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 घोषित किया गया है। बनारस में बंदरगाह बन गया है और वहां से हल्दिया तक जहाज के दो-एक फेरे भी लग चुके हैं। बीच में कई और भी बंदरगाह बनाए जाएंगे। जब परियोजना परवान चढ़ेगी तो गंगा में यातायात बहुत बढ़ जाएगा। उस दशा में गंगा नदी में कई तरह की पर्यावरणीय समस्याएं भी साफ-साफ नजर आने लगेंगी।

अशोक के शासन-काल से पहले भी गंगा में पोत चलने के प्रमाण मिलते हैं। ये पोत पाल और पतवार के जरिए चलते थे।

■ गंगा में पोत-परिवहन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें।

— यह पुराना अंतर्देशीय व अंतर्राष्ट्रीय मार्ग रहा है जल-परिवहन का। अशोक के शासन-काल से पहले भी गंगा में पोत चलने के प्रमाण मिलते हैं। ये पोत पाल और पतवार के जरिए चलते थे। गंगा के किनारे बसे नगरों के व्यापारी सरयू, यमुना, गंडक, कोसी आदि नदियों के किनारे बसे नगरों में सामान पहुंचाते थे और वहां से सामान लाते थे। पाटलिपुत्र, भागलपुर आदि से सामान सुदूर आसाम तक जाता था। पहले गंगा से होकर पुनः ब्रह्मपुत्र के माध्यम से। गंगा से पोत श्रीलंका, सुमात्रा, इत्यादि दक्षिण-पूर्व एशिया में खूब आया-जाया करते थे। व्यापार के साथ-साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए भी पोतों का इस्तेमाल होता था। महेंद्र और संघमित्रा ने बौद्धधर्म के प्रचार-प्रसार के लिए जल-मार्ग का ही उपयोग किया था। भागलपुर और साहेबगंज भी व्यापार के लिए जलमार्ग का उपयोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। सैनिकों के आवागमन के लिए भी हर काल में इस मार्ग का उपयोग होता रहा है। रेलमार्ग के बन जाने के बाद नावों से दूर-दूर तक परिवहन में कमी आई। फिर भी विभिन्न शहरों के सामने गंगा को पार करने के लिए नावों का उपयोग होता रहा। जब स्टीमर गंगा में उतरे तो उनके जरिए भी आवागमन होने लगा। जैसे-जैसे गंगा पर पुल बनने लगे, वैसे-वैसे नावों और स्टीमरों का महत्व कम होने लगा। जल-मार्ग की जगह सड़क मार्ग और रेलमार्ग का उपयोग होने लगा।

अंतर्देशीय जलमार्ग सेवा : कुछ तथ्य

- रेल-युग के शुभारंभ तक ब्रह्मपुत्र में डिब्रूगढ़ तक, गंगा में इलाहाबाद से 400 मील ऊपर गढ़ मुक्तेश्वर तक और यमुना में आगरा तक बड़े-बड़े धुंआकश चला करते थे।
- घाघरा में गंगा के संगम से 200 मील ऊपर स्थित अयोध्या तक नियमित धुंआकश उपलब्ध थे।
- गंगा के तट पर स्थित कानपुर में उस समय इतनी नौकाएं चलती थीं कि वह एक छोटा-मोटा बंदरगाह प्रतीत होता था।
- उस समय नदी मार्ग से यात्रा करना सर्वोत्तम माना जाता था, विशेष रूप से वर्षा के दिनों में। इसलिए कलकत्ते से यात्रा करने हेतु तीन सप्ताह पहले अपना स्थान सुरक्षित कराना पड़ता था।
- भारत में सर्वप्रथम 1823 में भाप से चलने वाली नौकाओं (धुंआकश) का प्रयोग आरंभ हुआ। 1842 तक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में नियमित धुंआकश सेवाएं चलने लगीं। इन सेवाओं का प्रसार भारत (और आज का बांग्लादेश) में 5000 मील तक हो गया था।
- गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा होने वाले कुल यातायात की तुलना में भाप की सहायता से होने वाला यातायात बहुत छोटा भाग था। अधिकांश यात्री देशी नावों से ही यात्रा करते थे।
- ये नावें दिल्ली तथा नेपाल की सीमा से असम तक चला करती थीं। 1876-77 में कलकत्ते में पंजीकृत नावों की संख्या 1,78,627; हुगली में 1,24,357 और पटना में 61,571 थीं।
- 1958 तक आते-आते सौ वर्षों से भी अधिक समय से सेवा प्रदान कर रही धुंआकश सेवाएं बंद करनी पड़ीं; क्योंकि रेलें जल-परिवहन कंपनियों को यातायात से वंचित करती गईं, नहरें नदियों को उथली करती गईं और बड़े उद्योग जल-कंपनियों की पूंजी का अपहरण करते गए। हालांकि छिटपुट धुंआकश सेवाएं दो दशक बाद तक जारी रहीं। ■

(स्रोत: *भारतीय परिवहन व्यवस्था,* डॉ. शिवध्यान सिंह चौहान, पृष्ठ-479-80)

■ **भारत सरकार का कहना है कि जल-परिवहन अन्य परिवहनों की तुलना में सस्ता है। इसलिए ही जल-परिवहन को नए सिरे से विकसित करने पर विचार किया जा रहा है।**

— सच है कि अन्य मार्गों की तुलना में जलमार्ग से आवागमन सस्ता है। जब बड़े पैमाने पर जलमार्ग से आना-जाना शुरू होगा तो सड़क मार्ग व रेलमार्ग पर भी परिवहन का दबाव थोड़ा कम होगा। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जलमार्ग से यातायात बढ़ने पर नदियों में दुर्घटनाएं बढ़ेंगी और जल-प्रदूषण भी बढ़ेगा। छोटे-छोटे व्यापारियों की जगह देश में बड़े-बड़े व्यापारियों— खासकर विदेशी व्यापारियों— का वर्चस्व कायम होगा। पूरी कसरत ही इसलिए की जा रही है कि इन्हीं संपन्न व्यापारियों का हित सधे। इनका माल आसानी से और सस्ता पहुंचे। इसलिए जलमार्गों पर यंत्रचालित बड़े-बड़े जहाज चलेंगे। छोटी-छोटी नावों को नदियों में चलने से रोका जाएगा।

■ **आपका यह अनुमान कि छोटी-छोटी नावों को रोका जाएगा– किस आधार पर है?**

— गंगा को पार करने के लिए जहां-जहां स्टीमर, लौंच और जहाज लाए गए, वहां-वहां नाविकों को हतोत्साहित किया गया। गंगा पर जल-जमींदारी के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए ही तो गंगा मुक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। जिन समुदायों का जल-जंगल-जमीन से गहरा रिश्ता रहा है, उन्हें बेदखल करने के लिए देश में मुहिम चल रही है सरकारों की सरपस्ती में। सुल्तानगंज से पीरपैंती तक जल-जमींदार एक-एक नाव पर हजार-बारह सौ रुपये वसूलता था। हमने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव से कहा कि मछुआरों के हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। गंगा को बंधक बनाने का अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए। लालू यादव की सरकार ने हमारी बात सुनी और मछुआरों को टैक्स फ्री कर दिया। खैर, वह समय इतना कठिन नहीं था। आज तो नए-नए तरीके से संपन्न तबका अपना वर्चस्व जमाने की जुगत में है। नगरों के घाटों का सौंदर्यीकरण, गंगा में पर्यटन को बढ़ावा, आदि ऐसे कदम हैं जो गंगा से जुड़े परंपरागत समुदायों को अलग-थलग करेंगे।

गंगा को बंधक बनाने का अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए, जबकि आज तो नए-नए तरीके से संपन्न तबका अपना वर्चस्व जमाने की जुगत में है।

■ **बड़े जहाज-आधारित जलमार्ग से पैदा होने वाली समस्याएं क्या-क्या हैं?**

— बड़े जहाजों को चलाने के लिए गंगा में जगह-जगह बैराज बनाने पड़ेंगे ताकि गंगा में जलस्तर उठे। लेकिन बैराज बनाने से गंगा में गाद की समस्या और विकराल होगी। अभी एक बैराज है

फरक्का में। उसकी वजह से गंगा में बहुत गाद भर गई है। गाद भरने से बरसात के दिनों में बिहार और झारखंड के दियारे में बाढ़ भयंकर रूप अख्तियार करती जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार कह चुके हैं कि बाढ़ से बचने का बेहतर उपाय है कि फरक्का बांध तोड़ दिया जाए। जब एक बैराज से इतना विनाशकारी प्रभाव पड़ा है तो कई-कई बैराजों से कितनी मुसीबत आने वाली है, यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरे, बड़े जहाजों के आवागमन के लिए नदी में गहरा पानी होना चाहिए। बाढ़ के समय नदी में गाद ज्यादा भरती है। नावें तो कम पानी में भी तैरती रहती हैं। बड़े जहाजों के लिए इस गाद को रास्ते से निकालना पड़ेगा। गाद को निरंतर निकालना होगा— इस पर बहुत ज्यादा खर्च आएगा। मेरा अनुमान है कि तीन-चार हजार करोड़ रुपये खर्च आएगा, गंगा से गाद निकालने में। पहाड़ों और समतल इलाकों से जंगल जिस गति से कटेंगे, उसी गति से गंगा में गाद भरेगी। फिर इस गाद को ठिकाने कहां लगाया जाएगा? बड़े जहाजों के चलने से गंगा के पानी में रहने वाले जीवों पर भी उलटा प्रभाव पड़ेगा— एक तो प्रदूषण के कारण; दूसरे जहाजों से उन जीवों के टकराने के कारण। गंगा में भागलपुर से कहलगांव तक डाल्फीन अभयारण्य घोषित किया गया है। गंगा में बड़े जहाजों के चलने से उनकी सुरक्षा संभव नहीं है। एक बात और; बैराज बनने से समुद्र से नदियों में आने वाले जीवों, मछलियों का रास्ता रुक जाता है। इससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। डूब क्षेत्र के बढ़ने से खेती-किसानी भी संकटग्रस्त होती जाती है। साहेबगंज और फरक्का बांध के बीच का दियारा क्षेत्र इसकी गवाही देता है। इस तरह कह सकते हैं कि नदी मार्ग से यंत्र-चालित जहाजों द्वारा परिवहन किसानों, मछुआरों और जल-जीवों पर विनाशक प्रभाव छोड़ता है।

अभी एक बैराज है फरक्का में। उसकी वजह से गंगा में बहुत गाद भर गई है। गाद भरने से बरसात के दिनों में बिहार और झारखंड के दियारे में बाढ़ भयंकर रूप अख्तियार करती जा रही है।

■ गंगा में प्रदूषण बढ़ेगा, इस बात को थोड़े विस्तार से समझाएं।

— बड़े-बड़े जहाज पेट्रोल-डीजल से चलते हैं। इन जहाजों से उत्सर्जित पदार्थ गंगा के जल में घुलता है। बड़े-बड़े जहाजों से पेट्रोलियम और कोयले की ढुलाई होती है, रासायनिक पदार्थों की ढुलाई होती है। ये पदार्थ गंगा के जल में गिरेंगे और उसे प्रदूषित करेंगे। इस प्रदूषित जल से जल-जीवों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। गंगा पहले से प्रदूषित है, वह और ज्यादा प्रदूषित होगी। इस तरह गंगा का जलमार्ग के रूप में इस्तेमाल बहुत महंगा सौदा साबित होने जा रहा है।

■ **क्या आप जलमार्ग का उपयोग करने के खिलाफ हैं?**

— कतई नहीं। लेकिन हम सरकार के नजरिए से भिन्न नजरिया रखते हैं। हम छोटी-छोटी नौकाओं के चलाने के पक्षपाती हैं। हम चाहते हैं कि गंगा और अन्य नदियों में जो यंत्र-चालित नौकाएं चलें, वे सौर ऊर्जा से चलें। उनमें यंत्र ऐसे लगे हों जो जल-जीवों को हानि न पहुंचाएं। छोटी-छोटी नौकाएं, यहां तक कि बड़ी नौकाएं भी इस तरह के जलमार्ग की जरूरत नहीं महसूस करातीं कि नदियों में बैराज बनाने पड़ें। नावों को कम दूरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा दूरी के परिवहन के वास्ते अन्य मार्गों का उपयोग करना चाहिए। स्थानीयता को महत्व देते हुए आसपास की चीजों से ही काम लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। दूर से चीजें लाकर उसका इस्तेमाल सही नहीं है। जब झारखंड में ही कोयला उपलब्ध हो तो उसे आस्ट्रेलिया से लाने का क्या तुक बनता है!

छोटी-छोटी नौकाएं, यहां तक कि बड़ी नौकाएं भी इस तरह के जलमार्ग की जरूरत नहीं महसूस करातीं कि नदियों में बैराज बनाने पड़ें।

जाहिर है, सोचने-विचारने के प्रस्थान-बिंदु भिन्न होने से सोचने-विचारने का नजरिया बदल जाता है। अगर जनता को रोजगार देना है तो हम एक तरह से सोचेंगे और सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष या एक छोटे से समूह को लाभ पहुंचाना है तो दूसरे तरीके से सोचेंगे। सकरीगली में बन रहा बंदरगाह स्थानीय लोगों की रोजी-रोटी को तबाह करने वाली परियोजना है। इसमें स्थानीय लोगों के हुनर की कद्र कहीं नहीं दिखती। श्रम के प्रति तो सम्मान है ही नहीं। नाविकों, मछुआरों, किसानों, मजदूरों और अन्य कामगारों की आजीविका पर खतरे के बादल अभी से मंडराने लगे हैं। ऐसी परियोजनाएं तो सिर्फ संपन्न तबके का ही हित साध सकती हैं। उन्हें निर्माण-कार्य से लेकर व्यापार-कार्य तक मदद पहुंचाती हैं। ■

3

जमीन से अलगाव

सकरीगली में बंदरगाह निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इस बीच यहां कई तरह की और परियोजनाओं के आने की खबरें अखबारों में आती रहती हैं। खेती-किसानी के लाभप्रद न रह जाने के कारण छोटी जोत के कुछ किसान चाहते हैं कि उनकी जमीन भले ही परियोजनाओं में ले ली जाए, लेकिन उन्हें इसका भरपूर मुआवजा मिले। वे सोचते हैं कि इस मुआवजा से वे कोई नया हाल-रोजगार खड़ा कर लेंगे या कहीं अन्यत्र जमीन खरीद लेंगे। इस तरह की सोच वे लोग रखते हैं जिनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है और मुआवजा पाने के लिए जिन्हें कोई भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ रही है। संतोष यादव का कहना है, "मेरे पिता यहां रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। जब उन्हें अवकाश-प्राप्ति मिली, तो उन्होंने यहीं बसना बेहतर समझा। हमें पता है कि सरकार के सामने हमारी नहीं चलने वाली है। और, यह सरकार तो अच्छे-अच्छे काम कर रही है। हमें निश्चित तौर पर अच्छी रकम मिलेगी मुआवजे में, जिससे हम दूसरी जगह अपना कारोबार जमा लेंगे।" जब हमने पूछा कि जिनकी जमीनों का अधिग्रहण हुआ है वे क्या उनसे मिले हैं तो उनका उत्तर 'ना' में था।

खेती-किसानी के लाभप्रद न रह जाने के कारण छोटी जोत के कुछ किसान चाहते हैं कि उनकी जमीन भले ही परियोजनाओं में ले ली जाए, लेकिन उन्हें इसका भरपूर मुआवजा मिले।

इसी तरह से ज्यादा जमीन-जायदाद वालों ने भी सरकार की परियोजनाओं का स्वागत किया है। ऐसे लोगों का खेती से रिश्ता नहीं रह गया है। वे नौकरी को खेती से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वे अपने खेत दूसरों को सौंपते हैं। उससे उन्हें कम आमदनी होती है। उनका विश्वास है कि मुआवजे से मिली रकम से आसपास के शहर में संपत्ति खरीद लेंगे और उसमें मकान बनाकर किराए पर दे देंगे तो अच्छी कमाई होगी। या घूस देकर बेटे की नौकरी लगवा देंगे तो ज्यादा मजे में रहेंगे। प्रसिद्ध सामाजिक

कार्यकर्ता ब्रह्मदेव शर्मा ने एक साक्षात्कार में कहा था, "हिमाचल में या उत्तरी-पूर्वी राज्यों में— ज्यादातर लोगों की जीविका सरकारी नौकरी से चलती है। इससे जो असमानता पैदा होती है, उसका एक नतीजा यह होता है कि हर आदमी सरकारी नौकरी चाहने लगता है। चूंकि खेती करने में मेहनत ज्यादा है और कमाई कम, इसलिए किसान अपना खेत बेचकर भी अपने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए घूस देता है। या बेटा खुद गांव छोड़कर शहर में नौकरी करने चल देता है। अगर आदमी को अपनी मेहनत के मुताबिक मजदूरी या तनख्वाह मिले, तो कौन अपना गांव छोड़कर शहर जाना चाहेगा?" (*बेहतर दुनिया की तलाश में*, पृष्ठ 101) इसी साक्षात्कार में ब्रह्मदेव शर्मा ने स्पष्ट किया है, "प्रश्न उठता है कि जमीन एक संपत्ति है या जिंदा रहने का जरिया? संपत्ति को तो आप बेच सकते हैं, जिंदा रहने के जरिए को आप कैसे बेच सकते हैं? गांव की जमीन अगर गांव समाज की जमीन है तो वह समाज के जिंदा रहने का साधन है। यानी वह संपत्ति नहीं है। अगर आप कहते हैं कि वह संपत्ति नहीं है, तो आप बाजार से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसे संपत्ति मानते हैं तो वह बाजार में बिकने वाली वस्तु हो जाएगी और किसान के पास बचेगी ही नहीं, क्योंकि बाजार की शक्तियां बाजार से जीत जाएंगी।" (उपर्युक्त, पृष्ठ-96)

चूंकि खेती करने में मेहनत ज्यादा है और कमाई कम, इसलिए किसान अपना खेत बेचकर भी अपने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए घूस देता है।

राणा प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना जी की उम्र 50 वर्ष है। इनका घर सकरीगली के शुक्र बाजार के पास है। इनके पिता बलराम सिंह सकरीगली पंचायत के सरपंच रहे हैं लगभग 35 वर्षों तक। सरपंच साहब की तबियत इन दिनों खराब रहती है। राणा प्रताप सिंह अपने पिता के स्वास्थ्य की देखभाल के साथ-साथ खेती-गृहस्थी का भी काम संभालते हैं। इस गांव में दो-तीन परिवार ही है राजपूतों के। हमने इनसे इनके घर पर बातचीत की— पहले राणा प्रताप सिंह से, फिर बलराम सिंह से।

राणा प्रताप सिंह से बातचीत

■ **सकरीगली में बंदरगाह बन रहा है, आप इसे किस रूप में देखते हैं?**

— यह सकरीगली के लिए शुभ संकेत है। बंदरगाह जब चालू होगा तो यहां के लोगों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। उम्मीद है कि हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। कुछ लोगों को बंदरगाह में नौकरी मिलेगी, कुछ लोग छोटे-मोटे व्यवसाय कर रोजगार पाएंगे। इस इलाके में प्रोपर्टी के भाव बढ़ेंगे, तो कुछ लोगों को उससे भी फायदा होगा। कुल मिलाकर, सकरीगली में एक बार पुनः रौनक बढ़ने के आसार दिख रहे हैं।

■ **बंदरगाह में काम के लिए बड़ी-बड़ी मशीनों का उपयोग होगा। जो काम मनुष्य के लिए होंगे, उसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत होगी। तब आपको क्यों कर लगता है कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे?**

— जो भी होगा, आज से बेहतर ही होगा। यहां पत्थर-गिट्टी के अलावा इन दिनों कोई विशेष काम नहीं है। यदि सकरीगली से बाहर के लोग आएंगे तो भी उनकी जरूरतों की पूर्ति में कुछ न कुछ लोगों को रोजगार का मौका तो मिलेगा ही। बंदरगाह के आसपास अन्य तरह की गतिविधियां भी बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब सकरीगली घाट रेलवे स्टेशन और गंगा उस पार मनिहारी घाट रेलवे स्टेशन के बीच पानी के जहाज की सेवा थी तब हजारों लोगों को इस सकरीगली में रोजगार मिला हुआ था। कुछ लोग स्थानीय थे और कुछ लोग बाहरी। रेलवे में कुली ही थे लगभग 1200 आदमी। रेलवे का वह ढांचा था कि क्या कहने! अस्पताल, गोदाम, क्वार्टर्स, फिल्ड, स्कूल आदि अपने थे रेलवे के। मेरा अनुमान है कि 1980-81 तक सकरीगली में यह रौनक थी। जब आसाम लिंक की सेवाएं इधर से बंद हो गईं तो यहां रोजगार के अवसर खत्म हो गए।

■ **इस हलचल को आपने देखा है अपनी आंखों से?**

— सारी चीजें याद तो नहीं हैं, किंतु कुछ दृश्यों की स्मृति बनी हुई है। रेल से उतरकर लोग स्टीमर व लौंच में जाते थे। उनका सामान उतारने-चढ़ाने में कुली लगते थे। चारों तरफ मेला का दृश्य होता था। यहां रात-दिन हलचल रहती थी। दो साप्ताहिक हाट लगते थे— शुक्रवार को और मंगलवार को। शुक्र बाजार ठीक यहीं लगता था। सामने जो खाली मैदान दिख रहा है उसमें। जब जहाजों का चलना बंद हो गया तो कुछेक जहाज यहीं पड़े रहे वर्षों तक। इन्हें काटकर कबाड़ में बेच दिया गया। गंगा, सरस्वती, मारजोरी,... नाम थे उनके। मेरा अनुमान है मारजोरी और गंगा को तो 1985-86 में काटा गया है। मारजोरी कलकत्ते से रिपेयर होकर आया था। तो सालभर बाद ही उसे बंद करना पड़ा था। अन्य भी कई जहाज थे। ये जहाज स्टीम से चलते थे। स्टीम बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता था ईंधन के तौर पर। कुछ जहाज डीजल से भी चलते थे। लौंच के साथ बोट भी जोड़कर चलाए जाते थे। उन दिनों हजारों-हजार लोग पूर्वोत्तर के लिए गुजरते थे सकरीगली घाट रेलवे स्टेशन से होकर।

सकरीगली में पत्थर-गिट्टी के अलावा इन दिनों कोई विशेष काम नहीं है। यहां बाहर के लोग आएंगे तो उनकी जरूरतों की पूर्ति में कुछ न कुछ लोगों को रोजगार का मौका तो मिलेगा ही।

■ **आसाम लिंक की सेवा क्यों बंद कर दी गई इधर से? यानी पूर्वोत्तर जाने की सेवा क्यों खत्म हुई?**

— 1972-73 में फरक्का बैराज की तरफ से रेलवे की सेवा शुरू हुई। कोलकाता से आसाम की ओर आने-जाने वाले इधर से गुजरने लगे। भारतीय रेल ने इधर से गुजरने वाले यात्रियों को जब सीधे ऐसी सेवा उपलब्ध करानी शुरू की जिसमें ट्रेन बदलने का झंझट नहीं था तो लोगों ने फरक्का होकर आना-जाना पसंद किया। यहां तो यह था कि एक बार ट्रेन से उतरो, जहाज में सवार होओ— उधर से गुजरने में यह अतिरिक्त काम नहीं करना पड़ता। पूर्वी पाकिस्तान बनने के बाद इधर से आसाम लिंक की सेवा शुरू हुई थी। फरक्का बांध और ब्रिज बनने के बाद इस सेवा को ग्रहण लग गया। रेलवे के लिए इधर से सेवा जारी रखना महंगा सौदा हो गया, क्योंकि उधर से सेवा शुरू होते ही इधर यात्रियों की संख्या मामूली रह गई थी।

पूर्वी पाकिस्तान बनने के बाद इधर से आसाम लिंक की सेवा शुरू हुई थी। फरक्का बांध और ब्रिज बनने के बाद इस सेवा को ग्रहण लग गया।

■ **सकरीगली से होकर यातायात को प्रभावित करने वाली और कौन-कौन सी चीजें रही हैं?**

— बिहार में पहले गंगा पार करने का जरिया नावें और स्टीमर ही रही हैं। बक्सर, पटना, मोकामा, भागलपुर, आदि में जैसे-जैसे गंगा पर पुल बने और मोटर व रेलगाड़ी से पार करने की सुविधाएं मिलीं वैसे-वैसे सकरीगली से गुजरने वाले रेलयात्रियों की संख्या घटती गई। इससे पुराने सिस्टम को खत्म होना ही था। बंदरगाह एक नई शुरुआत है। इससे नई संभावनाएं उपजेंगी। मुझे तो लगता है कि यदि झारखंड का विकास करना है तो झारखंड सरकार को सकरीगली को व्यावसायिक, व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों का एक केंद्र बनाना पड़ेगा।

■ **बंदरगाह बनने से दियारा क्षेत्र को भारी क्षति होने की संभावना है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है।**

— हर नई गतिविधि कुछ फायदा पहुंचाती है तो कुछ क्षति भी। जब बंदरगाह के लिए भूमि-अधिग्रहण के संबंध में पदाधिकारियों और नागरिकों की पहली बैठक की गई तो उसमें बहुत से लोगों ने ऐतराज जताया— खासकर दियारा क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों ने; क्योंकि जहां वे आवास बनाकर रह रहे हैं उसी जमीन पर बंदरगाह का विस्तार होना है। जहां बंदरगाह बन रहा है उसमें मेरी जमीन भी गई है दो एकड़। उस जमीन का उचित मुआवजा हमें नहीं मिला है, इसके बावजूद मैंने सोचा कि राष्ट्रहित में इतना तो त्याग करना ही होगा। 16 लाख रुपये प्रति एकड़ ही मिला है मुआवजा हमें। मेरे पिता समाज हित में काम करने वाले आदमी हैं। इस पंचायत में लंबे समय तक— लगभग 35 साल तक— सरपंच रहे हैं। इन्होंने मामूली पैसे में जमीन देकर बहुतों को

बसाया है— किसी को दो कट्ठा, किसी को चार कट्ठा, किसी को दस कट्ठा जमीन देकर। जहां मेरा यह घर है, इसके आसपास के लोग मेरी ही जमीन पर बसे हैं। यह मौजा— जिसे सकरी बाजार मौजा कहते हैं— केवल 25 एकड़ का एक छोटा मौजा है। इस मौजे को छुआ नहीं है बंदरगाह परियोजना ने अभी तक। हां, इसके आसपास तक इस परियोजना की नापी हो रही है। मेरे मकान से केवल 300 मीटर पश्चिम परियोजना का पिलर गाड़ा गया है। इस परियोजना में जमीन बहुत जाएगी। हो सकता है, कल को हमारा यह घर भी यहां न रहे।

■ **इसका मतलब है कि सकरीगली उजड़ेगी ज्यादा?**

— नया बनाने के लिए पुराने को ध्वस्त भी करना पड़ता है। **(यह बात कहते हुए मुन्ना जी थोड़ा बेचैन नजर आए। थोड़ी देर खामोश भी रहे। फिर बोले-)** खैर! जो भी होगा, अब से बेहतर ही होगा।

■ **आप पुराने वाशिंदे हैं सकरीगली के?**

— इस जमीन के हम रैयत हैं, लेकिन सकरीगली के बहुत पुराने वाशिंदे नहीं हैं। मेरे दादा जी की ससुराल थी यहां। यह दादी की प्रोपर्टी है। दादी के कोई भाई नहीं था। उनके पिता ने उनके नाम कर दी यह संपत्ति।

■ **क्या यहां से उजड़ने का आपको दुख नहीं होगा?**

— कोई भी आदमी उजड़ने पर तो दुखी होगा ही। मैं और मेरा परिवार भी दुखी होगा। लेकिन गंगा किनारे के लोग यह मानकर चलते हैं कि हम उनकी कृपा पर जिंदा हैं। गंगा मैया कब किस जमीन को काट देंगी और किधर जमीन छोड़ जाएंगी— कोई नहीं जानता। यह जमीन यदि हमारे हाथ से निकल जाएगी तो शायद फिर गंगा किनारे रहने का सुख हमें नसीब न हो। जहां तक लोगों के उजड़ने-बसने का सवाल है— जैसे-जैसे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है वे बेहतर जीवन की तलाश में नगरों-महानगरों की ओर रुख कर रहे हैं। ज्यादातर लोग बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं, वह नसीब न हो तो छोटे शहरों, अगर वह भी नसीब न हो तो कस्बों में— गांव में तो वह रहता है जिसके पास कोई चारा नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए गांव में रहना मजबूरी है, कोई च्वाइस नहीं, पसंद नहीं।

गंगा किनारे के लोग यह मानकर चलते हैं कि हम उनकी कृपा पर जिंदा हैं। गंगा मैया कब किस जमीन को काट देंगी और किधर जमीन छोड़ जाएंगी— कोई नहीं जानता।

■ **तो क्या आप मजबूरी में गांव में हैं?**

— हमारे पास अपनी जमीन-जायदाद काफी है। चार सौ आम के पेड़ हैं। दो एकड़ जमीन जो गई बंदरगाह में, उसमें भी आम के पेड़ थे। मैं खेती कराता हूं और पिता जी के स्वास्थ्य की देखरेख करता हूं। मेरे भाई नौकरी में हैं। हमारा मकान साहेबगंज में भी है। हमारे बच्चे शहरों में रहकर पढ़ते हैं। तो हमारे पास किसी चीज का अभाव या कमी नहीं है। शहर और गांव दोनों जगह भरपूर धन-धान्य है।

■ **यहां आम के बगीचे बहुत हैं? ये बगीचे किनके हैं? इनकी आर्थिकी क्या है?**

— सकरीगली में पेड़ ही पेड़ हैं— आम, सागवान, शीशम, मेहगुनी, गंभार, कटहल, नीबू, बांस, आदि-आदि। यहां की लीची बगान भी मशहूर रही है। हां, आम के बगीचे सबसे ज्यादा हैं— नए भी लगाए जा रहे हैं, पुराने तो हैं ही। ये बगीचे स्थानीय लोगों के हैं, किसी बाहरी आदमी के नहीं। हां, जब बाग में आम की फसल तैयार हो जाती है यानी जब उनमें फल लग जाते हैं तो बाहर से व्यापारी आते हैं उन फलों को खरीदने— कच्चे फल बिकते हैं और पके फल भी। सकरीगली पंचायत और इसके आसपास के इलाके में आम के फल से किसानों को बहुत आमदनी होती है। एक तरह से उनकी पूरी घर-गृहस्थी इसी पर टिकी है। एक बार पेड़ लगा दीजिए, जब बगीचा तैयार हो जाए तो वर्षोंवर्ष उससे फल पाइए। रब्बी व खरीफ फसल की तरह इसमें मेहनत नहीं है, लेकिन अच्छी फसल के लिए तो इनकी भी अच्छी तरह देखरेख करनी पड़ती है।

सकरीगली में पेड़ ही पेड़ हैं— आम, सागवान, शीशम, मेहगुनी, गंभार, कटहल, नीबू, बांस, आदि-आदि। हां, आम के बगीचे सबसे ज्यादा हैं— नए भी लगाए जा रहे हैं, पुराने तो हैं ही।

■ **जब सकरीगली में बंदरगाह जैसी परियोजनाएं बढ़ेंगी, तो क्या इन बगीचों का सफाया नहीं होगा?**

— वह तो निश्चित तौर पर होगा। इससे पर्यावरण को क्षति भी पहुंचेगी। सकरीगली का सबसे बड़ा सुख है कि हम स्वच्छ पर्यावरण व गंगा के सान्निध्य में सुखपूर्वक जिंदगी बिता रहे हैं।

बलराम सिंह उवाच

(इसी बीच बलराम सिंह भी हमारे बीच उपस्थित हो गए। आगे दिया जा रहा है उनसे बातचीत के खास अंश का ब्यौरा)

■ **सकरीगली में आपने जीवन गुजारा है। आपने क्या-क्या परिवर्तन देखे हैं?**

— एक समय सकरीगली घाट रेलवे स्टेशन का नाम पूरा हिन्दुस्तान जानता था। यह भारत के उत्तर-पूर्व को भारत को अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र स्थान था। यहां रेलवे का बड़ा प्रतिष्ठान था। 6-7 हजार का स्टाफ था उसका। उन दिनों यह एक बड़ा कस्बा था, या कहें छोटा मगर खुशहाल शहर था। अब तो यह देहात का देहात हो गया है।

■ **इसका भविष्य कैसा दिखता है?**

— इसका भविष्य उज्ज्वल है। सकरीगली पुनः प्रतिष्ठित नगर के रूप में स्थापित होगा। बंदरगाह बनते ही साहेबगंज से लेकर सकरीगली और आसपास औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियां तेज होंगी। अभी तो उद्योग के नाम पर केवल पत्थर खनन है और उससे निकले काले पत्थर से बनने वाली चीजों की इकाइयां हैं।

■ **लोगों के आय के स्रोत क्या हैं सकरीगली में?**

— यहां काले पत्थर को तोड़ने वाले क्रैशर चलते हैं। इनमें बहुत से कामगारों को काम मिला हुआ है। बाकी तो खेती ही है आजीविका का मुख्य आधार। खेतों में धान, चना, अरहर, ईख सब तरह की फसलें उपजती हैं। बाग-बगीचे भी बहुत हैं। लगभग 50 प्रतिशत बगीचे बंदरगाह परियोजना में चले गए हैं। लोग छोटी-छोटी दुकानों के जरिए भी अपनी जीविका चलाते हैं। कुछ लोग साग-सब्जी भी उगाते हैं और बेचते हैं।

■ **सकरीगली में गंगा में चलने वाले जहाजों के बारे में थोड़ी जानकारी दें।**

— अभी जो जहाज चल रहे हैं, वे ईंधन के रूप में डीजल का इस्तेमाल करते हैं। गंगा में सकरीगली घाट रेलवे स्टेशन और मनिहारी घाट रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले जहाज दो तरह के थे। गंगा, सरस्वती, जनेस्टन इत्यादि जहाज स्टीम इंजन वाले थे। इन्हें चलाने के लिए ईंधन के तौर पर कोयले का इस्तेमाल होता था। अर्जुन और भीम नामक दो जहाजों को चलाने के लिए डीजल का उपयोग होता था ईंधन के तौर पर। पानी का सर्वे करने के लिए एक छोटा-सा लौंच भी था, इसका उपयोग अफसर ज्यादा करते थे।

एक समय सकरीगली घाट रेलवे स्टेशन का नाम पूरा हिन्दुस्तान जानता था। यह भारत के उत्तर-पूर्व को भारत को अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र स्थान था।

■ **इधर से रेल सेवा बंद होने की वजह?**

— कोई भी सेवा तभी जारी रहती है जब उसके उपयोगकर्ता हों, पर्याप्त संख्या में। मोकामा में रेलवे ब्रिज बनने से सकरीगली घाट वाली सेवा 30 प्रतिशत प्रभावित हुई है और फरक्का ब्रिज बनने से शत-प्रतिशत। सकरीगली में रेलवे की लगभग 200 एकड़ जमीन है। फिलहाल बेकार पड़ी है। उसका उपयोग माल यार्ड के रूप में थोड़ा-बहुत हो रहा है। बंदरगाह बनने से शायद रेलवे की इस जमीन का भी कुछ बेहतर उपयोग हो। बंदरगाह से रेल सेवा और सड़क सेवा को भी कुछ गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 80 की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। बंदरगाह और इस राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है।

मोकामा में रेलवे ब्रिज बनने से सकरीगली घाट वाली सेवा 30 प्रतिशत प्रभावित हुई है और फरक्का ब्रिज बनने से शत-प्रतिशत।

■ **बंदरगाह के निर्माण से कई बस्तियों के विस्थापन की स्थिति बनी है। इसके बारे में आपके विचार?**

— जब कुछ नई परियोजनाएं शुरू होती हैं तो वहां पूर्व से रह रहे लोगों को थोड़ी परेशानी होती ही है। मुआवजा देकर उनकी क्षति की पूर्ति की जा सकती है। सरकार तो अच्छा मुआवजा दे रही है। विस्थापित होने वाले लोग उस मुआवजे से कहीं ज्यादा बेहतर जीवन की शुरुआत कर सकते हैं।

जिनके पास संसाधन भरपूर हैं और उसमें से कुछ के निकल जाने से उनके कार्य-व्यापार में कोई बाधा पैदा नहीं होती है तो वे खतरे का आनंद भी लेते हैं; खासकर तब और, जब उन्हें उसमें कुछ अपनी तरक्की के अवसर दिखते हों। एक नई परियोजना साधन-संपन्न तबके के लिए इस तरह का एक अवसर पैदा करती है, वहीं कम साधन वाले लोगों के लिए बर्बादी का दरवाजा खोलती है— सकरीगली में बंदरगाह-निर्माण की परियोजना इस बात की ओर संकेत करती है। ■

4

संसाधनों की हिफाजत

साहेबगंज प्राकृतिक संसाधनों के मामले में संपन्न है। किंतु जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के अनियंत्रित उपयोग की वजह से धीरे-धीरे इनके बीच का असंतुलन बढ़ता जा रहा है। संसाधनों के उपयोग का बाजारोन्मुखी नजरिया इस असंतुलन को और बढ़ने में मददगार साबित हो रहा है। जमीन, नदी, जल, जंगल, पहाड़ के मामले में संयमित व वैज्ञानिक नजरिया अपनाकर इस असंतुलन पर काबू पाया जा सकता है।

जमीन

• साहेबगंज जिले में दो तरह की जमीन है। एक है दियारा क्षेत्र और दूसरा है सामान्य भूमि। दियारा क्षेत्र गंगा की धारों के बीच है या ठीक उसके कछार पर। यह भूमि आमतौर पर बरसात के मौसम में पानी में डूब जाती है। हालांकि, फरक्का बैराज बनने से पहले ऐसा नहीं होता था। इसलिए यह जरूरी है कि दियारा क्षेत्र की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए गंगा में और कोई बैराज न बनाया जाए। गंगा भी एक जीवंत नदी है। नदियां अपने प्रवाह क्षेत्र में आने वाले दियारा क्षेत्र को काटती-छांटती रहती हैं। इसलिए दियारा क्षेत्र को इस कटाव से कैसे बचाया जाए, इस पर गहराई से विचार करना चाहिए और इसकी रक्षा के उपाय किए जाने चाहिए। दियारा क्षेत्र को डूब से बचाने के लिए गंगा में फरक्का बैराज की वजह से भर गए गाद की सफाई की जानी चाहिए।

दियारा क्षेत्र को कटाव से कैसे बचाया जाए, इस पर गहराई से विचार करना चाहिए और इसकी रक्षा के उपाय किए जाने चाहिए।

• दियारा की भूमि बहुत ही उपजाऊ है। इसमें दलहन फसलें अच्छी उपजती हैं, वह भी बिना रासायनिक खाद के। इस दाल वाली फसलों के बीज को स्थानीय कौशल से कैसे उन्नत किया जा

सकता है, इस पर शोध किया जाना चाहिए। कहते हैं कि इस इलाके में गन्ने की भी अच्छी फसल होती थी। साहेबगंज मंडी में दियारा-क्षेत्र का गुड़ पहुंचता था बैलगाड़ियों में भर-भरकर। दियारा में अन्य किस्म के भी अनाज उपजते हैं। इसलिए इस मिट्टी में क्या-क्या उपज हो सकती है और प्रति हेक्टेयर उसकी मात्रा को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसपर भी शोध किया जाना चाहिए। इस शोध के साथ इनके उन्नत देशी बीज उपलब्ध कराना चाहिए।

दियारा की भूमि बहुत ही उपजाऊ है। इसमें दलहन फसलें अच्छी उपजती हैं, वह भी बिना रासायनिक खाद के।

• दियारा क्षेत्र से इतर भूमि में भी उपजने वाली फसलों की उपज-दर बढ़ाने के वास्ते देशी उपायों को बेहतरीन तरीके से अमल में लाया जाना चाहिए। देशी खाद बनाने के लिए पशुओं और मनुष्यों के मल-मूत्र के अलावा पेड़-पौधों के पत्रों और खर-पतवारों का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए और इसको व्यावहारिक रूप देने के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

• साहेबगंज— खासकर सकरीगली— में बाग-बगीचे बहुत हैं। इन बगीचों से अधिक से अधिक फल मिल सकें, इसलिए इन्हें रोग-व्याधि से बचाने के उपाय किए जाने चाहिए।

• जब तक कृषि लाभदाययक नहीं होगी, तब तक किसानों के अंदर उसके लिए स्वाभाविक आकर्षण पैदा नहीं होगा। कृषि को उन्नत बनाने के लिए परंपरा से तालमेल बिठाते हुए नए-नए प्रयोग किए जाने चाहिए।

• खेतों की सिंचाई के लिए गंगा में पंप नहर की परियोजना को दुबारा चालू किया जाना चाहिए, ताकि गंगा के दक्षिण स्थित भूमि को अनवरत पानी की उपलब्धता बनी रहे— बाग-बगीचे और धान, गेहूं, साग-सब्जी आदि सबकी बेहतर फसल के लिए यह जरूरी है।

नदी और जल

• साहेबगंज जिले का यह सौभाग्य है कि इसकी सीमा से होकर गंगा लगभग 80 किलोमीटर तक बहती है। गंगा नदी का पानी पीने और सिंचाई करने दोनों के काम आता है। इस पानी की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए नागरिक स्तर तथा सरकारी स्तर दोनों स्तरों पर सतत प्रयास किए जाने चाहिए। गंगा में जहरीले तत्व न जाएं, इसकी हर संभव कोशिश की जानी चाहिए।

• बस्ती के आस-पास नदी के किनारे मानव की गतिविधियों की वजह से न कटें, इसके लिए पक्के घाटों का निर्माण होना चाहिए। खेतों व मैदानों के सामने के किनारों की हिफाजत के लिए भी हरित प्रयास किए जाने चाहिए।

• दियारा क्षेत्र में गंगा में जगह-जगह झीलें बन जाती हैं। इन झीलों में मत्स्य-पालन हो सकता है या जलीय फसलों की पैदावार हो सकती है। जिन किसानों की जमीन गंगा में वर्षों डूबी रहती है, उनको प्राथमिकता प्रदान करते हुए इन संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए।

• गंगा को निर्मल बनाने और उसकी धारा को अविरल बहने देने के हर संभव प्रयास करना चाहिए।

• अपनी रोजी-रोटी के लिए गंगा पर निर्भर रहने वाले नाविकों और मछुआरों की हितरक्षा हेतु उचित कदम उठाए जाने चाहिए, न कि उनको क्षति पहुंचाने वाले जल-जमींदारों और जल-तस्करों को बेलगाम छोड़ देना चाहिए।

• गंगा से जन-समाज का रिश्ता बहुत पुराना है। यह सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। गंगा के प्रति जनता की पवित्र भावना का उपयोग उसकी निर्मलता, अविरलता और उसके साथ सह-जीविता के लिए किया जाना चाहिए। किसी भी रूप में गंगा के व्यावसायिक उपयोग की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

जंगल और पहाड़

• साहेबगंज में पहाड़ बहुत हैं। इन पहाड़ों या इनके आसपास प्राकृतिक तौर पर उग आए पेड़-पौधे, झार-झंखाड़ यानी जंगल भी खूब हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग संयमित तरीके से किया जाना चाहिए। कोशिश यह होनी चाहिए कि हम प्रकृति से जितना लें, उतना उसे वापस भी करें। सिर्फ मुनाफा के लिए पहाड़ों व जंगलों की अंधाधुंध कटाई हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है।

पेड़-पौधे, जीव-जंतु, जड़ी-बूटियां, पक्षी इत्यादि हमारे लिए एक खुशनुमा वातावरण प्रदान करते हैं।

• जंगल और पहाड़ में औषधीय-पौधे भी बहुत हैं। इनकी पहचान की जानी चाहिए और इनका संरक्षण करते हुए इनका संयमित उपयोग करना चाहिए। इस क्षेत्र में खाली जगहों पर इस तरह के पेड़-पौधे लगाए जाने चाहिए।

• जंगलों व पहाड़ों में कई किस्म के जीव-जंतु रहते हैं। ये जीव-जंतु हमारे पर्यावरण को विविधता प्रदान करते हैं। पेड़-पौधे, जीव-जंतु, जड़ी-बूटियां, पक्षी इत्यादि हमारे लिए एक खुशनुमा वातावरण

प्रदान करते हैं। इनमें उनकी आवाजें भी शामिल हैं और हमारी आबोहवा को शुद्ध बनाए रखने की शक्ति भी। इन पहाड़ों और जंगलों का न केवल स्थानीय महत्व है, बल्कि इनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। ये पृथ्वी पर जलवायु-परिवर्तन को रोकने में मददगार हैं।

पहाड़ों का वैध तरीके से किया जाने वाला उत्खनन भी न्यूनतम हो, इसकी गारंटी के उपाय किए जाने चाहिए।

• पहाड़ों पर स्थित झरने व सरोवर स्थानीय लोगों के जल-संबंधी जरूरतों को पूरा करने में भी सहायक हैं। इनकी अंधाधुंध कटाई से न केवल बिरानापन का वातावरण छा रहा है, बल्कि हवा में धूलगर्द भी पसर रहा है।

• जहां क्रैशर इत्यादि चलाने की गतिविधियां अनिवार्य प्रतीत हों, वहां इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि गर्द-गुब्बार न उड़े।

• पहाड़ों का उत्खनन वैध तरीके से हो, इतना ही काफी नहीं है। वैध तरीके से किया जाने वाला उत्खनन भी न्यूनतम हो, इसकी गारंटी के उपाय किए जाने चाहिए।

मानव-संसाधन

• बढ़ती हुई जनसंख्या साहेबगंज (सकरीगली) के लिए भी फिलहाल एक समस्या बनी हुई है। इस जनसंख्या के कामगार-वर्ग के लिए यहां काम की कमी है। इसलिए यह जरूरी है कि सभी काम करने योग्य व्यक्तियों को काम दिलाने की योजना बनाई जाए और उन्हें यथायोग्य काम में लगाया जाए।

• खेती में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को खेती के काम में लगाया जाए। उन्हें बेहतर खेती का प्रशिक्षण दिया जाए। जिनके पास खेती की पर्याप्त जमीन न हो, वे सामुदायिक खेती की गतिविधि में शरीक हों और उसमें मेहनत और लागत के हिसाब से आपस में कृषि लाभ का वितरण करें।

• दुग्ध-उत्पादन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को पशु-पालन के तौर-तरीके सिखाने के साथ-साथ उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए ताकि वे दुधारू पशु खरीद सकें। इन पशुओं को रखने के लिए मुफ्त पशुशाला भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

• मुर्गी-पालन, बकरी-पालन, सुअर-पालन, इत्यादि के लिए जरूरी प्रशिक्षण, पूंजी और सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

• बागवानी में रुचि रखने वालों को बागवानी का प्रशिक्षण मिले। बागवानी के लिए जमीन उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी भी सरकार को या सामुदायिक संस्थाओं को उठानी चाहिए।

• मत्स्य-पालन में रुचि रखने वालों को उसका प्रशिक्षण देने के साथ-साथ पूंजी और तालाब उपलब्ध कराना चाहिए। गंगा में मछली मारने वालों को मुफ्त में मछली मारने की इजाजत मिलनी चाहिए।

• तकनीकी जानकारी में रुचि रखने वालों को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार मुहैया कराने की जिम्मेवारी सरकार को उठानी चाहिए।

तात्पर्य यह कि साहेबगंज में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए काम का अवसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर से आए व्यक्तियों को तो काम मिल जाए और स्थानीय व्यक्तियों को घोर बेरोजगारी झेलनी पड़े और अपना गांव-कस्बा-शहर छोड़कर दूर देश जाने को मजबूर होना पड़े।

रोजगार उपलब्ध कराने में लिंग, जाति, पहुंच, इत्यादि का विभेद नहीं होना चाहिए। यह आनुभविक और शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पर होना चाहिए। रोजगार उपलब्ध कराने की जवाबदेही सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं होनी चाहिए, बल्कि ग्राम, पंचायत और जिला स्तर पर बने संगठनों की सक्रिय भागीदारी से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

ऐसा नहीं हो कि बाहर से आए व्यक्तियों को तो काम मिल जाए और स्थानीय व्यक्तियों को घोर बेरोजगारी झेलनी पड़े।

बंदरगाह की वजह से भविष्य में किसी भी स्थानीय निवासी को अपनी आजीविका, जल, जंगल, जमीन, पहाड़ आदि से महरूम नहीं होना चाहिए।

लब्बोलुवाब यह है कि बंदरगाह स्थानीय जीवन को व्यवस्थित और समृद्ध करने में मददगार बने तभी इसकी कोई सार्थकता है। यदि यह स्थानीय जीवन को तबाह करने का सबब बन जाए तो इसका न होना ही शुभ है। ■

जमीन का मालिका

खंड -2

गोड्डा में ताप विद्युत संयंत्र

5

आदिवासियों और किसानों की जमीन

गोड्डा जिला अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहां पहाड़ हैं, जंगल हैं, नदियां हैं; जमीन के नीचे कोयले का अपार भंडार है। इस कोयले को ललमटिया में खुली और भूमिगत खदानों से निकाला जा रहा है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में कोयला भंडार का क्षेत्रफल 520 वर्ग किलोमीटर है। यह कोयला बिहार के कहलगांव थर्मल पावर तथा बंगाल के फरक्का थर्मल पावर बिजली-संयंत्र को चलाने के काम आता है। उपर्युक्त दोनों बिजली-संयंत्र ललमटिया के कोयले तथा गंगा के पानी से अपनी भूख-प्यास मिटा रहे हैं। इन दिनों गोड्डा से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम गोड्डा-भागलपुर रोड पर स्थित मोतिया और आसपास गांव की जमीन पर एक थर्मल पावर परियोजना पर काम जारी है। अडानी पावर (झारखंड) लिमिटेड ने कुछ जमीन अपने कब्जे में ले ली है और कुछ और हथियाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए है। कब्जा की गई जमीन पर चहारदीवारी और भवन-निर्माण कार्य जोर-शोर से हो रहा है। अडानी के लोगों ने चौकसी बढ़ा दी है, पुलिस की जिप्सी परियोजना-स्थल पर हर समय तैनात रहती है। मोतिया गांव से गंगटा-माली गांव को जोड़ने वाली सड़क परियोजना-स्थल के बीचोबीच से गुजरती है। जो सड़क पहले सार्वजनिक आवागमन का मुख्य मार्ग थी, अब उससे गुजरने में लोग परहेज करते हैं; क्योंकि उस सड़क से गुजरने वाले हर व्यक्ति पर निगाह रखी जाती है कि अमुक व्यक्ति कौन है, कहां से आया है और कहां जा रहा है, वह व्यक्ति किससे मिलने वाला है। अडानी के जासूस उस व्यक्ति का पीछा करते हैं, यह पता लगाने के खातिर कि कहीं यह आदमी किसी ऐसे आदिवासी या किसान से तो नहीं मिल रहा है जो अपनी जमीन इस परियोजना को समर्पित करने में आना-कानी कर रहा है। कहते हैं कि ये जासूस आसपास के बेरोजगार युवा हैं जिन्हें दो-तीन हजार रुपये प्रतिमाह

अडानी पावर (झारखंड) लिमिटेड ने कुछ जमीन अपने कब्जे में ले ली है और कुछ और हथियाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए है।

भुगतान देकर तैनात किया गया है। ये जासूस हर उस अजनबी व्यक्ति की सूचना देते हैं कंपनी के कर्मचारियों-पदाधिकारियों को तथा जरूरी लगे तो पुलिस-प्रशासन को भी।

ताप विद्युत संयंत्र का रकबा

गोड्डा जिले में स्थापित हो रहे ताप विद्युत परियोजना के संयंत्र के लिए प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा है— 2385.28 एकड़; जिसमें से 2120.29 एकड़ जमीन रैयती है और 264.69 एकड़ जमीन सरकारी है। यह जमीन दो अंचलों— गोड्डा और पोड़ैयाहाट— के दस गांवों की है। गोड्डा अंचल के चार गांव हैं— मोतिया, पटवा, गंगटा, नयाबाद। इन गांवों की जमीन, जो इस परियोजना के लिए ली जा रही है, का रकबा है क्रमशः 205.28, 72.67, 378.99 और 124.44 एकड़। पौड़ैयाहाट अंचल के छह गांवों के नाम हैं— सोनडीहा, रेगानिया, बलियाकित्ता, पेटवी, गायघाट और माली। इन गांवों से ली जा रही जमीन का कुल रकबा है क्रमशः 378.17, 112.28, 156.69, 290.09, 233.54, और 167.63 एकड़। इस जमीन पर मेसर्स अडानी पावर (झारखंड) लिमिटेड की 2 x 800 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। इस परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत का 25 प्रतिशत झारखंड राज्य को दिया जाएगा। ■

(स्रोत : जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा द्वारा जारी आम सूचना। तिथि : 11 नवंबर 2016)

पाइप लाइन, रेल लाइन और जलाशय की जमीन

चिर नदी की बजाय गंगा से पानी लेने के कंपनी के निर्णय ने साहेबगंज जिले के किसानों की जमीन पर भी संकट गहरा दिया। पाइप लाइन के वास्ते साहेबगंज के किसानों की 57.0608 हेक्टेअर जमीन का अधिग्रहण शुरू हो गया है। वहीं पानी के भंडारण के लिए ग्राम हाजीपुर भिट्ठा, अंचल साहेबगंज के कुछ किसानों से कुल 102.87 एकड़ जमीन ली जा रही है। इस कार्य के लिए ली जा रही जमीन कृषि वाली जमीन है। जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज की प्रारंभिक अधिसूचना के अनुसार, नीति प्रकाश राय से 27.70 एकड़, श्री प्रकाश राय से 14.14 एकड़, ओमप्रकाश राय से 12.10 एकड़ जमीन ली जानी है। ये तीनों व्यक्ति एक ही पिता श्री शारदा प्रसाद राय के पुत्र हैं। श्री निवास राय व श्रीकांत राय (पिता— हरिनारायण राय) से दो भूखंड 11.04 एकड़ तथा 20.84 एकड़ एवं श्रीकांत राय से 17 एकड़ जमीन ली जानी है।

इसके अलावा, गोड्डा पॉवर प्लांट के लिए 10 कि.मी. लंबी निजी रेल लाइन बिछाने के वास्ते 74 एकड़ जमीन की दरकार है गोड्डा जिले में। ■

जन-सुनवाई का नाटक

दरअसल, अडानी पावर (झारखंड) लिमिटेड को अपनी ताप विद्युत परियोजना के लिए जमीन आसानी से नहीं मिली है। उसे सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर तीन-तिकड़म भिड़ाना पड़ा है। परियोजना की पहली सूचना के साथ ही मोतिया के चिंतामणि साह ने लोक जागृति का कार्य शुरू कर दिया था। वह बताते हैं, "पहले यह परियोजना गोड्डा के परसपानी में लगनी थी। वहां अनुकूल स्थिति न देखकर इस परियोजना के पैरोकारों ने मोतिया की ओर रुख किया। मुझे इसकी सूचना मिली तो मैंने इस परियोजना का विरोध करने का मन बनाया। सबसे पहले मैं गंगटा-माली में गया। दोनों गांव आदिवासियों के हैं। आदिवासियों को अपनी जमीन से लगाव होता है, क्योंकि उनकी आजीविका का मुख्य आधार कृषि ही है। इन गांवों के लोगों को मैंने बताया कि ताप विद्युत परियोजना से किस तरह के आसपास के सभी गांवों के विनाश की स्थिति बन जाएगी। मेरी बात उन्हें समझ में आई और हमने संग-साथ मिलकर इस परियोजना का पुरजोर विरोध करने का निश्चय किया। इसके बाद दूसरे दिन मैं नयाबाद गांव में गया। यह भी आदिवासी गांव है। वहां गोड़ैत के माध्यम से गांव के लोगों को बुलाकर मैंने इस परियोजना से होने वाले नुकसान की जानकारी दी। तीसरे दिन से हमने नगाड़ा और डुगडुगी लेकर मोतिया, डुमरिया, खटनई, परासी, मालडी आदि गांवों में रैली निकाली। इसमें हमारा दो दिन लगा। और पांच-छह गांवों में हम 100-100 के समूह में सप्ताह-भर में घूम आए। हमारी गतिविधि से कंपनी के लोग चौकन्ना हो गए। वे मेरे पास आने लगे और समझाने लगे कि इस परियोजना से कैसे आसपास के गांवों में खुशहाली लौट आएगी।"

कंपनी के लोगों के द्वारा चिंतामणि साह को अपने पक्ष में करने की कोई भी तरकीब काम न आई। चिंतामणि साह को सहमत करना मुमकिन न था। दरअसल, यह परियोजना साह के एक खूबसूरत स्वप्न को ध्वस्त करने वाली बनकर आई। चिंतामणि साह कहते हैं, "मैं एक विज्ञान शिक्षक रहा हूं। मैंने सोचा था कि नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद शिक्षा, चिकित्सा, कृषि आदि के लिए एक वैकल्पिक वैचारिक भूमि का निर्माण करने के लिए काम करूंगा। मैं मोतिया का ही रहने वाला हूं और जहां परियोजना पर काम जारी है, वहीं मेरी जमीन है कुछेक एकड़। उसी जमीन पर भवन-निर्माण करके मैं अपने सपनों को साकार करना चाहता था। मेरी योजना थी कि मैं एक वैकल्पिक शिक्षा का एक मॉडल प्रस्तुत करूंगा— खासकर गरीब और अनाथ बच्चों के लिए। एक चिकित्सालय खोलूंगा जिसमें निःशुल्क और अल्प शुल्क लेकर लोगों

"पहले यह परियोजना गोड्डा के परसपानी में लगनी थी। वहां अनुकूल स्थिति न देखकर इस परियोजना के पैरोकारों ने मोतिया की ओर रुख किया।" —चिंतामणि साह

को प्राकृतिक, आयुर्वैदिक और यूनानी पद्धति से चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि क्षेत्र में भी नए-नए प्रयोगों को आजमाने तथा उसका व्यापक प्रचार करने का विचार था मन में। रासायनिक खाद की जगह देशी खाद को प्रोत्साहित करने का इरादा था। इसके लिए गोशाला का विकास, गोबर व मलमूत्र से खाद का निर्माण, किसानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, आदि-आदि बातें थी मन में। मैंने सोचा था कि यहां देशभर के वे लोग आएंगे जो अपने-अपने तरीके से वैकल्पिक प्रयोग में लगे हैं। वे खूब विचार-विमर्श करेंगे। आतंकवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद, इत्यादि पर भी बहसें होंगी। मैं अपनी सारी पेंशन इन्हीं विचारों के लिए समर्पित करना चाहता था। लेकिन इस परियोजना ने मुझे दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। मेरी खुद की कुछ जमीन चहारदीवारी के अंदर चली गई है। इन दिनों मैं इस परियोजना के विरोध में प्रणा-प्रण से लगा हूं, बावजूद इसके कि सरकार, प्रशासन और कंपनी ने जबरिया जमीनें हथिया ली हैं।"

"संथाल परगना एक्ट के तहत गोड्डा में जमीन बिकाऊ नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन बेच ही नहीं सकता, किसी को।" —चिंतामणि साह

चिंतामणि साह बताते हैं, "संथाल परगना एक्ट के तहत गोड्डा में जमीन बिकाऊ नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन बेच ही नहीं सकता, किसी को। तब किस हैसियत से अडानी पावर (झारखंड) लिमिटेड के साथ जमीन की खरीद-फरोख्त का सौदा हुआ? जो जमीन अविक्रयशील है, वह बाजार-मूल्य वाली कैसे हो गई? जो चीज बिकती है, उसी का तो बाजार-मूल्य होता है! क्या मनुष्य को भी खरीदा-बेचा जा सकता है? मेरी दृष्टि में, संथाल परगना में जमीन की खरीद-बिक्री अवैध कृत्य है। यह घोर अपराध है।"

चिंतामणि साह ने संघर्ष का रास्ता अपनाया। इन्होंने अपने आंदोलन के दूसरे चरण में 15 दिन बाद पांच-सात सौ लोगों की रैली निकाली। चिंतामणि बताते हैं, "हमने दो महीने बाद उपवास का कार्यक्रम रखा— दर्जन-भर गांवों में, 12 घंटे का। यह बात स्थानीय विधायक प्रदीप यादव तक पहुंची। वे मोतिया की काली स्थान की सभा में आए। उन्होंने साथ जुड़ने का एलान किया। मैंने सभी पार्टियों के लोगों को आवाहन किया कि वे हमारे संघर्ष में साथ दें।"

प्रदीप यादव कहते हैं, "कंपनियां पहले मान-मनौव्वल करती हैं, खुशामद करती हैं। बात नहीं बनने पर हिंसा का सहारा लेती हैं। अडानी पावर (झारखंड) लिमिटेड ने भी यही किया है। कंपनी ने झारखंड सरकार से सांठगांठ करके उद्यम और भूमि संबंधी कानूनों में अवैध तरीके से कई तरह के परिवर्तन करवाए हैं। मैंने विधानसभा में इसका विरोध किया और परियोजना-स्थल पर भी। जब जन-सुनवाई हुई तो वहां भी अपना विरोध प्रकट किया। दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के लोग

कानून में यकीन ही नहीं करते। जन-सुनवाई के नाम पर षड्यंत्रकारी तरीके से सारा कुछ मैनेज किया गया। जो वास्तविक जनता है, जिसकी जमीन इस परियोजना में जा रही है, उसे जन-सुनवाई से दूर रखा गया। फर्जी लोगों को जन-सुनवाई में बुलाकर खानापूर्ति की गई। मुझे कानून की रक्षा के नाम पर जेल में डाल दिया गया। पांच महीने बाद मुझे जमानत मिली। हमारा संघर्ष अब भी जारी है। हम अब कानूनी लड़ाई में उतर रहे हैं। हाईकोर्ट में मामला उठा रहे हैं।"

चिंतामणि साह बताते हैं, "जब हमें पटाने में कंपनी कामयाब नहीं हुई तो उसने फूट डालने की नीति का सहारा लिया। जन-सुनवाई 6 दिसंबर 2016 को 11 बजे मोतिया गांव के खादी भंडार के मैदान में तथा पोड़ैयाहाट अंचल के उच्च विद्यालय, बक्सरा के मैदान में शुरू हुई। इसकी सूचना अखबारों में भी आई। मैदान को कटीले तार से घेर दिया गया था। 11 बजे से पहले ही सुनवा. ई-स्थल पर भाड़े पर बाहरी लोगों को बुला लिया गया था। बाहरी लोगों के हाथ में बक्सरा में

अधिगृहीत की जाने वाली भूमि : भूमि का प्रकार और बाजार-मूल्य

अधिगृहीत रैयती भूमि की कई श्रेणियां हैं। कुल 2120.59 एकड़ भूमि में से 65.61 एकड़ बाड़ी-1; 607.85 एकड़ बाड़ी-2; 441.00 एकड़ धानी-1; 432.43 एकड़ धानी-2; 471.91 एकड़ धानी-3 है। 3.54 एकड़ मकान की श्रेणी में है तथा 98.25 एकड़ अन्य श्रेणी में। सरकारी भूमि जिसका कुल रकबा 264.69 एकड़ है अन्य की श्रेणी में है। प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पत्रांक 136/रा. दिनांक 13-7-2016 के आलोक में गोड्डा जिला अंतर्गत अविक्रयशील कृषि भूमि के बाजार-मूल्य का निर्धारण वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए निम्न प्रकार है—

धानी-1 का मूल्य — 1227600 रुपये प्रति एकड़

धानी-2 का मूल्य — 920700 रुपये प्रति एकड़

धानी-3 एवं बाड़ी-2 का मूल्य — 613800 रुपये प्रति एकड़

बाड़ी-1 का मूल्य — 767250 रुपये प्रति एकड़

आवासीय भूमि का मूल्य — 1227600 रुपये प्रति एकड़

अन्य किस्म की भूमि का मूल्य — 613800 रुपये प्रति एकड़। ■

(स्रोत: जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा द्वारा जारी आम सूचना। तिथि : 11 नवंबर 2016)

ग्रीन कार्ड और मोतिया में पीला कार्ड दे दिया गया था। जिनके हाथ में ये कार्ड थे, उन्हें ही प्रवेश दिया जा रहा था। उन्हीं लोगों को मंच के सामने रखा गया। वास्तविक लोगों को तो सुनवाई में शामिल ही नहीं होने दिया गया। इस षड्यंत्र के विरुद्ध पुलिस और जनता के बीच धक्का-मुक्की शुरू हुई। पुलिस ने लाठी चार्ज किया। 500 से अधिक थे लाठीधारी और बंदूकधारी पुलिस वाले। दोनों सुनवाई-स्थल पुलिस छावनी में तब्दील थे। इस दृश्य को जिन कैमरामैनों ने अपने कैमरे में कैद किया था, पुलिस ने उनके कैमरे छीन लिए और कैमरे से लाठी चार्ज के दृश्य हटवाने के बाद ही उन्हें कैमरे वापस किए। मुझे तो परियोजना-स्थल के पास के मेरे आश्रम में ही घेर कर रखा गया था। सुनवाई-स्थल पर गोली चली, अश्रुगैस के गोले छोड़े गए। लेकिन इस खबर को अखबारों में नहीं आने दिया गया। प्रदीप यादव के पहुंचने से पहले ही जन-सुनवाई को खत्म कर दिया गया। इसी तरह की एक और जन-सुनवाई की गई थी बाद में पर्यावरण के मसले पर।"

"पुलिस ने कैमरामैनों से कैमरे छीन लिए और लाठी चार्ज के दृश्य हटवाने के बाद ही उन्हें वापस किए।"
—चिंतामणि साह

रैयतों से बदसलूकी

जो किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते, उनकी जमीन को जबरिया कब्जाने के लिए उनको अपमानित किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। रामजीवन पासवान दलित समुदाय से हैं। इनका कहना है, "मैं 65 वर्ष का हूं। 2014 में मैंने शिक्षक पद से अवकाश प्राप्त किया है। मेरे पास बहुत थोड़ी जमीन है। सोचा था कि खेती करते हुए शेष जीवन गुजर जाएगा। लेकिन कंपनी के लोग मेरी जमीन मुझसे जबरिया छीन रहे हैं। मेरी जमीन मौजा-मोतिया, जमाबंदी नंबर 183 में है— 60 डिसमिल। मैंने कंपनी से कोई मुआवजा नहीं लिया है, न लूंगा। मैं अपनी जमीन अपने पास रखना चाहता हूं। 7 फरवरी 2018 की घटना है। मेरी इजाजत के बिना मेरे खेत की मेड़ तोड़ दी गई। मेरी बोरिंग, मेरे खेत की मिट्टी उठाकर दूसरी जगह रखी जाने लगी। मैंने इसपर एतराज जताया कि मेरी जमीन पर मेरी इजाजत के बिना यह सब क्यों किया जा रहा है तो मेरे साथ गाली-गलौज किया गया, मारपीट की गई। इस घटना से मेरी पत्नी को सदमा पहुंचा और उसकी मृत्यु हो गई। मैंने थाने में केस दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन मेरा मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। मैं एसपी, डीएसपी से भी मिला। उन्होंने इस घटना को अनसुना कर दिया। मैंने इस घटना से तमाम अफसरों और राज्यपाल तक को अवगत कराया, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तब अंत में कोर्ट में एफ.आई.आर. दर्ज करवाया। तब थाने वाले, एसपी, डीएसपी, आए; लेकिन घटना को अंजाम देने वाले कंपनी के मैनेजर, कर्मचारियों और गार्डों की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है।"

रामजीवन पासवान का बेटा रविकांत पासवान बताता है, "मोतिया गांव की ज्यादातर जमीन ब्राह्मण ों और सूड़ियों की है। ब्राह्मण लगभग शत-प्रतिशत गांव से बाहर इस-उस शहर में रहकर कोई न कोई काम करते हैं। उनकी रुचि खेती में नहीं है। वे चाहते हैं कि उनकी जमीन कोई खरीद ले। लेकिन गोड्डा में संथाल परगना एक्ट लागू होने से जमीन बिकने योग्य नहीं है। सरकार ने ब्राह्मणों-सूड़ियों के मन की मुराद पूरी कर दी है। इनमें से जिन लोगों की जमीन इस परियोजना के अंतर्गत आ गई, उन्होंने खुशी-खुशी जमीन बेच दी। दरअसल, उनकी जमीन पर खेती तो अन्य जाति के लोग करते थे। वे लोग इस जमीन के बदले बहुत कम पैसा देते थे। लेकिन अन्य जाति के लोग अपनी जमीन पर खेती करना चाहते हैं। इनमें से जिन्होंने जमीन बेची है, उन्होंने इस डर से कि जमीन भी चली जाएगी और पैसा भी नहीं मिलेगा, यदि हमने जमीन सुपुर्द करने से इनकार किया। फिर भी कुछ लोग अब भी हैं जो जमीन देने को राजी नहीं हैं। मेरे पिता जी तो आदर्शवादी हैं। वे अपनी बात पर मर-मिटने को तैयार रहते हैं।"

रामजीवन पासवान कहते हैं, "कंपनी का सर्वे अधूरा है, फर्जी है। उसने जानबूझकर यह काम किया है ताकि उसे कम से कम मुआवजा देना पड़े। कानून कहता है कि हरिजन और आदिवासी की जमीन यदि जनहित में अधिगृहीत करनी भी है तो उसे पहले जमीन के बदले जमीन मुहैया कराइए, तब उसकी जमीन लीजिए। मोतिया मौजा में लगभग 250 रैयत हैं। कृषि कार्य में लगी महिलाओं और पुरुषों का सर्वे नहीं हुआ है ठीक से। इस मौजा में अधिग्रहण से प्रभावित अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या 97 है। प्रभावित पशु-पालकों की संख्या 37 है और प्रभावित बंटाइदारों की संख्या 92 है। भू-अधिग्रहण होने के बाद 25 परिवार भूमिहीन हो गए। यह आकड़ा सिर्फ एक मौजा का है। ठीक से सर्वे हो तो और तथ्य सामने आएंगे।"

जटाधारी झा भी भूतपूर्व शिक्षक हैं। इनका कहना है, "बहुफसली जमीन को यदि कंपनी ले लेती है तो हम कहां अन्न उपजाएंगे? अन्न नहीं उपजाएंगे तो खाएंगे क्या? इस इलाके के लोगों के पास थोड़ी-थोड़ी जमीन है— किसी के पास एक बीघा, किसी के पास दो बीघे। सरकार ने जमीन ले ली है तो हम भूमिहीन हो गए हैं। कंपनी ने नहर को प्लांट की चहारदीवारी के अंदर ले लिया है। हमारी सिंचित भूमि तो गई ही प्लांट में, बाहर रह गई जमीन की सिंचाई भी न हो सकेगी। बरसात में चीर नदी से पानी मिलता था। परियोजना शुरू होने के साथ ही उस पानी से वंचित हो गए हैं हम।" जटाधारी झा यह भी बताते हैं कि सर्वे इतना गलत है कि कुछ जीवित व्यक्तियों को भी मृत घोषित कर दिया गया

"जिन रैयतों की जमीन चहारदीवारी के अंदर आ गई है, उन्हें अपने खेत पर जाने नहीं दिया जाता— भले ही उन्होंने अपनी जमीन कंपनी को न दी हो।" —जटाधारी झा

परियोजना से प्रभावित परिवार

अडानी पावर (झारखंड) लिमिटेड द्वारा गोड्डा जिले में स्थापित हो रहे ताप विद्युत परियोजना से कुल 841 परिवार प्रभावित हैं जिनके कुल सदस्यों की संख्या 5339 है, जिनमें से 2883 पुरुष हैं तथा 2456 स्त्रियां। मोतिया, पटवा, गंगटा, नयाबाद, सोनडीहा, रेगानिया, बलियाकित्ता, पेटवी, गायघाट और माली गांव के प्रभावित परिवारों की कुल संख्या है क्रमशः 257; 25; 21; 39; 163; 16; 123; 93; 42; और 62। इनकी कुल जनसंख्या है क्रमशः 1672 (883 पुरुष + 789 स्त्रियां), 114 (73 पुरुष + 71 स्त्रियां), 122 (69 पुरुष + 53 स्त्रियां), 268 (148 पुरुष + 120 स्त्रियां), 957 (505 पुरुष + 452 स्त्रियां), 116 (62 पुरुष + 54 स्त्रियां), 758 (408 पुरुष + 350 स्त्रियां), 586 (334 पुरुष + 252 स्त्रियां), 252 (140 पुरुष + 112 स्त्रियां) और 464 (261 पुरुष + 203 स्त्रियां)। ■

(स्रोत : जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा द्वारा जारी आम सूचना। तिथि 11 नवंबर 2016)

है। जिन रैयतों की जमीन चहारदीवारी के अंदर आ गई है, उन्हें अपने खेत पर जाने नहीं दिया जाता— भले ही उन्होंने अपनी जमीन कंपनी को न दी हो। जटाधारी झा के अनुसार, "कुछ लोगों ने ही कागजों पर इनके-उनके हस्ताक्षर किए हैं। बीसो पासवान की मृत्यु हो गई 2015 में ही। उनके भी हस्ताक्षर कर दिए हैं किसी ने। मोतिया में एक भी आदिवासी नहीं है, जबकि कंपनी ने 47 आदिवासी परिवार दिखाए हैं अपने सर्वे में। मोतिया में अनुसूचित जाति के परिवार 100 से ऊपर हैं, जबकि कंपनी के सर्वे में इनकी संख्या सिर्फ 6 बताई गई है।"

भगत हेंब्रम का कहना है, "अडानी पावर प्लांट ने हमारे घर के आगे घेर लिया है। चहारदीवारी बन जाने से हमारे घर का पानी कहां से निकलेगा! हम खेती पर निर्भर हैं। हमारी गोचर भूमि भी कंपनी ने ले ली है। मेरे पास 5-6 पशु हैं। अब पशु कहां चरेंगे! मुसीबतें अनेक खड़ी कर दी हैं कंपनी ने।"

गंगटा गांव के निवासी है सूर्य नारायण हेंब्रम। यह बताते हैं, "मैं अवकाश-प्राप्त शिक्षक हूं। 2009 में सेवा-निवृत्ति के बाद से खेती कर रहा हूं। अब कंपनी ने चहारदीवारी खड़ी कर दी है तो अनेक दिक्कतें पैदा हो गई हैं। मेरी जमीन को अपने घेरे में ले लिया है और उसमें जेसीबी से गड्ढा कर दिया है। हमने खेत में जो बीचड़े लगाए थे, उन्हें मटियामेट कर दिया। मैंने न मुआवजा लिया है, न अपनी जमीन कंपनी को देने की सहमति दी है। इसके बावजूद मुझे अपने खेत से अलग कर

दिया गया है। हमारी शिकायत कोई नहीं सुनता— सारे अफसर कंपनी के साथ हैं। वे कहते हैं कि 80 प्रतिशत रैयतों ने अपनी सहमति दे दी है तो 20 प्रतिशत को सहमति देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है।"

मालीगांव के अनिल हेंब्रम का कहना है, "हम आदिवासी हैं। खेती ही हमारी जीविका का आधार है। लेकिन कंपनी और सरकार के लोग हमें भूमिहीन बनाने पर तुले हैं। हम अपनी जमीन कंपनी को नहीं देना चाहते। लेकिन पिछले दिनों कंपनी के लोग पुलिस-प्रशासन के साथ बुलडोजर लेकर हमारे खेतों पर आए और खड़ी फसलों को रौंद डाला। हमारे ताड़ के पेड़ों को गिरा दिया। सारे कुंओं को भर दिया। हमारे बोरिंग को तहस-नहस कर डाला। जब हम विरोध में सामने आए तो हमारी औरतों के साथ भी बदसलूकी की गई, पुरुषों के साथ तो हुई ही। पुलिस वालों के सामने हम गिड़गिड़ाते रहे कि इस अत्याचार को रोका जाए, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी। जब पुलिस-प्रशासन जुल्म ढाने वालों के साथ खड़ा हो तो हम अपनी फरियाद कहां सुनाएं!"

अनीता रामजीवन पास की पतोहू हैं। इनका कहना है, "कंपनी के लोगों और उनके दलालों द्वारा हमारे परिवार को धमकी दी जाती है कि कंपनी से पंगा न लो। अभी क्या हो रहा है, तुम्हारे परिवार का और बुरा होने वाला है!"

रामप्रसाद यादव पटवा-समरुआ के हैं। यह भी भूतपूर्व शिक्षक हैं। इनका कहना है, "रोड के किनारे है हमारा घर। सरकार कंपनी के वास्ते मेरी जमीन जबरदस्ती ले रही है। 2 बीघे 2 कट्ठे 17 धूर है मेरी जमीन।" इनका बेटा राजीव रंजन यादव कहता है, "कंपनी ने हमारा बुरा हाल कर रखा है। उसने अपनी चहारदीवारी के अंदर कई-कई बोरिंग करके पानी लेना शुरू कर दिया है तो हमें पीने के पानी की भी दिक्कत हो गई है। रोड पर उसकी गाड़ियों के आने-जाने से धूल-गर्द उड़ रही है। अपने खेत में 50-60 मन धान गेहूं, सरसों उपजता था। अनाज बिक्री से 50-60 हजार रुपये आ जाते थे घर में। अपनी जमीन चली गई है तो खाने के लिए अन्न खरीदना पड़ रहा है। हम तो भूमिहीन हो गए हैं। हम दो भाई हैं, माता-पिता साथ में हैं। सब खेती पर निर्भर था। अब एक तरह से परतंत्र हो गए हैं। सड़क पर हम जा नहीं सकते। कंपनी के कर्मचारी कहते हैं कि गाड़ी क्यों तेज चला रहे हो! हमारा घर प्लांट से सटा हुआ है। जब बिजली संयंत्र चालू होगा तो हमें प्रदूषित हवा में सांस लेनी होगी।" ■

"रोड के किनारे है हमारा घर। सरकार कंपनी के वास्ते मेरी जमीन जबरदस्ती ले रही है। 2 बीघे 2 कट्ठे 17 धूर है मेरी जमीन।" —रामप्रसाद यादव

6

जल, जंगल और बालू

अडानी पावर (झारखंड) लिमिटेड के प्लांट के निर्माण-कार्य की शुरुआत हो चुकी है। इस निर्माण- कार्य के लिए पानी की जरूरत की आपूर्ति निर्माण-स्थल पर गहरे बोरिंग से निकले पानी से की जा रही है। निर्माण-स्थल की जमीन पर पहले खेती होती थी। इस खेती के लिए पानी की जरूरतों की पूर्ति बरसात के समय वर्षा-जल तथा चिर नदी से निकली नहर के पानी से होती थी। गैर-मानसून समय में खेती के लिए इस इलाके में स्थित तालाब और नलकूप के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। कंपनी ने जब जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार, से जल-समझौता किया तो इन्हीं जलस्रोतों का उपयोग करने के बारे में सोचा। कंपनी के ईआइए एंड ईएमपी रिपोर्ट में दर्ज है— "भूमि का मुख्य हिस्सा कृषि भूमि है जो कुल भूमि का 70.3 प्रतिशत है। वन-भूमि अध्ययन क्षेत्र के पूरब और दक्षिण-पूरब भाग में है और अधिकांश तौर पर संरक्षित वन-भूमि है। वन-क्षेत्र कुल अध्ययन क्षेत्र का 1.2 प्रतिशत है। आबादी क्षेत्र कुल भूमि-क्षेत्र का करीबन 7 प्रतिशत कवर करता है। अध्ययन-क्षेत्र में जल-स्रोत के लिए अधिकांश तौर पर छोटे तालाब और नदियां हैं, जैसे— चिर नदी, सुंदर गरिया नदी, दरादर नदी, बेहाराजोर नदी, त्रिवेणी नदी, दरकई नदी, सकरी नदी, दनरे नदी आदि; जो कुल भूमि के 0.8 प्रतिशत में निहित हैं। परियोजना भूमि 1255 एकड़ है जो निजी भूमि और सरकारी भूमि है। प्रस्तावित परियोजना में कोई भी वन-भूमि शामिल नहीं है।"

संयंत्र निर्माण-स्थल की जमीन पर पहले खेती होती थी। इसके लिए पानी की जरूरतों की पूर्ति वर्षा-जल तथा चिर नदी से निकली नहर से होती थी।

झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग और अडानी पावर (झारखंड) लिमिटेड के बीच 23 नवंबर 2016 को चिर नदी से 36 एमसीएम पानी लेने का समझौता हुआ। गैर-मानसून अवधि के लिए जल-जरूरत को पूरा करने के लिए 24 एमसीएम क्षमता का एक जलाशय भंडारण की व्यवस्था का

प्रस्ताव किया गया। उपर्युक्त रिपोर्ट में यह भी दर्ज है, "प्रस्तावित पावर प्रोजेक्ट के लिए औसतन 36 एमसीएम प्रतिवर्ष जल की आवश्यकता होगी। जल के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया गया है जिनमें दियोनापुर स्थित सुंदर डैम जलाशय शामिल है, जिसकी प्रस्तावित साइट से दूरी 30 किलोमीटर है। लेकिन इस जलाशय में पर्याप्त जल-भंडारण नहीं है और साथ ही इस जलाशय से सिंचाई के कामों के लिए जल का इस्तेमाल किया जाता है। आसपास के क्षेत्रों में जल—

पर्यावरणीय लोक-सुनवाई: एक और प्रपंच

सामाजिक प्रभाव पर जन-सुनवाई के बाद 5 मार्च 2017 को पर्यावरणीय लोक-सुनवाई का आयोजन किया प्रशासन ने। इसका विज्ञापन आया अखबारों में। इसमें कहा गया था कि अडानी पावर परियोजना-स्थल के 10 किलो मीटर के दायरे में आने वाले गांवों के सभी लोग इस जन-सुनवाई में भाग ले सकते हैं। इसके लिए उच्च विद्यालय, मोतिया को आयोजन-स्थल घोषित किया गया था। इस आयोजन में भागीदारी के लिए भी 'जनता' निर्धारित कर दी गई थी। गुप्त रूप से भागीदारों को सफेद गमछा प्रदान किया गया था। बाकी लोगों को इस जन-सुनवाई में भाग नहीं लेने दिया गया। काफी देर बाद विधायक प्रदीप यादव आयोजन-स्थल पर पहुंचे। उनके हस्तक्षेप के बाद गैर-गमछाधारियों को भी जन-सुनवाई में शामिल होने का मौका मिला। लेकिन इनमें से किसी को भी मंच के आसपास पहुंचने का अवसर नहीं दिया गया। जो लोग कंपनी के पक्षधर थे, उन्हें ही मंच पर जगह दी गई। कुछ अगल-बगल के क्षेत्रों के विधायकों को भी मंच साझा करने की पूर्वानुमति थी। पहली जन-सुनवाई के अनुभव को ध्यान में रखते हुए कम ही मीडियाकर्मी इस आयोजन में थे। उन्हें भी विडियो-विजुअल नहीं लेने दिया गया। एक महिला ने विरोध में कुछ कहना चाहा तो उससे माइक छीन लिया गया। इसके बाद यहां भी लाठी चार्ज किया गया। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। चिंतामणि साह का कहना है, "इस प्रक्रिया ने हमारी अभिव्यक्ति के तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे। इसलिए हमने गायघाट मौजा में आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसमें जनता का भरपूर समर्थन मिला। इसी स्थल से एक दिन विधायक प्रदीप यादव को सोए अवस्था में जगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कंपनी के दलाल खूब सक्रिय हो गए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अब प्रदीप यादव जैसा आदमी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है तो समझो कि सरकार का कितना मजबूत समर्थन है कंपनी को। यदि कोई आदमी अपनी जमीन देने से मना करेगा तो उसकी जमीन जबरिया ले ली जाएगी और उसको उसकी जमीन का पैसा और पुनर्वास व पुनर्स्थापन की मुआवजा राशि भी नहीं मिलेगी।" ■

उपलब्धता का अध्ययन कर, यह बात निकलकर सामने आती है कि प्रस्तावित परियोजना के लिए जल-आवश्यकता चिर नदी से पूरी की जा सकती है।"

पावर प्लांट के लिए चिर नदी से पानी लेने की बात जैसे ही प्रकाश में आई, विभिन्न समूहों के बीच इस पर टीका-टिप्पणी भी शुरू हो गई। अरुण सहाय एक मजदूर नेता हैं। इनका कहना है, "गोड्डा की नदियां बरसाती नदियां हैं। इन नदियों में साल में सिर्फ चार महीने पानी रहता है— वह भी तब जब मानसून अवधि में अच्छी वर्षा होती है। गोड्डा सूखा वाला इलाका है। इस साल भी इसके ज्यादातर भाग में धान की फसल पानी के अभाव में मारी गई है। रब्बी की फसल भी इन खेतों में नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि सिंचाई का वैकल्पिक साधन नहीं है। गोड्डा जिले में खेती मूलतः आसमानी पानी पर निर्भर है। बारिश अच्छी हुई तो फसल होगी, नहीं तो नहीं। खेती के लिए और पीने के लिए पानी इन दिनों जमीन से निकाला जाता है बोरिंग करके। इसलिए भूमिगत जल-स्तर और भी नीचे गिरता जा रहा है। जल-प्रबंधन की अगर कोई वैकल्पिक बेहतर व्यवस्था नहीं की गई तो यह जल-स्तर भयानक हद तक नीचे जा सकता है। चिर नदी से थर्मल पावर प्लांट की पानी की जरूरतें पूरी होने का तो कोई सवाल ही नहीं। इसलिए पावर प्लांट भूमिगत जल का ही दोहन करेगा। प्लांट के निर्माण के समय ही जब कंपनी धरती के नीचे का पानी खुलेआम निकाल रही है तो अनुमान लगा सकते हैं कि चहारदीवारी के भीतर वह किस हद तक पानी की चोरी करेगी। लेकिन यह चोरी पकड़ में आने से बाकी नहीं रहेगी। प्लांट की इकाइयों को चालू रखने के लिए बहुत पानी की जरूरत होती है। इसलिए जब धरती से रोज-रोज ढेर सारा पानी निकाला जाएगा तो उस इलाके में पानी का संकट गहराएगा। तब लोग इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, हिंसक भी हो जाएंगे। लोग पावर प्लांट को बंद कराने के लिए आंदोलन करेंगे। कौन चाहेगा कि यहां की बिजली बांग्लादेश जाए और धुआं व राख की मार तथा पानी की किल्लत हम झेलें। वैसी दशा में कंपनी को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर गोड्डा से प्रस्थान करना पड़ेगा।"

"गोड्डा की नदियां बरसाती नदियां हैं। इन नदियों में साल में सिर्फ चार महीने पानी रहता है— वह भी तब जब मानसून अवधि में अच्छी वर्षा होती है।"
—अरुण सहाय

कंपनी को भी इस बात का एहसास हो गया कि उसकी दाल नहीं गलने वाली। चिर नदी से उसके पावर प्लांट की जल-जरूरतें पूरी नहीं होने वाली। इसलिए उसने जल-संसाधन विभाग, झारखंड सरकार, से 36 एमसीएम पानी गंगा नदी से प्राप्त करने का दूसरा समझौता 1 जनवरी 2018 को किया। इस समझौते में उल्लेख है कि यह पानी पाइप लाइन के द्वारा गंगा से पावर प्लांट तक पहुंचेगा। इस पाइप लाइन की कुल लंबाई होगी 92.5 कि.मी., जो साहेबगंज और गोड्डा दो जिलों

से गुजरेगी। गंगा में जहां से पानी लिया जाएगा वह स्थान है— साहेबगंज जिले के बोरियो प्रखंड में खुटारी का सती चौकी। 92.5 कि.मी. की पाइप लाइन 6.9 कि.मी. जंगल से भी गुजरेगी। इस रास्ते में कोई पहाड़ी नहीं होगी, न ही कोल खनन क्षेत्र। पाइप लाइन जब सबसे ऊंचाई पर होगी तब उसका उठान होगा 101 मीटर। इस पाइप लाइन कॉरिडोर में पाइप कॉरिडोर (करीब 8.3 मीटर चौड़ा) होगा दो पाइपों (1500 एनबी/1600 एनबी आकार) वाला; ट्रांसमिशन टॉवर कॉरिडोर होगा 6.5 मीटर— 33 केवी के लिए; तथा एक सर्विस रोड होगा— 3.75 मीटर का।

पाइप लाइन कॉरिडोर की कुल चौड़ाई लगभग 20 मीटर होगी। यह पाइप लाइन साहेबगंज के चार प्रखंडों (बोरियो, तालझारी, मंडरो और साहेबगंज) के कुल 44 गांवों से गुजरेगी जिसके लिए कुल 63.0768 हेक्टेअर जमीन (57.0608 हेक्टेअर निजी और 6.016 हेक्टेअर वन-क्षेत्र) की जरूरत होगी। गोड्डा जिले के 6 प्रखंडों (मेहेरमा, बोआरिजोर, महागामा, पथरगामा,गोड्डा और पोड़ैया हाट) के कुल 97 गांव से गुजरते इस पाइप लाइन के लिए कुल 123.2102 हेक्टेअर जमीन की आवश्यकता होगी (इसमें से 7.3133 हेक्टेअर जमीन वन-भूमि है)। इस तरह कुल वन-भूमि की जमीन का क्षेत्रफल है 7.3133 हेक्टेअर। इस पाइप लाइन परियोजना पर कुल 410 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।

नदी में सिर्फ जल ही नहीं होता, बालू भी होता है। इस बालू का उपयोग भवन-निर्माण और अन्य कार्यों में चिनाई आदि के लिए होता है। बामसेफ के कार्यकर्ता, जो मोतिया गांव के निवासी हैं, रमण कुमार का कहना है, "अडानी की कंपनी जिस पावर प्लांट का निर्माण कर रही है, उसके लिए बालू की सारी जरूरतें स्थानीय नदियों से पूरी कर रही है। यह अवैध गतिविधि है। बालू उठाने के लिए उसने न तो सरकार से कोई लिखित समझौता किया है और न ही स्थानीय निकाय (ग्राम-पंचायत) से। पहले इस बालू का उपयोग ग्रामीण जन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते थे। यह बालू समुदाय की संपत्ति था। इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं था। अडानी तो बिजली का प्लांट लगा रहा है मुनाफे के लिए।"

"अडानी की कंपनी जिस पावर प्लांट का निर्माण कर रही है, उसके लिए बालू की सारी जरूरतें स्थानीय नदियों से पूरी कर रही है। यह अवैध गतिविधि है।" —रमण कुमार

जयकांत ठाकुर कांग्रेस के नेता हैं। 1926 में जन्मे जयकांत ठाकुर ने गोड्डा जिले को बहुत करीब से देखा है। इनका कहना है, "गोड्डा की नदियों में बालू की मोटी परत हुआ करती थी। जो लोग संपन्न होते थे, वे लोग अपने घरों में कुंआ खुदवा लेते थे पीने के पानी के लिए। जो लोग पीने के पानी की व्यवस्था निजी साधनों से नहीं कर पाते थे, वे नदी के पानी का उपयोग करते थे।

बरसात के बाद भी नदी के तह में पानी होता था। लोग बालू हटाकर गड्ढा बना देते थे। उसमें पानी इकट्ठा हो जाता था। उस पानी को लोग अपने बरतन में भरकर घर लाते थे। कझिया नदी से ही गोड्डा नगर के लिए जल की आपूर्ति होती थी। नदी में कई कुंए बनाए गए थे पानी के वास्ते। अब तो नदी गंदा नाला बन गई है। बालू माफिया सरकार को बिना टैक्स चुकाए बालू निकालकर कमाई कर रहे हैं। इस सार्वजनिक संसाधन का उपयोग निजी फायदे के लिए कर रहे हैं। यही काम अडानी की कंपनी कर रही है।"

"संपन्न लोग अपने घरों में कुंआ खुदवा लेते थे। जो लोग पीने के पानी की व्यवस्था निजी साधनों से नहीं कर पाते थे, वे नदी के पानी का उपयोग करते थे।" —जयकांत ठाकुर

अडानी पावर प्लांट की इकाइयों के शुरू होते ही स्थानीय जनता को भारी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। इस प्लांट से जो बिजली पैदा होगी, वह बांग्लादेश चली जाएगी। इस प्लांट से राख और कई तरह की जहरीली गैसें भी उत्सर्जित होंगी जो आसपास के वातावरण में फैलेंगी। ये गैसें आसपास के मनुष्यों के साथ-साथ वनों और खेतों के पेड़-पौधों, फसलों को भी बरबाद करेंगी।

मनुष्य और तमाम जीव-जंतु शुद्ध हवा के लिए तरसेंगे। तेजाबी बारिश की बूंदें पेड़-पौधों के विनाश का कारण बनेंगी। वायुमंडल में इस प्लांट के कारण CO_2, SO_2 और NO_2 के साथ-साथ धूलकण की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच जाएगी। प्लांट से उत्सर्जित पदार्थ पानी में घुलकर धरती के अंदर प्रवेश करेंगे तो भूमिगत जल को भी प्रदूषित करेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह प्लांट इस इलाके के संपूर्ण संसाधनों को नष्ट करने में खास भूमिका निभाएगा। फिलहाल, प्लांट के लिए और इस तक पानी लाने के वास्ते बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई हो ही रही है। ■

7

मानव-संसाधन की उपेक्षा

जहां अडानी का पावर प्लांट लग रहा है, वहां पहले खेती होती थी। यह उपजाऊ भूमि है और यहां तीन फसलें उगाई जाती थीं। धान, मकई, गेहूं, सरसों, गन्ना, दलहन, साग-सब्जी, इत्यादि तरह-तरह की फसलें लगती थीं इन खेतों में। इन खेतों में काम करने वाले हजारों लोग थे। कुछ लोग अपने खेत के मालिक थे और अपने खाने व अन्य जरूरतों के लिए विविध तरह के अन्न उपजाते थे। कुछ लोग इन खेतों के मालिक तो नहीं थे, पर बंटाई पर लेकर इसमें खेती करते थे। कुछ लोग खुद अपने लिए खेती नहीं करते थे, वे इन खेतों में खेत मजदूर बनकर काम करते थे। इस जमीन के अधिग्रहण के बाद ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। कुछ लोग अपनी जमीन के लिए अब भी लड़ रहे हैं तो यह सोचकर कि उनकी जमीन अंततः उनके पास बची रहेगी और उनकी परंपरागत आजीविका से उन्हें हाथ न धोना पड़ेगा। उनका संबंध खेत और खेती से बना रहेगा।

चिंतामणि साह बताते हैं, "परियोजना-स्थल पर धान, गेहूं, मकई, दलहन, साग-सब्जी की खेती होती थी। कुछ जगहों पर आम के बगीचे थे। महुआ, बबूल, शीशम, ताड़, खजूर, नीम, पीपल के पेड़ थे जगह-जगह। छोटे-बड़े दो-तीन तालाब थे हर मौजे में। चारागाह भी थे यहां-वहां। अपनी-अपनी रुचि और अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार लोग खेती करते थे, मज. दूरी करते थे, पशु-पालन करते थे, चूहा-मछली पकड़ने का काम करते थे, बंटाईदारी पर खेतों में अन्न उगाते थे। मौजा गंगटा-गोविंदपुर आदिवासी क्षेत्र है। हमारे सर्वे के अनुसार यहां महिला और पुरुष कृषक मजदूरों की संख्या क्रमशः 75 और 55 है। अनुसूचित जाति के प्रभावित परिवार 55 हैं। पशु-पालक 16 हैं। चूहा और मछली पकड़ने वाले 10 आदमी हैं। बंटाईदार किसान 15 हैं। इस तरह इस क्षेत्र में बहुविध प्रकार के लोग रोजगार करते थे। पेड़-पौधों से फल मिलते थे,

कुछ लोग खुद अपने लिए खेती नहीं करते थे, वे इन खेतों में खेत मजदूर के रूप में काम करते थे। इस जमीन के अधिग्रहण के बाद ये लोग बेरोजगार हो गए हैं।

लकड़ी मिलती थी, ताड़ी मिलती थी— इसका उपयोग लोग स्वयं करते थे और इसको बेचकर आमदनी भी प्राप्त करते थे। लोगों की जीविका का आधार थी यह जमीन। उनकी जमीन ले ली गई तो उन्हें इधर-उधर भटकना पड़ रहा है अपनी जीविका के लिए। एक तो कंपनी ने सर्वे ठीक से नहीं किया— सिर्फ जमीन का सर्वे किया, वह भी आधा-अधूरा ढंग से, ताकि उसे कम से कम मुआवजा देना पड़े; दूसरे, लोग आपस में उलझते रहें। वृक्ष, बंटाईदार, मजदूर, माल-मवेशी, आदि का सर्वे खाना-पूर्ति के लिए किया गया।"

गलत सर्वे की वजह से आपसी कलह भी बढ़ गई है। चिंतामणि साह के शब्दों में, "मुआवजा और जमीन का पैसा मिला बाप को, बेटे ने जबरिया लिया उससे। पतोहू आत्मदाह करके मर गई।" जो पैसा ग्रामीणों को मिला, उसका उपयोग क्या-क्या हो रहा है— इसके बारे में चिंतामणि साह बताते हैं, "लोग अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार पैसे का निवेश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बिहार में जमीनें खरीद ली हैं। वास्तव में उनके लिए फायदेमंद होगी यह चीज। उन्हें खेती का लाभ मिलेगा। जो लोग गांवों में न रहकर, शहरों में स्थाई तौर पर रह रहे हैं वे लोग अपनी जरूरत के अनुसार मकान, दुकान, शिक्षा, मोटर-कार, इत्यादि में खर्च करेंगे। ये लोग भी फायदे में रहेंगे। बल्कि ऐसे लोगों के लिए तो खेती की जमीन गले का फंदा बनी हुई थी। ये लोग संथाल परगना अधिनियम के कारण जमीन बेच नहीं सकते थे। गांव में कंपनी के आने से इन्हें अपनी जमीन से पल्ला छुड़ाने का बेहतर मौका मिल गया।" चिंतामणि साह की चिंता उन लोगों के लिए विशेष है जो बिना स्पष्ट योजना के पैसे का निवेश कर रहे हैं, "कुछ लोग महंगी कारें (बोलेरो, सफारी, आदि) खरीद रहे हैं अपनी शान बढ़ाने के लिए तो कुछ लोग आलीशान मकान बनवा रहे हैं गांव में ही। गांव में यह सब होने से क्या होगा, जब कोई रोजगार नहीं है। धीरे-धीरे इनका सारा पैसा खर्च हो जाएगा और एक दिन ये लोग गांव से पलायन को मजबूर होंगे। कुछ लोगों ने जेसीबी, पोपलैन, ट्रैक्टर इत्यादि खरीद लिए हैं और अडानी के पावर प्लांट के निर्माण में ठेकेदार के साथ मिलकर फिलहाल कुछ कमाई कर रहे हैं। इन्हें भी स्थाई रोजगार तो नहीं मिलने वाला गोड्डा में।"

जो लोग संथाल परगना अधिनियम के कारण अपनी जमीन बेच नहीं सकते थे, कंपनी के आने से इन्हें इस जमीन से पल्ला छुड़ाने का एक मौका मिल गया।

दलित सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत कुमार का कहना है, "अडानी का मुख्य उद्देश्य गोड्डा के निवासियों के लिए रोजगार का सृजन नहीं है। उसके प्लांट में स्थानीय निवासियों में से दो-चार को नौकरी मिल जाए, वही काफी है। अडानी तो यहां मुनाफा कमाने के लिए थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं। प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण से आसपास के गांवों में घोर बेरोजगारी पैदा हुई है। गोड्डा जिले

में यों ही बहुत बेरोजगारी है। यहां का कारगिल चौक लेबर चौक के रूप में मशहूर है, जहां रोज सैकड़ों लोग सुबह-सुबह इकट्ठा होकर उस दिन के लिए किसी रोजगार-दाता का इंतजार करते हैं। कुछ को उस दिन की रोजी नसीब होती है, कुछ को वापस यों ही लौटना पड़ता है। झारखंड सरकार के पास कोई रोजगार-नीति नहीं है। झारखंड कौशल मिशन सोसाइटी 'हुनर के संग, जीवन के रंग' के नाम पर केवल नारा उछाल रही है— हुनर सीख कमाल करिए/अपना जीवन निहाल करिए। सोसाइटी प्रशिक्षण देती दिलवाती है निःशुल्क, कुछ महीने के लिए; लेकिन रोजगार कहीं नहीं है। झारखंड कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को तो रोजगार मिल रहा है, प्रशिक्षण पाने वालों को नहीं।"

मोहम्मद शारीक पेशे से अभियंता हैं। लेकिन गोड्डा में उनके लिए काम उपलब्ध नहीं है तो कुछ दूसरे काम के सहारे रोजी-रोटी अर्जित कर रहे हैं। अडानी के थर्मल पावर प्लांट के संदर्भ में इनकी टिप्पणी है, "ताप बिजली संयंत्र के लिए भूमि-अधिग्रहण से सबसे ज्यादा नुकसान इस भूमि पर बंटाई खेती करने वाले बंटाईदारों तथा मजदूरी करने वाले कामगारों को हुआ है। इन्हें पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की राशि तथा लाभ दिया जाना चाहिए। किंतु सबसे ज्यादा घपला इसी में हुआ है। चूंकि इस तरह के लोगों का कोई रिकार्ड रखने की परंपरा नहीं है झारखंड में, इसलिए इनके हितों की अनदेखी आम बात है।" अरुण सहाय भी बंटाईदारों की उपेक्षा की ओर ध्यान खींचते हैं, "जमीन बंटाईदारों की जीविका का आधार रही है। धीरे-धीरे इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। खेत-मजदूर और पशु-पालक समाज भी जमीन के सहारे अपनी आजीविका चलाते हैं। भूमि-अधिग्रहण से इनकी रोजी-रोटी तो छिनती ही है, इन्हें अन्य सुविधाओं से भी वंचित कर दिया जाता है। झारखंड में इनके हितों की रक्षा के लिए इन्हें संगठित करने की सख्त जरूरत है। 80 प्रतिशत जमीन वाले भी गरीब हैं। एक एकड़ से कम जमीन वालों को नौकरी का नारा दिया जाना चाहिए— उन्हें नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्हें अपना व्यवसाय खड़ा करने के लिए सरकार को आर्थिक मदद देनी चाहिए। कर्ज नहीं, आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। किंतु सरकार इनकी मदद करने की बजाय कंपनियों को बुलाकर इन्हें और बर्बाद कर रही है।"

"ताप बिजली संयंत्र के लिए भूमि-अधिग्रहण से सबसे ज्यादा नुकसान इस भूमि पर खेती करने वाले बंटाईदारों तथा मजदूरी करने वाले कामगारों को हुआ है।" —मोहम्मद शारीक

उमेश मिश्र सीटू (CITU) के जिला सचिव हैं। इनकी टिप्पणी है, "कोई उच्च पदाधिकारी हैं झारखंड सरकार में, मोतिया गांव के मूल निवासी हैं वह। वह सज्जन उच्च जाति के हैं। अडानी की इस परियोजना को गोड्डा के इस क्षेत्र में लाने में उनका वरदहस्त है। उच्च जाति के लोगों को

इस परियोजना में लाभ ही लाभ दिखा, क्योंकि उनकी जमीन उनके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो रही थी। इस परियोजना के आने से सवर्ण समाज के हाथ में काफी मुद्रा आ गई है। वे लोग किसी शहर में इसका निवेश करके अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। ये लोग पहले से ही रांची, पटना, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद इत्यादि में रह रहे हैं। लेकिन इस जमीन के सहारे आजीविका पाने वाले लोगों को बहुत क्षति हुई है। इनके लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की कोई व्यवस्था नहीं है।"

नर्मदेश्वर झा सैदा गांव के रहने वाले हैं, मोतिया गांव में इनका ननिहाल है। इनका कहना है, "खेती-किसानी में ज्यादातर यादव और संथाल हैं। संथाल अपनी जमीन पर ही खेती करते हैं। इस इलाके में आमतौर पर जमीनों के मालिक हैं ब्राह्मण और वैश्य। ये लोग प्रायः स्वयं खेती नहीं करते। इनके खेतों में कोई और खेती करता है— बंटाईदार, मजदूर या किसान के तौर पर। इस इलाके में सूद भरना और सट्टे पर भी खेती का प्रचलन है। 'सूद भरना' का मतलब यह है कि कोई जमीन का मालिक किसी व्यक्ति से एकमुश्त रकम लेता है कर्ज के तौर पर। कर्ज देने वाला व्यक्ति कर्ज के सूद के एवज में जमीन-मालिक से जमीन लेता है और उसमें खेती करता है। वह अपना बीज, खाद, पानी उसमें लगाता है और जो पैदावार होती है उसे अपने घर में रख लेता है। जब जमीन का मालिक कर्ज अदा करता है तो उसे उसकी जमीन उसे वापस मिल जाती है। बंटाई की खेती में जमीन मालिक की होती है और श्रम बंटाईदार का। खाद, बीज, पानी, आदि के खर्च में आपसी सहमति से हिस्सा तय होता है। आमतौर पर यह भी 50-50 प्रतिशत होता है। फसल की पैदावार में दोनों को 50-50 प्रतिशत मिलता है। सट्टा में ली गई जमीन का पैसा वापस नहीं मिलता है। जमीन-मालिक किसान से एकमुश्त रकम लेता है और किसान उसपर छह वर्ष तक खेती करने का हकदार होता है। छह वर्ष बाद जमीन उसके मालिक को स्वतः वापस हो जाती है।"

"सट्टा में ली गई जमीन का पैसा वापस नहीं मिलता है। जमीन-मालिक किसान से एकमुश्त रकम लेता है और किसान उसपर छह वर्ष तक खेती करने का हकदार होता है।" —नर्मदेश्वर झा

स्पष्ट है कि अडानी पॉवर प्लांट की परियोजना के आने से गांव से अनुपस्थित रहने वाले जमीन-धारकों को अपनी जमीन बेचने का अवसर प्रदान हुआ है। इससे उन्हें लाभ पहुंचा है। लेकिन जो लोग जमीन के सहारे जीवन-यापन करते रहे हैं— बंटाईदार, किसान, मजदूर, इत्यादि— उन्हें अपनी आजीविका के एक स्थाई संसाधन से वंचित होना पड़ा है। यह उनके लिए किसी बड़ी आपदा से कम नहीं है। ■

8

संसाधन हमारे, फायदा किसी और को

बांग्लादेश और भारत की सरकारों के प्रतिनिधियों ने 11 जनवरी 2010 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार वे ऊर्जा के क्षेत्र में एक-दूसरे का सहयोग करेंगे। इसी समझौते का सहारा लेकर अडानी पावर लिमिटेड (एपीएल) ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) से भारत में 2x800 मेगा वॉट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना का करार किया जिसकी सारी बिजली बांग्लादेश को मिलेगी। यह करार 11 अगस्त 2015 को हुआ।

विधायक प्रदीप यादव का कहना है, "बांग्लादेश और भारत के बीच ऊर्जा-संवर्धन के क्षेत्र में करार के बाद, लगभग साढ़े पांच साल बाद अडानी को एक अनुकूल अवसर दिखा बिजली के क्षेत्र में कमाई करने का। अडानी हमारे मोदी जी के मित्र हैं। दोनों एक-दूसरे के फायदे के बारे में सचेत रहते हैं। सबसे अच्छी स्थिति तो यह होती कि अडानी जी यह कारखाना बांग्लादेश के किसी नदी के किनारे लगाते और बिजली सौंप देते बांग्लादेश को। अगर यह संभव नहीं था तो दूसरा विकल्प यह था कि यह कारखाना बंगाल में लगता किसी नदी के किनारे। सब जानते हैं ममता दीदी के सामने मोदी जी की दाल नहीं गलने वाली तो अडानी जी ने झारखंड में इस कारखाने को लगवाने की जुगत तय की। केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार है। इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है कि झारखंड में यह पावर प्लांट लगे। इस पावर प्लांट के लिए झारखंड सरकार ने कई नए-नए कानून बनाए हैं। एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य की जनता के हितों की इतने बड़े पैमाने पर अनदेखी और कहीं नहीं मिलेगी। कंपनी ने कोई भी अपना सर्वे ठीक से नहीं किया है— न जमीन का, न पानी का, न पर्यावरण का .....कंपनी को विश्वास है कि हम जो चाहेंगे, कर लेंगे। झारखंड में तो कर लेंगे, लेकिन बंगाल में क्या करेंगे!

"एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य की जनता के हितों की इतने बड़े पैमाने पर अनदेखी और कहीं नहीं मिलेगी।" —विधायक प्रदीप यादव

बिजली तो बांग्लादेश तभी न जाएगी, जब ट्रांसमिशन लाइन झारखंड और बांग्लादेश के बीच बनकर तैयार हो जाएगी! बीच में बंगाल पड़ता है, अगर ममता दीदी ट्रांसमिशन लाइन के लिए इजाजत न दें तो क्या होगा?"

मजदूर नेता अरुण सहाय का कहना है, "अडानी को झारखंड से अपना लाव-लश्कर हटाना पड़ेगा, क्योंकि यह पावर प्लांट किसी भी रूप में झारखंड के हित में नहीं है। जमीन जा रही है हमारी, जल जा रहा हमारा, रोजगार जा रहा हमारा, और-और संसाधन जा रहे हैं हमारे। और हमें मिल क्या रहा है? धूल, गर्द, राख, जहरीली गैसें, दूषित पानी (जमीन पर और जमीन के नीचे भी)। इसका भयंकर परिणाम होने वाला है— सूखा पड़ेगा सारे इलाके में, इससे अकाल की स्थिति बनेगी। मुझे नहीं लगता कि गोड्डा और साहेबगंज की जनता यह सब बर्दाश्त करेगी। जैसे जिंदल को गोड्डा से थर्मल पावर प्लांट समेटकर जाना पड़ा, वैसे ही अडानी को जाना पड़ेगा। जिंदल कांग्रेस के दुलरुवा थे, अडानी भाजपा के दुलरुआ हैं। दोनों एक मायने में समान हैं कि अपनी झोली भरने के लिए जनता के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिंदल की वजह से आदिवासियों का भारी विस्थापन हुआ था। उसने कोल ब्लॉक लेने में भी धांधली की थी। जैसे ही विस्फोट करने लगा और आसपास की धरती कांपने लगी, लोगों के घरों में दरारें आने लगीं तो प्रबल विरोध होने लगा। वैसी ही स्थिति अडानी की भी होने वाली है। अभी आक्रोश अंदर ही अंदर फैल रहा है। प्रशासन उस आक्रोश को दबाने के लिए जो चालें चल रहा है, उसमें उसे बहुत दिनों तक सफलता नहीं मिलने वाली। गोड्डा में स्थिति यह बना दी गई है कि आप अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए उपायुक्त के समक्ष प्रदर्शन नहीं कर सकते।"

"जैसे जिंदल को गोड्डा से थर्मल पावर प्लांट समेटकर जाना पड़ा, वैसे ही अडानी को जाना पड़ेगा। जिंदल कांग्रेस के दुलरुवा थे, अडानी भाजपा के दुलरुआ हैं।" —अरुण सहाय

जयकांत ठाकुर का कहना है, "महागामा में ईसीएल कंपनी कोयले का खनन कर रही है। मुझे लगता है कि यदि बीजेपी अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो अडानी कोल खनन क्षेत्र में भी पांव पसारेंगे। गोड्डा जिले में कोयले की बहुतायत है।"

जयकांत ठाकुर की इस बात का संकेत झारखंड सरकार और मेसर्स अडानी पावर (झारखंड) लिमिटेड के बीच 17 फरवरी 2016 को हुए उस प्रथम चरण के समझौते में है जो झारखंड राज्य में कोयला-आधारित थर्मल पावर प्लांट की स्थापना से संबंधित है। इस समझौते के अनुच्छेद (ii) में लिखा है, "M/s Adani Power (Jharkhand) limited is desirous of setting up 1600 MW (2x800 MW) coal based thermal Power Project in the state of Jharkhand at a suitable location along with

suitable coal blocks". हालांकि गोड्डा के लोगों के सामने यह बात अभी तक साफ तौर पर उजागर नहीं हुई है। ज्यादादर लोगों की जानकारी में यह बात अफवाह की तरह है कि कोयला आएगा ऑस्ट्रेलिया से, अडानी द्वारा लीज पर ली गई खान से।

चिंतामणि साह के अनुसार, "25 मई 2016 को अडानी पावर प्लांट के वास्ते भू-अर्जन की अधिसूचना जारी हुई। तबसे प्रशासन इसी युक्ति में लगा हुआ है कि अडानी को भूमि पर कब्जा कैसे दिलाया जाए। अडानी को वास्तव में 917 एकड़ जमीन की जरूरत है प्लांट के लिए। लेकिन उसने इससे ढाई गुना ज्यादा जमीन की मांग की है। इसके अलावा, पाइप लाइन, रेलवे लाइन, जलाशय आदि के लिए भी जमीन की मांग आ रही है। इससे अंदाजा करना मुश्किल है कि अडानी की जमीन की जरूरत का अंत कहां होगा। जमीन स्थायी है। यह किसानों, मजदूरों, बंटाईदारों, मछुआरों आदि को रोजी-रोटी देती है। झारखंड के संथाल परगना की जमीन बिकाऊ नहीं है, यहां के कानून के हिसाब से। फिर भी झारखंड सरकार इसे जनहित के कार्य के नाम पर अडानी को दे रही है। यह हमें स्वीकार्य नहीं है। हम इस लड़ाई को कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे और जीतेंगे।"

"जमीन स्थायी है। यह किसानों, मजदूरों, बंटाईदारों, मछुआरों आदि को रोजी-रोटी देती है।"
—चिंतामणि साह

अडानी पॉवर लिमिटेड झारखंड में तमाम तरह के संसाधनों को हथियाने के लिए सत्तापक्ष से मिलकर अपने अनुकूल परिस्थितियां बनाने में लगा हुआ है। वह अपने अनुकूल न केवल कानूनों में बदलाव करा रहा है, बल्कि जनता को बरगलाने के लिए कई तरह की चालें भी चल रहा है—जन-सुनवाई से लेकर जनहित के कार्य का दिखावा करने तक। ■

परिशिष्ट

संदर्भ-सामग्री

इस रपट को तैयार करने में विभिन्न पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं और व्यक्तियों से सहयोग मिला है। इनकी सूची यहां दर्ज है।

पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं

1. *क्या साहिबगंज खासमहाल है?* वीरेन्द्र झा, खासमहाल उन्मूलन समिति, साहिबगंज।
2. *टाल चौपाल* (आमंत्रण अंक), अर्द्धवार्षिक पत्रिका, संपादक आनंद मुरारी, टाल विकास समिति मोकामा, बड़हिया। संपादकीय पता— सूर्या कॉप्लेक्स, जमाल रोड, पटना।
3. *फिर से बहने लगी रूपारेल,* प्रो. मोहन श्रोत्रिय, अविनाश, तरुण भारत संघ, भीकमपुरा, थानागाजी, अलवर-301022।
4. *संताल परगना भूमि-कानून : एक समीक्षा,* संकलन एवं संपादन— पंकज कुमार सिंह, डॉ. नीरज कुमार, प्रकाशक-साथी, गोड्डा, झारखंड।
5. *हिन्दुस्तान* (दैनिक), नई दिल्ली।
6. *भारतीय परिवहन व्यवस्था,* डॉ. शिवध्यान सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ।
7. *किसने बैठाया साहिबगंज की मुंडेर पर खासमहाल का बेताल?* संपादक— सत्यनारायण पचेरीवाल, मीडिया चौपाल, साहिबगंज, झारखंड।
8. *परिवहन और आर्थिक विकास,* डॉ. मोहन लाल मिश्र, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
9. *बेहतर दुनिया की तलाश में,* संपादक— रमेश उपाध्याय, शब्दसंधान, नई दिल्ली।
10. *बिहार की नदियां,* श्री हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय', बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
11. *भारत का आर्थिक इतिहास,* भाग-1, रोमेश दत्त, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार।
12. *युवा संवाद* (मासिक), संपादक— ए.के. अरुण, नई दिल्ली।

व्यक्ति, जिनसे जानकारी प्राप्त हुई

उन व्यक्तियों के नाम यहां नगर के क्रम से दर्ज हैं जिनसे बातचीत करके इस रपट के लिए आधार सामग्री और जानकारी प्राप्त की गई है। ये व्यक्ति विभिन्न पेशों वाले हैं। इनमें से कुछ अध्यापक हैं, कुछ प्राध्यापक हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ किसान हैं, कुछ मजदूर हैं, कुछ दुकानदार.....आदि-आदि हैं। हमने इनके अलावा अन्य बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, जिनके नाम यहां दर्ज नहीं हैं।

भागलपुर

कपिलदेव मंडल, किशन कालजयी, प्रेम प्रभाकर, रामशरण, शिवकुमार शिव, योगेन्द्र।

साहेबगंज

अनिल यादव, अमित कुमार पंडित, अमीक मंडल, चतुरानंद मंडल, जटाधारी सिंह, जय प्रकाश सिन्हा, दिवाकर यादव, दीपक मंडल, धनंजय कुमार रजक, धनराज यादव, प्रणव घोष, फेंकन सिंह, रणधीर प्रसाद, रामसहेत मंडल, रामानंद यादव, ललित स्वदेशी, विजय यादव, संजय रजक, सुबोल चौधरी।

गोड्डा

अनिल हेंब्रम, अरुण सहाय, अशोक मड़ैया, आशुतोष पांडेय, उमेश मिश्र, चिंतामणि साह, जयंत यादव, जावेद अख्तर, दिलीप कुमार, देवेंद्र पंडित, नर्मदेश्वर झा, प्रदीप यादव (विधायक), मोहम्मद शारीक, रामदास साह, रामजीवन पासवान, रंजीत कुमार, रमण कुमार, रविकांत पासवान, रवींद्र कुमार, सुशील हेंब्रम, सुहागिनी टुडू, सूर्य नारायण हेंब्रम।

आक्रोश मार्च एवं पुतला दहन

JHARKHAND POLICE

जन-संसाधन पीठ
इंस्टिट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एण्ड सस्टेनेबिलिटी (आइडीएस)
मकान नं. 7, गली नं. 6, ब्लॉक-ए, हिमगिरि एनक्लेव,
पेप्सी रोड, मेन बुराड़ी रोड, नई दिल्ली-110084